International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

कल्चुरी वास्तुकला का अनोखा पुरातत्त्व : नोहलेश्वर शिव मन्दिर

डॉ. चौधुरी शिवव्रत महान्ति
निर्देशक, कृष्णराव शोध संस्थान एवं मानद व्याख्याता–प्रा.शा.इतिहास, संस्कृति व पुरातत्त्व,रा.दु.वि.वि.,जबलपुर

जबलपुर से दमोह जाने वाले मार्ग पर 90 किलोमीटर उत्तर में एवं दमोह से 19 किलोमीटर दक्षिण में व्यारमा एवं गौरया नदियों के संगम पर नोहटा कस्बा (23''40' उत्तर, 79''34' पूर्व, जबेरा तहसील, दमोह जिला) स्थित है। कलचुरीकालीन कला एवं स्थापत्य के लिए यह स्थान प्रसिद्ध रहा है। इसी काल में नोहटा कस्बा के दक्षिण में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसे आज महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे नोहलेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासक युवराजदेव प्रथम की महारानी गुजरात के चालुक्य वंशी शासक अवनिवर्मा की पुत्री नोहला देवी ने 950–960 ई. में करवाया था। अतः संभवतः नोहलादेवी के नाम पर इस मंदिर का नाम नोहलेश्वर पड़ा होगा। कटनी के समीप स्थित प्राचीन बिलहरी से प्राप्त युवराजदेव द्वितीय के अभिलेख में नोहलादेवी द्वारा मंदिर बनवाने तथा उनके द्वारा अघोरशिव नाम के विद्वान को इस मंदिर का अध्यक्ष नियुक्त करने का उल्लख है। अभिलेख में मठ निर्माण का उल्लेख है परंतु स्थान का नाम नहीं दिया गया है न ही नोहटा के इस मंदिर से अन्य कोई अभिलेख ही प्राप्त है। अतः यह कहना की नोहला देवी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, अनुमान मात्र यह विवाद का विषय है। इसे शिव मंदिर' कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस मंदिर की यह विशिष्टता है कि सम्पूर्ण संरचना में से मण्डप की रचना तत्कालीन मंदिर निर्माण परम्परा से थोड़ा भिन्नता लिए हुए है और यही भिन्नता ही उसे इस काल एवं क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

निकट के खानों से प्राप्त उत्तम कोटी के बलुआ पत्थर से इस उत्तर–पश्चिम मुखी मंदिर का निर्माण किया गया है फलस्रूप इसकी प्राचीन भव्यता आज भी बनी हुई है। मंदिर के मण्डपों के स्त्म्भो की बनावट में एकरूपता का अभाव दिखलाई देता है जिससे यह आभास होता है कि जर्जर मण्डप को अतिरिक्त स्तम्भों का सहारा देकर संरक्षित अथवा पुनः निर्मित किया गया है। इस मंदिर का छायाचित्र हेनरी कॉजेंस द्वारा 1892–94 में लिया गया था। उस छायाचित्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पहले भी मण्डप को सुरक्षित रखने हेतु अतिरिक्त स्तम्भ लगाकर उसे गिरने से बचाया गया था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरणों तक इस मन्दिर के मण्डप एवं गर्भगृह के शिखर गिर चुके थे जिसके वास्तुखण्ड छायाचित्र में भूमि पर पड़े दिखलाई देते हैं। कालान्तर में इन्हीं वास्तु अवशेषों एवं नए पत्थरों को लगाकर मन्दिर का पुनःनिर्माण किया गया।

भूमिन्यास :– मन्दिर विशाल आयताकार लगती पर निर्मित है, इस पर चारों ओर खुले प्रदक्षिणापथ हेतु स्थान छोड़ते हुए मन्दिर को निर्मित किया गया है। जगती एवं अधिष्ठान पर पहुँचने हेतु सीढ़ियों की व्यवस्था है। निरंधार श्रेणी के इस मन्दिर के प्रमुख तीन भाग हैं– 1. अर्धमण्डप, 2. मण्डप तथा 3. गर्भगृह। तीन ओर से खुला हुआ वर्गाकार अर्धमण्डप माप में छोटा है एवं चार स्तम्भों एवं दो अर्धस्तम्भों की आयताकार योजना पर आधारित है अर्धमण्डप से जुड़ा हुआ द्वार युक्त आयताकार मण्डप है जिसकी मूल अवस्था में बीच में चार एवं दोनों पार्श्वों पर कुल आठ स्तम्भों की योजना दिखलाई देती है। मन्दिर के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कालान्तर में ऊपरी रचना को सहारा देते हुए अन्य स्तम्भ सथापित किए। दोनों द्वारों के पार्श्वों पर कुल चार अर्धस्तम्भों की व्यवरूथा है। अन्तराल छोटा है जो वर्गाकार गर्भगृह को जोड़ता है। भीतर से गर्भगृह वर्गाकार है एवं बाहर से उसकी योजना ऊर्ध्वविन्यासः सादे पत्थरों से निर्मित जगती लगभग चार फुट ऊँची है एवं इसकी फर्श को समतल पटियों से आच्छादित कर निर्मित किया है। मंदिर का

अधिष्ठान पाँच प्रकार के गढ़न एवं दो अन्तरपट्ट, से अलंकृत है जिनमं सबसे नीचे पत्र अलंकरण युक्त कुम्भ एवं उसके ऊपर क्रमशः छाद्य, पतला कलश, अन्तरपट्ट, पुष्पपट्टिका, पुनः अन्तरपट्ट एवं चन्द्रशाल से अंलकृत छाद्य का गढ़न है। अधिष्ठान के दोनों पार्श्वों पर प्रतिमा युक्त तीन–तीन एवं सामने दोनों ओर एक–एक छोटे–छोटे स्तम्भित आले (मण्डप) हैं। मंदिर के मण्डप की जंघा का निचला भाग वेदिबन्ध (वेदिका सदृश) से निर्मित है जिसका ऊपरी क्षैतिज भाग स्तम्भों को घेरे हुए छज्जानुमा भीतर की ओर निकला हुआ है, जिस पर बैठा जा सकता है। इसके ऊपर का भाग बरंडिका तक प्रकाश एवं वायु हेतु खुला छोड़ दिया गया है। कृष्णदेव ने इसे काक्शासन कहाँ है' परंतु खजराहों के मंदिर के समान यहाँ काक्शासन निर्मित नहीं हैं। गर्भगृह की जंघा का भाग क्षैतिज अमालिकाओं अथवा खाद्य पट्टिकाओं द्वारा चार भागों में विभाजित है। निचला भाग छोटे एवं विस्तृत कुट, कलश एवं खाद्य जैसे गढ़न से युक्त है जिन पर स्वतंत्र एवं शिखर युक्त स्तम्भित मण्डपों में विभिन्न देवी–देवताओं प्रतिमाएँ उकेरी गई हैं। इसी प्रकार खाद्य के ऊपर आन्तरिक ऊर्ध्व पट्टिकाओं पर गज–व्याल एवं उभरी हुई पट्टिकाओं अथवा रथिकाओं पर विभिन्न प्रकार के देवी–देवताओं की प्रतिमाओं का अलंकरण सम्पूर्ण गर्भगृह की बाहरी दीवार पर किया गया है जो आमालिका अथवा खाद्य पट्टिका से मण्डित हैं। चन्द्रशाल अलंकरण युक्त पट्टिका का नियोजन है। पुनः सभी पर बाहर की ओर उभरी हुई खाद्य पट्टिका का अंकन है। ऊपर मुख्य भद्रों पर देवी–देवताओं की एवं आन्तर–ऊर्ध्व पट्टिकाओं एवं सह–रथिकाओं पर विभिन्न कियाकलापों में लिप्त सुर–सुन्दरियों की कलाकृतियाँ उत्कीर्ण हैं और वे उभरी हुई आमालिका से मण्डित हैं।

गर्भगृह की बरंडिका पर चन्द्रशाल अलंकरण युक्त रथिकाओं एवं सह–रथिकाओं के खण्ड हैं जो व्यालमुख पट्टिका से मण्डित हैं। अर्धमण्डप एवं मण्डप के स्तम्भों एवं अर्धस्तम्भों पर टिकी हुई बरंडिका कुल छः भागों में क्षैतिज रूप में विभाजित है जबकि मण्डप पर आठ भागों में विभाजित है। सबसे नीचे सर्पिलाकार पुष्प–वल्लरी पट्टिका, उसके ऊपर क्रमशः आन्तरपट्ट, छाद्यपट्टिका, खिले हुए पुष्प एवं पट्टिका–त्रिकोण से अलंकृत आन्तरपट्ट, छाद्य, पूर्व के समान अलंकृत आन्तरपट्ट एवं छाद्य हैं। मण्डपों की छत खपरेल पद्धति पर ऊपर की ओर चारों दिशाओं से घटते क्रम में क्षैतिज पट्टिकाओं के रूप में चतुष्फलकीय आकृति देते हुए निर्मित हैं। अर्धमण्डप पर पट्टिका–त्रिकोण की बडेरी के अंश विद्यमान हैं परंतु छत पर आमलक नहीं है, सम्भवता वह गिर गया है। मण्डप के छत के मध्य भाग पर पुष्पघंटा बेकी पर स्थित है जो आमलक से मण्डित है उसके ऊपर क्रमशः छोटा घंटा, पुष्प एवं पट्टिका त्रिकोण से अलंकृत यष्टि, आमलक एवं कलश स्थापित हैं। मण्डप के छत एवं आमलकों की योजना अर्थात् दोनों आमलकों मध्य अधिक अधिक दूरी इस मंदिर की विशिष्टताओं में सम्मिलित हैं। गर्भगृह का शिखर पंचरथ पद्धति पर भीतर की ओर घुमाव लेते हुए निर्मित है। भद्रों को पूर्ण रूप से अलंकृत करने हेतु परम्परागत विधि से चन्द्रशाल (जालक) आकृतियों से उकेर दिया गया है। कर्णिकापाग पर पाँच आमलकभूमि योजना दिखलाई देती है। आश्चर्य की बात यह कि गर्भगृह के शिखर के सामने, मण्डप एवं शिखर से लगा हुआ अन्तराल के भाग पर छोटी सी सुकनासिका बनाई गई है जो छुपी हुई सी है। शिखर के ग्रीवा पर वृत्ताकार दन्तित शिलाखण्ड स्थापित है जो विशाल आमलक, घंटा एवं कलश मण्डित है। शिखर पर आमलक होने के कारण यह नागर शैली का शिखर है। साथ ही शिखर के कानों पर भूमिआमलकों की व्यवस्था भी नागर शिखर होने को प्रमाणित करती है।

स्तम्भ योजना :– अर्धमण्डप के स्तम्भों की योजना फलक एवं अर्धस्तम्भों की वर्गाकार पद्धति पर आधारित है। गढ़न युक्त अठपहलू आधार पर अठपहलू यष्टि है जिसे ऊपर सोलह पहलू एवं लगभग वृत्ताकार रूप में तराशा गया है। सामने के दोनों स्तम्भों की यष्टि के मध्य में चारों दिशाओं में भारवाहकों की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जबकि अन्य दो स्तम्भों पर ऐसा अलंकरण नहीं है। स्तम्भ का शीर्ष पात्र परम्परा पर आधारित है। बाहर की ओर फैलते हुए गढ़न युक्त वृत्तकार पात्र पर बाहर की ओर निकले हुए चार ब्रैकेट हैं जिको चर्तुहस्त भारवाहकों की आकृतियों से अंलकृत किया गया है। इन भारवाहकों के ऊपर के दोनों हाथ ऊपर के भार को साधे हुए प्रदर्शित हैं। अर्धस्तम्भों के गढ़न युक्त आधार के ऊपर सामने की ओर नारी की आकृति का अंकन है। वर्गाकार यष्टि के मध्य में नीचे से ऊपर की ओर अलंकृति पट्टिका का अंकन है वर्गाकार यष्टि के मध्य नीचे से ऊपर की ओर अलंकृति पट्टिका का अंकन प्रत्येक फलक पर है जो ऊपर क्षैतिज पट्टिका तक विस्तृत है। स्तम्भ शीर्ष पर

घट–पल्लव का अंकन है जिसके ऊपर बाहर की ओर फैलता हुआ गढ़न युक्त वर्गाकार पात्र है, उसके ऊपर गढ़न युक्त ब्रैकेट हैं। द्वार की ओर विस्तृत भीतरी ब्रैकेट पर मानव आकृति का अंकन है। मण्डप के दोनों पार्श्वो के चार–चार स्तम्भ, मध्य में स्थित चार स्तम्भ एवं अरून स्तम्भ इसी अर्धस्तम्भ के अलंकरण पद्धति पर आधारित है अन्तर यह है कि मण्डप के स्तम्भों के गढ़न युक्त वर्गाकार आधार पर अतिरिक्त घट–पल्लव का अंकन किया गया है, इसके अतिरिक्त अठपहलू पट्टिकाओं का समावेश कर स्तम्भों को और आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। मंदिर के पुनरूद्धार के समय अन्य अनेक स्तम्भ स्थापित किए गए जिससे कमजोर पड़ चुके मंदिर को सहारा दिया जा सके ये स्तम्भ मूल मंदिर के स्तम्भ नही हैं।

प्रवेशद्वार :– इस मंदिर की यह भी विशिष्टता है कि इसमें दो अलंकृत प्रवेशद्वारों का समावेश किया गया है। एक मण्डप के प्रवेशद्वार के रूप में दूसरा गर्भगृह के प्रवेशद्वार के रूप में। आमतौर पर मण्डप में प्रवेशद्वार का नियोजन नहीं होता है परंतु यहाँ इस मंदिर में इसकी योजना ठीक गर्भगृह के प्रवेशद्वार की योजना के अनुरूप निर्मित है गुप्तकाल से आरंभ हुई गंगा एवं जमुना का अंकन इस प्रवेश द्वार पर दिखलाई देता है ऐसा प्रतीत होता है कि द्वार पर इनके अंकन का उद्देश्य यह रहा है कि अपवित्र मानव गंगा–जमुना में स्नान कर पवित्र होकर मंदिर जैसे पवित्र एवं पूजित स्थान जैसे मण्डप अथवा गर्भगृह में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार द्वार पर किए गए देवी–देवताओं के अंकन से वहाँ से प्रवेश करने वाले मावन को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। यही नही ऐसा प्रतीत होता है कि द्वार पर अन्य सभी प्रकार के अंकनों का प्रभाव के प्रवेश के समय उस पड़े, की द्वार अंलकरण का रहा है।

मण्डप का द्वार बड़ी ही भव्यता से अलंकृत किया गया है देहली के मध्य में सूँड़ एवं सामने के पैर उठाए हाथियों का अंकन है जो सम्भवतः बीच के अज्ञात अंकन (सम्भवता शिव लिंग) के पूजार्थ उद्यत प्रतीत होते है इनके ओर मकरमुख पर विराजे भक्तगणों का अंकन है। उससे लगे हुए दृश्य में मानव, सिंह एवं गज के युद्धका अंकन है। उसके बाई ओर ललितासन मुद्रा में बैठे हुए वतुर्भुजी एव त्रिमुखी ब्रम्हा का अंकन है जो अपनी बाईं जंघा पर अपनी शक्ति को बैठाए हुए प्रदर्शित हैं। इसी प्रकार दाई ओर चतुर्भुजी लक्ष्मीनारायन का अंकन है ऊपर द्वार तीन शाखाओं एवं उप–शाखओं में विभक्त है– बाहर से भीतर की ओर तलाशाखा, मिथुनशाखा एवं पुष्पशाख है । घट के निकलते हुए के निचले भ्र पर एक ओर भैरव की खड़ी आकृति का अंकन है तो है। तो दूसरी ओर एक अज्ञात पुरूष (सम्भवतः भैरव) आकृति का, लता के घुमाओं के मध्य में मानव की युगल आकृतियाँ उकेरी गई है मध्य की मिथुनशाखा पर युगल आकृतियाँ दोनों ओर की उपशाखों पर नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ अंकित हैं। इस शाखा को साधे हुए भारवाहक का अंकन है। इसके निचले भाग पर बाईं ओर कच्छप पर खड़ी हुई यमुना तथा ओर मकर पर खड़ी हुई गंगा की आकृतियाँ डाल पकड़े हुए सेविकाओं के साथ द्विछत्र नुमा वृक्ष के नीचे अंकित हैं। नीचे खिले पद्म पुष्प पट्टिका का अंकन है। द्वार के ललाटबिम्ब पर वृषभ सहित नटराज की दोनों छोरों पर नारी की खड़ी आकृतियाँ हैं। मध्य के क्षैतिज भाग को तीन पट्टिकाओं में विभाजित किया गया है। नीचे की पट्टिका पर पुष्प, मध्य की पट्टिका पर माला धारी गंधर्व जिसके दोनों छोरों पर हाथ जोड़ भक्त हैं तथा ऊपरी पट्टिका पर वनग्रह की आकृतियाँ ही भव्यता से उकेरी गईं। किनारे अन्य मानव आकृतियाँ हैं। तथा ऊपरी पट्टिका पर मध्य में महेश, बाई ओर ब्रम्हा तथा दाईं ओर विष्णु की ललितासन में बैठी हुई आकृतियाँ हैं। शिव के दोनों ओर छः दिकपालों की त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई आकृतियाँ उकेरी हुई है। सबसे ऊपर लताशाखा के मध्य में कीर्तिमुख का अंकन है।

गर्भगृह का द्वार भी उक्त द्वार के समान ही है। अंकन के अभिप्रायों में कुछ थोड़ी सी ही भिन्नता है। नीचे बाईं ओर सरस्वती एवं दाईं ओर गजलक्ष्मी का अंकन है। ललाटबिम्ब पर ललितासन में विराजमान शिव, बाईं ओर खड़ी ओर मुद्रा में ब्रम्हा एवं उनकी शक्ति तथा दाईं ओर लक्ष्मीनारायण की आकृतियाँ हैं, शेष आकृतियाँ मण्डप के द्वार के समान ही हैं।

वितान :– मंदिर के अर्धमण्डप एवं मण्डप के वर्गाकार वितानों के खिले हुए पद्म पुष्पों से अलंकृत किया गया है। कोनों पर बने हुए गहरे छिद्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे लटकते हुए झूमर की यष्टि को उनमें स्थापित किया गया होगा जो मण्डप की भव्यता की वृद्धि में सहायक रहे होंगे। मण्डप के वितान के वर्गो में से केन्द्र के वर्ग में चान्द्रिक कटावों एवं विभिन्न प्रकार के अलंकरण अभिप्रायों का भव्य अंकन दिखलाई

देता है, शेष वर्गो में केवल खिले हुए कमल पुष्पों का अंकन है। किनारों पर संभवतः देव आकृतियाँ, दिक्पाल, नवग्रह, कोनों पर कीर्तिमुख, खिले हुए पुष्प आदि का अंकन है जो धूमिल हो चुके होने के कारण बहुत स्पष्ट नहीं हैं।

कला :– कला के दृष्टिकोण यह मंदिर पूर्वमध्यकालीन कला अभिप्रयों से परिपूर्ण है। द्वार एवं मंदिर की बाहरी दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ अपनी भव्यता की ओर संकेत करती हैं। अधिष्ठान से उल्टा पद्म–छत्र (खाद्य प्रकार की कपोत) युक्त स्तम्भित मण्डपों में गजलक्ष्मी, वैष्णवी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इन्द्राणी, गौरी आदि की प्रतिमाएँ उकेरी गईं। मंदिर की बाहरी दीवार (जंघा) पर प्रमुख रूप से तीन क्षैतिज पंक्तियों में कलाकृतियों का अंकन किया गया है। सबसे नीचे के कुम्भ कढ़न पर बहुत सी छोटी–छोटी सी मूर्तियों को आलो में उकेरा गया है। ऊपर की दो पंक्तियाँ कला के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं। बीच की क्षैतिज पंक्ति में बाहर की ओर उभरी हुई बड़ी प्रतिमाएँ हैं। इन प्रतिमाओं के मध्य में अन्दर की ओर गज–व्याल मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। मंदिर की जंघा को नटराज, चामुण्डा ब्रम्हा, पार्वती, शिव, सरस्वती, पीछे (दक्षिणी भद्र) के मुख्य भद्र पर पद्मछत्र से मण्डित स्तम्भित आले में अंधकांतक शिव, पश्चिमी भद्र के आले में नटराज एवं पूर्वी भद्र के स्तम्भित आले वीणा धर शिव (चित्र–6) की प्रतिमाएँ, इन्द्र, सूर्य, अग्नि की प्रतिमाएँ संगीत बजाते हुए एवं नृत्य करते हुए नर एवं नारी की आकृतियाँ, सुर–सुन्दरी, पैर का काँटा निकलवाते हुए नारी, सिंह–मुख, गज–व्याल भारवाहक आदि की मूर्तियाँ, मंदिर की वास्तुगत विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखते हुए सजाई गई हैं।

मन्दिर के मूल अवयव तत्कालीन वास्तु परंपरा के अनुकूल हैं, परंतु गर्भग्रह के शिखर को छोड़कर अर्धमण्डप एवं मण्डप के शिखर स्थानीय शैली के अनुकरण पर निर्मित हैं जो कलचुरीकालीन मण्डप निर्माण शैली की विविधता की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर मन्दिर के विभिन्न वास्तु अवयवों को अलकृंत करने हेतु पुष्पवल्लरी अथवा लता का प्रयोग इस मंदिर में हुआ है जो वनस्पति से मानव के लगाव अथवा अभिरूचि को दर्शाता है। देवी प्रतिमाओं का भरपूर प्रयोग हुआ है जो मातृपूजन को प्रेरित करता है। मंदिर पर त्रिदेवों में से शिव से सम्बन्धित प्रतिमाओं के अंकन की बहुलता है। गज–व्याल का अंकन भरपूर हुआ है जो आकर्षक ढंग से उकेरे गए हैं। इस प्रकार तत्कालीन समय में हिन्दू धर्म से सम्बन्धित विभिन्न देवी–देवताओं की प्रतिमाओं एवं पुष्पवल्लरी के अंकनों के साथ यह मंदिर विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों एवं प्रकृति के मध्य सामन्जस्य स्थापित करने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा होगा।

सन्दर्भ :–

1. कोर्पस ऑफ इंस्क्रिप्शनम् इण्डिकेरम, 4, भाग 1, पृ. 204–205.
2. शर्मा, आर. के., मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का सन्दर्भ ग्रन्थ, पृ. 432.
3. कृष्णदेव, टेम्पुल्स ऑफ इण्डिया, वो. 1, पृ. 161–62.

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S. & Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

हिन्दी समाचार पत्रों में संपादकीय विभाग की प्रबंधन व्यवस्था का विश्लेषण

सतेन्द्र नगायच
(शोधार्थी), जनसंचार एवं शोध विभाग, रा.दु.वि.वि.जबलपुर म.प्र.

संपादकीय विभाग समाचारपत्र प्रबंधन का अतिमहत्वपूर्ण विभाग होता है। इस विभाग को प्राप्त होने वाली खबरें, सूचनाओं व समाचार के आधार पर ही समाचार–पत्र का प्रकाशन निर्भर करता है। समाचार–पत्र संस्थान के रूप में परिवर्तन करने का दायित्व इसी विभाग का रहता है। यही विभाग समाचारों को काटने छांटने एवं संशोधन करने के उपरान्त खबरों व सूचनाओं को स्वरूप एवं आकार प्रदान करता हैं। संपादकीय विभाग का मुखिया संपादक होता है। जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है। प्रधान संपादक की जरा सी भूल यदि हो जाती है तो समाचार–पत्र को खतरा पैदा हो जाता है, संपादक की छोटी सी गलती के कारण समाचार–पत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

जब कोई संपादक भूल करता है।
तो संकट प्रारंभ हो जाता है। –**वेडविक्स**

संपादकीय विभाग के महत्व का मूल्यांकन ''लन्दन टाइम्स'' के श्री एम.जै. मैन्स फील्ड ने इन शब्दों में किया हैं। ''किसी समाचार–पत्र कार्यालय में संपादकीय विभाग का कक्ष वह कक्ष होता है जहाँ विश्व भर की कानाफूसियाँ होती हैं। संपादकीय विभाग में समाचारों को एकत्रित किया जाता है, उसके उपरान्त एकत्रित समाचारों में से समाचारों का चयन किया जाता हैं। इन समाचारों को संपादन के पश्चात उन्हें समाचार–पत्र में किस जगह पर प्रकाशित किया जाता है साथ ही समाचारों के शीर्षक निर्माण के कार्य की भी जिम्मेदारी संपादकीय विभाग की ही होती है। इसके साथ ही स्थानीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले समाचारों को भी समाचार–पत्र के छपने योग्य बनाया जाता है क्योंकि स्थानीय व क्षेत्रीय समाचारों के बिना समाचार पत्र चल ही नहीं सकता है।

समाचारों का संपादन :— समाचार–पत्र का संपादन संपादक, सह संपादक, संयुक्त संपादक सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक, उपसंपादक बैठते हैं। ग्रामीण अंचलों से प्राप्त समाचारों की भाषा भी संशोधित की जाती है। समाचार–पत्र में छपने योग्य समाचारों का चयन किया जाता है तथा अयोग्य समाचारों को अलग किया जाता हैं। समाचार–पत्र कार्यालय को प्राप्त समाचार जैसे औद्योगिक घराने, न्यायलयों के फैसले, नगर पालिकाओं, निकायों पंचायतों, राजनैतिक दलों के सम्मेलन प्रेस विज्ञाप्तियाँ, ट्रेड यूनियन के समाचार के अलावा पुलिस विभाग, अस्पताल से प्राप्त सूचनाओं एवं समाचार ऐजेंसियों से प्राप्त समाचार तथा संवाददाताओं की जो सूचना प्राप्त होती है समाचार ऐजेंसियां ही अकेले 40000 से 50000 तक शब्द भेजती हैं। अतः यह निर्णय करना जरूरी रहता है, कि कौन सा समाचार आवश्यक है तथा कौन सा समाचार बाद में भी प्रकाशित किया जा सकता हैं। संपादक के पास इनके अलावा फ्रीलांसर के भेजे समाचार भी एकत्र होते हैं। इस टेबिल पर जो समाचार एकत्र होने की प्रक्रिया होती हैं। उसे न्यूज फाल कहते हैं। समाचार–पत्र में एक निश्चित पृष्ठ संख्या होने के कारण समाचार के आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है तथा ऐसे समाचारों को रख लिया जाता हैं। जिनको बाद में भी प्रकाशित किया जा सकता हैं। उनका भी चयन किया जाता हैं। विशेष अवसरों पर जैसे नववर्ष के शुभारंभ दीपावली, क्रिसमस, ईद, गुरूनानक जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर विज्ञापन बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में विज्ञापन को प्रमुखता देने के कारण और भी समाचार पत्र में जगह की कमी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में संपादक दो तरीकों से इनको सुलझाता है।

1. समाचारों के लिए (हत्या) कम कर :—ऐसे समाचार जिनको प्रकाशित न किया जाने पर भी समाचार पत्र की साख पर प्रभाव न पड़े या कह सकते है कि अति महत्वपूर्ण समाचारों का ही प्रकाशन किया जावे, या उन्हीं का प्रकाशन करें जो आवश्यक हों।

2 समाचार पत्र की पृष्ठ संख्या में वृद्धि कर :—
यह बड़ा ही आसान तरीका होता हैं। जिसे अधिकांश समाचार पत्र संस्थान प्रयोग में लाते हैं। इससे समाचारों को छोड़ा भी नहीं जाता हैं। तथा सभी चयनित समाचारों को सही स्थान प्राप्त हो जाता हैं। तथा विज्ञापनों को भी विज्ञापनदाताओं की इच्छानुसार जगह भी प्राप्त हो जाती है। वैसे हमारे देश में त्यौहार एवं राष्ट्रीय दिवसों पर अधिकांश संस्थान पृष्ठों में वृद्धि करते हैं। इस पद्धति के उपयोग से सबसे बड़ा फायदा यह होता हैं। कि संवाददाता के भेजे समाचार सही समय पर प्रकाशित हो जाते हैं। तथा उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलता हैं। समाचार–पत्र ऐसे तीज त्यौहार, उल्लास के क्षणों में प्राप्त विज्ञापनों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। क्योंकि इन विज्ञापनों का एक नियत दिन सुनिश्चित होता हैं। अतः इनके प्रकाशन में परिवर्तन नहीं किया जाता हैं। ज्ञातव्य है, कि समाचार–पत्रों की मेरूदण्ड विज्ञापन ही होता हैं। क्योंकि समाचार–पत्र ही एक ऐसा व्यवसाय हैं। जिसमें आने वाली लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कम रहता हैं। इस घाटे के लिये विज्ञापन के माध्यम से पूर्ण किया जाता हैं। संपादकीय विभाग हमेशा सृजनात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। संपादक का कार्य सेना के प्रधान सेनापति के समान होता हैं। जिस प्रकार प्रधान सेनापति अपनी सेना का संचालन करता है, उसी प्रकार संपादक को अपने पत्र का संचालन करना पड़ता हैं। सम्पादकीय विभाग पाठक की मनोदशा को बनाता तथा बिगाड़ता है। यह विभाग अपने अखबार में यह भी कोशिश करता हैं। कि पाठक उसकी सामग्री को एक ही नजर में देख सकें यही कारण हैं। कि प्रत्येक अखबार में आजकल मुख्य पृष्ठ पर संपूर्ण अखबार के पृष्ठ की सामग्री की जानकारी देने की प्रथा का चलन हो गया है।

संपादकीय विभाग के कार्य :— समाचार–पत्र संस्थान में संपादकीय विभाग के कार्यो को मूलतः 6 हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है।

1 समाचार एकत्रित करना।
2 एकत्रित समाचारों में से चयन करना।
3 चयनित समाचारों का संपादन करना।
4 समाचार पर अपना दृष्टिकोण रखना।
5 पाठकों का पथ–प्रदर्शन करना।
6 पाठकों की समाचार–पत्र के प्रति विश्वसनीयता बनाना।

संपादकीय विभाग समाचार–पत्र के पाठकों से सीधा जुड़ा रहता हैं। यह समाचार–पत्र प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। इसके बिना समाचार–पत्र के प्रकाशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। डॉ. चतुर्वेदी ने संपादकीय विभाग के महत्व के बारे में लिखा है। कि इस विभाग की अनुपस्थिति इस प्रकार की है कि जैसे किसी सागर में दिशाहीन पतवार नाविक की दशा होती है। वही स्थिति संपादकीय विभाग की अनुपस्थिति में समाचार–पत्र की होती है।

संपादकीय विभाग के कार्य आरंभ होने के पश्चात ही मुद्रण विभाग का कार्य का शुभारंभ होता हैं। समाचार–पत्र में जो कुछ छपता हैं। उसका निश्चय करने वाला व्यक्ति संपादक ही होता है। अर्थात् समाचार–पत्र मे छपने वाली समस्त सामग्री की जिम्मेदारी संपादक की ही होती है। इसलिये समाचार–पत्र के प्रत्येक अंक पर मुद्रक, प्रकाशक के नाम के साथ संपादक का नाम भी प्रकाशित होता हैं। संपादक का मुख्य कार्य निर्धारित नीति के अनुसार अखबार को चलाना है। तथा संचालक मण्डल ने जिस योजना का निर्माण किया हैं। उसका पालन करते हुए अपने संस्थान को प्रगति पथ पर अग्रसर करना है। संपादक की प्रमुख 3 निष्ठायें होती हैं।

प्रथम निष्ठा संचालक के प्रति :— इसका अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है, संचालक मण्डल द्वारा बनाई गयी योजना के अनुरूप कार्य करना क्योंकि संचालक मण्डल अपने संस्थान की उन्नति के लिये हमेशा अच्छी से अच्छी नीतियों का निर्माण करता है, अतः उन नीतियों व योजना के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है।

दूसरी निष्ठा संपादकीय विभाग के प्रति :—
संपादक अपने विभाग के प्रति हमेशा ही नि ठावान रहता हैं। क्योंकि संपूर्ण विभाग के सहयोग से ही वह कार्य करता हैं। अतः वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति हमेशा विश्वास रखता है। तथा एक परिवार के मुखिया की भूमिका निभाता है।

क्योंकि समाचार–पत्र का कार्य सामूहिक होता है न कि व्यक्तिगत।

तीसरी निष्ठा पाठकों के प्रति :—संपादक की पाठकों के प्रति हमेशा निष्ठा रहती हैं। वह उन्हीं समाचारों, अग्रलेख, व्यंग्य, कार्टूनों का चयन करता हैं। जिसे उसके पाठक पसंद करें वह पाठकों की पसंद का पूरा ध्यान रखता हैं। साथ ही पाठकों के अपनी रूचि के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता हैं। क्योंकि प्रत्येक पाठक की रूचि के अनुरूप प्रकाशन संभव नहीं हैं।

संपादकीय विभाग का संगठन :—समाचार–पत्र के संपादकीय संगठन व्यवस्था प्रकार हैं, कि संपादक ही समाचार–पत्र संस्थान के संपादकीय विभाग का प्रमुख होता हैं। संपादक की मदद के लिये प्रबंध संपादक संयुक्त संपादक सहायक संपादक समाचार संपादक मुख्य उपसंपादक उपसंपादक एवं कार्यालय संवाददाता होते हैं। साथ ही छायाकार कार्टूनिस्ट होते हैं। ये सभी संपादक के कार्यो में सहयोग प्रदान करते हैं। संपादक का समाचार–पत्र संस्थान में सबसे ऊँचा एवं महत्वपूर्ण पद होने के कारण ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिस कारण वह हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहता हैं। तथा अपने अधीनस्थों को समय–समय पर उचित निर्देश प्रदान करता हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं।

1–कार्य योजना का निर्माण करता है–कार्य की समाप्ति के उपरान्त दूसरे दिन के कार्यों के लिये योजना बनाता है, जिससे उसके सहयोगी आकर अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके।

1. चयनित विषय के संबंध में शीघ्रता से अधिक जानकारी एकत्रित करता है, तथा नवीनतम से नवीनतम जानकारी पाठकों को प्रदान करने की पूर्ण कोशिश करता है, तथा यही प्रयत्न करता है, कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छूट सके।
2. यह भी निर्णय करता है, कि कौन व्यक्ति किस विषय वस्तु पर अच्छी से अच्छी रिर्पोटिंग कर सकता है उसकी कार्यकुशलता व गुणवत्ता के आधार पर विषयों का वितरण करता है।
3. स्माचार–पत्र के किस पृष्ठ पर कौन सा समाचार प्रकाशित किया जावे वह समाचार तत्व के आधार पर अपने सहयोगी को समाचार–पत्र के पृष्ठों का वर्गीकरण करता है।
4. वह फीचर, अंग्रलेख, रूपकों को पूर्ण में ही संकलित कर तैयार रखता हैं। तथा यह भी सुनिश्चित करता है, कि कौन किस समय प्रकाशित किया जावे।
5. टेलीप्रिन्टर से प्राप्त होने वाले समाचारों में से समाचारों का चयन करता हैं। तथा उसे पुनः लेखन हेतु कापी डेस्क पर भेजने (हिन्दी की मशीनों से प्राप्त समाचार देवनागरी लिपि में प्राप्त होते है अतः उन्हें संशोधित करना पड़ता है) के उपरांत कम्प्यूटर पर भेजता है यह कार्य वह अपने अनुभव के आधार पर करता है।
6. संपादित कापी को प्रूफ के आने तक सुरक्षित रखता है तथा उसे प्रूफ से पुनः निरीक्षण (चेक) करने के उपरांत उसको अलग करता हैं। तथा यह भी देखता हैं। कि समाचार यदि महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनके स्थान पर पाठकों की रूचि के अनुरूप अग्रलेख, व्यंग्य, रूपक मनोरंजन सामग्री आदि को प्रकाशित करता हैं।
7. शीर्षक का निर्माण करवाता है। तथा कंपोजिंग के उपरान्त उन्हें मेकअप विभाग में भेजता है। तथा प्रूफ अपने पर उनका निरीक्षण करता है।
8. शीर्षक हमेशा मेटर के उपरांत ही कम्पोजिंग के लिये कम्प्यूटर में भेजे जाते हैं। अतः भूलवश या समय की कमी के कारण कभी किसी दूसरे विषय पर किसी अन्य विषय के शीर्षक न बैठा दिये जावे इसके प्रति हमेशा सजग रहात हैं। ऐसी छोटी सी गलती के कारण समाचार–पत्र की साख पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता हैं। अतः वह हमेशा ही सजग रहता है। क्योंकि समाचार–पत्रों के संस्थान मे कम्प्यूटर विभाग में समाचार के उपरांत ही शीर्षक बनाये जाते हैं। अतः वह शीर्षक सही जगह पर (पेस्ट) चिपकाये गये हैं। कि नहीं इसका निरीक्षण करना अति आवश्यक होता हैं। इसीलिये अंत में प्रूफ को पुनः निरीक्षण किया जाता हैं। तदोपरान्त प्लेट निर्माण की कार्यवाही की जाती हैं।
9. समाचार–पत्र में पृष्ठ संख्या में वृद्धि करना होती हैं। तो वैसे निर्देश पूर्व में ही दे दिये जाते हैं। जिस कारण इसमें कुछ भी परेशानी न हो अतः वह पूर्व में ही निर्देश प्रदान कर देता है।

संपादक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह होती है, कि पाठक अपनी अपनी रूचि के आधार पर अखबार में सामग्री चाहता हैं। एक अखबार के माध्यम से सभी पाठकों को संतुष्ट करना असंभव का कार्य है। इसलिये संपादक को अपने पाठकों के लिये अपनी रूचि के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करना चाहते हैं। अब वे दिन गये जब संपादक के कार्य की इतिश्री केवल संपादकीय लिख देने भर से हो जाती थी अब उसका कार्य एक ऐसे वाघ् समूह के संगीत निर्देशक जैसा हो गया हैं। जो समूह के प्रत्येक सदस्य से उत्कृष्ट काम करवा सके। वह अपने कार्यालयीन परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों को संयोजित कर एक ऐसा समाचार–पत्र निकालने में सक्षम जिसकी अपनी अलग पहचान हो। संपादक को एक अच्छे जौहरी की तरह पारखी होना चाहिए जिसे किसी समाचार या शीर्षक में कोई त्रुटी देखते ही उसे तत्काल ही सुधार लेना चाहिए।

समाचार–पत्र प्रकाशन पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि सक्षम प्रबंधन की अति आवश्यकता होती है। समाचार–पत्र प्रबंधन हेतु संगठन सामन्वय की आवश्यकता होती है। समाचार–पत्र की विभिन्न इकाईयाँ जैसे–संपादकीय विभाग, विज्ञापन विभाग, उत्पादन विभाग, वितरण विभाग, लेखा विभाग के अलावा अनेक घ्टक होते है। यदि इन घ्टकों को परस्पर समन्वय स्थापित न हो तो प्रतिदिन एक अच्छा समाचार–पत्र प्रकाशित करने में भारी समस्यायों का सामना करना पड़ता है। प्रबंधन का अभिप्राय है, कि समुचित साधनों का प्रयोग करके कम से कम खर्च पर एवं उससे अधिक से अधिक लाभ कमाना इसके लिए आव यक है कि समाचार–पत्र संस्थान के सभी विभागों में आपसी तालमेल अत्यन्त आवश्यक है इस व्यवस्था को प्रबंधक द्वारा संचालित किया जाता है। प्रबंधक से समाचार–पत्र संस्थान के घ्टकों में इस प्रकार तालमेल होना चाहिए समाचार–पत्र संस्थान में किसी इकाई के द्वारा कार्य न होने पर समाचार को पठकों तक पहुचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजादी के पहले समाचार–पत्रों का प्रकाशन एवं प्रबंधन और आज के समाचार–पत्र प्रबंधन में बहुत बड़ा अंतर है पहले समाचार–पत्र प्रकाशन के लिए जो समाचार प्राप्त होते थे उन्हें हाथ से लिख कर छापे के द्वारा प्रकाशित करते थे धीरे–धीरे सुधार कर मशीनों के द्वारा छपाई होने लगी छोटे–छोटे कस्बों में समाचार–पत्रों का चलन नहीं था तब समाचारों को प्रकाशित करने के लिए कस्बों में तख्ता पर समाचार लिखे जाते थे इन समाचारों को पढ़ने के लिए पाठकों की भीड़ लगती थी धीरे–धीरे रेडियो से समाचार एकत्र किये जाने लगे और उन्हें तख्तो पर सुन्दर लेखनी में लिखा जाने लगा संचार माध्यमों में हुई क्रान्ति तथा यातायात की सुविधाओं से समाचार–पत्रों का प्रकाशन करने के लिए वर्तमान में नई–नई तकनीकों का अविष्कार हो रहा है आज किसी भी क्षेत्र में कुछ ही पल में इंटरनेट के माध्यम से समाचार कार्यालय में पहुंच जाते हैं संवाददाता अपने समाचारपत्र कार्यालय को सूचना देने के लिए टेलीफोन टेलीप्रिन्टर फेक्स तथा ई–मेल के माध्यम से कुछ ही मिनिट में सूचित कर सारी जानकारी भेज देते हैं पहले जो समाचार एवं सूचनायें 7–8 दिन बाद अखबारों मे छपती थीं आज वह सूचनायें समाचारपत्र में कुछ ही समय के बाद मुद्रित होकर वितरित हो जाती है। पहले समाचारपत्रों का वितरण का क्षेत्र सीमित था। तथा एक शहर से दूसरे शहर में समाचार–पत्र को वितरित करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। आज समाचार–पत्र के मालिक इस समस्या का निपटारा बड़ी आसानी से कर लेते हैं आज के युग में समाचार–पत्रों को वितरण करना भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है।

भारत में समाचार–पत्र का प्रकाशन एक जोखिम पूर्ण कार्य माना जाता था तथा जिसका केवल एक मात्र उद्देश्य था समाज की निस्वार्थ सेवा करना परन्तु आधुनिक समय में समाचार–पत्रों का उद्देश्य धनोपार्जन करना भी हो गया है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आज आद्युनिक समय में विभिन्न अर्थों में लिया है प्रबंध से अभिप्राय है कोई भी व्यवसाय मे कार्य करने वालों का समुचित प्रयोग किया जावें तथा लक्ष्य को प्राप्त किया जावें ताकि संस्थान के समस्त घटक पूँजी, मशीन, भूमि, गैर मानवीय एवं मानवीय साधन श्रम का सही यथोचित उपयोग किया जा सके तथा अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके एवं संगठन के पूर्व नियोजित उद्देश्य को प्राप्त करनें में नेतृत्व सहायता और निर्देशन प्राप्त हो प्रबंध का सही अर्थ यही है। इस कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन हो तथा सही रूप से कर्मचारियों एवं मशीनों का प्रयोग किया जाऐ। प्रबंध की व्यवस्था यदि धर्म ग्रन्थों में देखें तो यह ज्ञात होता है कि यह कला प्राचीन काल से चली आ रही है। भारतीय

समाचार–पत्रों की प्रबंध व्यवस्था सामान्य रूप से एक सी दृष्टिगोचर होती है। आधुनिक समाचार–पत्रों के मुद्रण में तीव्र गति हो जाने से उत्पादन प्रक्रिया सरल हो गई है, और अभूतपूर्व प्रसार से पाठकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। समाचार–पत्र प्रकाशन में प्रबंधन विभागों का महत्वपूर्ण स्थान होता है जो एक साथ मिलकर व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। अनेक व्यक्ति मिलकर समूह के रूप में कार्य करते हैं, और समूह के सम्मुख लक्ष्य या उद्दे य को प्राप्त करने का प्रश्न पैदा होता है एवं आवश्यक हो जाता है, कि सामूहिक प्रयासों की विधि को नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित व नियंत्रित किया जाए। प्रबंध की अवधारणा कोई नई विचार धारा नहीं है वरन् यह उतनी ही पुरानी है, जितना की मानव सम्यता का इतिहास मानव सभ्यता में आदिकाल से ही प्रबंध किसी न किसी रूप में सामूहिक क्रियाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त रहा है। प्रबंध प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया की आत्मा है। समाचार–पत्र प्रकाशन के लिए नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण एवं जो समुदाय के प्रयासो से श्रेष्ठतम व कुशलतम उपयोग के लिए मानव, माल, मशीन, मेथड व मुद्रा का प्रयोग करता है जिससे समाचार–पत्र का प्रकाशन करके निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करके लक्ष्य प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :—

1–डॉ. संजीव भानावत समाचार माध्यम संगठन एवं प्रबंध यूनिवर्सिटी प्रकाशन जयपुर
2–शिवप्रसाद भारती पत्र प्रकाशन और प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी
3–बसतीलाल बाबेल पत्रकारिता एवं प्रेस विधी सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि.
5–जी.एस. सुधा प्रबंध अवधारणाएँ एवं संगठनात्मक व्यवहार रमेश बुक डिपो जयपुर नई दिल्ली
6–एन.सी.पंत हिन्दी पत्रकारिता का विकास राधा पब्लिकेशंस नई दिल्ली
7–विजया पाठक पत्रिकारिता शोध एवं सर्वेक्षण जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान भोपाल मध्यप्रदेश
8– के.पी. यादव मीडिया मेनेजमेंट अदयान प्रकाशन नई दिल्ली
9– राकेश कुमार मीडिया मेनेजमेंट सुरेन्द्र पब्लिसर नई दिल्ली
10– बी.के. चर्तुवेदी मीडिया मेनेजमेंट ग्लोबल विजन प्रकाशन हाउस नई दिल्ली
11– रितु गोटी मीडिया प्रबन्धन लक्ष्य पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
12– मनोज दयाल मीडिया शोध हरियाणा साहित्य आकादमी पंचकूला
13– ईश्वर देवमिश्र विश्व पत्रकारिता इतिहास की एक झलक सेंटर फार मीडिया रिसर्च प्रकाशन वाराणसी
14–अनिल किशोर पुरोहित आधुनिक समाचार–पत्र प्रबंधन आदित्य पब्लिशर्स बीना म.प्र.
15– धनंजय चोपडा सिर्फ समाचार इंस्टीयूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इलाहाबाद

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

कक्षा नवमीं के गणित विषय हेतु गतिविधि शिक्षण का विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं विद्यार्थियों की प्रतिकिया बीना शहर के विशेष संदर्भ में

डॉ. कालिका यादव
मार्गदर्शक, आचार्य सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

वर्षा कापसे
शोधार्थी

प्रस्तावना :– गणित शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा वेदो द्वारा यह माना गया है कि मातृभाषा के बाद यदि कोई विषय विद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए तो वह है ''गणित''। अतः शिक्षा में गणित का अग्रज स्थान है। यह अपसारी चिंतन का दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। जिससे रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास होतो है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गणित का प्रयोग प्रतिदिन किया जाता है। विश्व में प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में गणित का आदि है। अतः गणित का अस्तित्व हर जगह विद्यमान है। जिस प्रकार मयूर के सर पर कलगी उसी प्रकार वेदो व शास्त्रों में भी गणित का उच्च स्थान है। गणित की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं लेकिन हम व्यवहारिक रूप से कह सकते है। कि गणित वैज्ञानिक संस्था शब्द तथा चिन्ह आदि है जिसके द्वारा हम वस्तु का परिमाण, दिशा व क्षेत्र का ज्ञान कर सकते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि गणित एक साधन है जो बच्चे को प्रशिक्षित करता है सोचने का कारण दूसरे विषयों से अलग होते हुए अपने पर संस्था वयवस्था रखता है। जो कि अद्वितीय है। अतः कहा जाता है कि ''गणित'' अंको का विज्ञान है।

गणित का अर्थ :– गणित शब्द का हिन्दी अर्थ गणित का आकलन करना है गणित शब्द को हम परिभाषित करते हुये कह सकते है कि गणित एक प्रकार से विज्ञान का मापन, परिमाण व परिणाम है।

गणित के सिद्धांत :– शाइनचेन के अनुसार गतिविधि शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत दिये गये है।

1. शिक्षण में छात्र किया का सिद्धांत
2. करके सीखने का सिद्धांत
3. शिक्षण में खेल विधि का सिद्धांत
4. ज्ञानेन्द्रियों के शिक्षण का सिद्धांत
5. अनुशासन के स्वाभाविक स्वरूप का सिद्धांत
6. स्वयं किया द्वारा स्वतंत्रता का सिद्धांत
7. बालक की स्वाभाविक रूचियों का सिद्धांत
8. प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत
9. परस्पर सहयोग का सिद्धांत

विभिन्न आयोगों, नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के फ्रेमवर्क तथा एन.सी.ई.आर.टी. तथा सी.बी.एस.ई. के 2000 निर्देश जिसमें गणित पाठ्यक्रम में गतिविधि को सम्मिलित किया गया, यह गतिविधि के महत्व को रेखांकित करता है।

अध्ययन क्षेत्र एवं प्रविधिः– यह बीना शहर के मध्यप्रदेश बोर्ड के कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों पर किया गया। प्रस्तुत शोध हेतु बीना शहर में स्थित दो विद्यालयों शासकीय सरस्वती विद्या मंदिर और सन इंडिया पब्लिक स्कूल का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन दैव विधि द्वारा किया गया। न्यादर्श के अंतर्गत 60 विद्यार्थियों को लिया गया। जिसमें 30 विद्यार्थी प्रायोगिक समूह के अंतर्गत रखे गये। न्यादर्श में छात्र– छात्रा दोनों शामिल थे। न्यादर्श के लिये गतिविधि का माध्यम हिन्दी रखा गया। न्यादर्श में छात्र छात्राएं 12 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के थे। इनका सामाजिक, आर्थिक स्तर औसत था। विद्यार्थियों की जानकारी निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

विद्यालय वार, समूह बार, लिंग बार विद्यार्थियों की जानकारी

कमांक	विद्यालय का नाम	समूह	लिंग		कुल
			छात्र	छात्रा	
1	शास. सरस्वती विद्या मंदिर बीना	प्रायोगिक	20	10	30
2	सन इंडिया पब्लिक स्कूल बीना	नियंत्रित	12	18	30
कुल					60

शोध प्राकल्प :– प्रस्तुत शोध में दो समूहों का चयन किया गया जिन्हे पूर्व उपलब्धि परीक्षण दिये गये। तत्पश्चात् प्रायोगिक समूह को गतिविधि द्वारा उपचारित किया गया तथा नियंत्रित समूह को परम्परागत विधि से शिक्षण दिया गया। उपचार की अवधि 10 दिवस रही।

उपकरणः– प्रस्तुत शोध कार्य हेतु उपलब्धि परीक्षण एवं प्रतिक्रिया मापनी का उपयोग किया गया है।

1. **उपलब्धि परीक्षण** :– उपलब्धि परीक्षण शोधकर्ता द्वारा स्वयं निर्मित किया गया। यह परीक्षण विद्यार्थियों को पढायी गई गणित की विषयवस्तु पर आधारित है। परीक्षण में 15 बहुविकल्पीय प्रश्न एवं 5 खाली स्थान भरो? प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। परीक्षण की अवधि 45 मिनट थी।
2. **प्रतिक्रिया मापनी** :– प्रतिक्रिया मापन हेतु शोधार्थी द्वारा प्रतिक्रिया मापनी उपचार से संबंधित 20 कथनों को अबोध पर प्रभाव से संबंधित थे। प्रत्येक कथन हेतु तीन विकल्प रखे गये जो इस प्रकार थे :– सहमत, अनिश्चित, असहमत इनमें से किसी एक विकल्प पर विद्यार्थी को सही का चिन्ह लगाना था।

परिणाम तालिका :–

प्रदत्त गतिविधि :– शोध प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित संख्यिकीय तकनीकों को अपनाया गया।

1. गतिविधि समूह के विद्यार्थियों के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि माध्यों की तुलना हेतु सहसंबंध टी–टेस्ट का उपयोग किया।
2. पूर्व उपलब्धि की सहचर लेते हुए प्रायोगिक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के माध्यों की तुलना हेतु *One Way Analysis Of Covariance* का उपयोग किया गया।
3. विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में विकसित गतिविधि व सामग्री की प्रभाविकता के अध्ययन हेतु प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया।

परिणाम एवं विवेचना :– प्रस्तुत शोध के उद्देश्य

1. गतिविधि समूह के विद्यार्थियों के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि माध्यों की तुलना करना।
2. गतिविधि समूह और परम्परागत विधि समूह के उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है।
3. गतिविधि की प्रभाविकता का विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अध्ययन करना।

तालिका कमांक 2

परीक्षण	N	$Mean$	SD	R	$t-value$
पूर्व परीक्षण	30	7.6333	2.822	0.312	8ण्831
पश्च परीक्षण	30	13.4333	3.276		

तालिका क्रमांक 3

उपलब्धि के संदर्भ में एकमार्गीय $ANCOVA$ का सार जबकि पूर्व उपलब्धि को सहचर के रूप में लिया गया है।

विचरण के स्त्रोत	dt	$S.Syx$	$Mssy.y$	F
पूर्व परीक्षण	01	71.104	.72.104	9ण्180
पश्च परीक्षण	57	441.481	7.737	
योग	58			

परिणामों की विवेचना :– उपरोक्त परीणामों के अध्ययन से पता चलता है कि कक्षा नवमीं के विद्यार्थियों के प्रायोगात्मक समूह को गतिविधि शिक्षण से पढानें पर उनकी उपलब्धि में सुधार हुआ है। अतः इस संदर्भ में दिया गया उपचार सार्थक रहा एवं परिणाम सकारात्मक रहे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Brown R 1981: Goals of Reflection of the need of the learner. In Morris, R. (Ed.) studies in mathematics education UNESCO, Peris,
2. Buch, M.B. (Ed) 1979: Second survey of Research in Education, society for educational research and Development Baroda,
3. Buch, M.B. (Ed.) 1979: Fourth Survey of Research in Education, society for educational research and Development Baroda,
4. Chitriv, U.G 1988: Ausubel Vs Bruner Model for Teaching Mathematics, Himalaya Publishing House, Bombay.
5. Director NCERT (Ed.) 2000: Fifth survey of educational Research and Training. NCERT, New Delhi,.
6. Kapur, J.N 1989: Some aspects of Mathematics Education in India, Arya Book Depot, New Delhi,
7. Kaushik, V.K. and Sharma, S.A 2002.: Modern Method of Teaching Anmole publications Pvt. New Delhi.
8. Maheshwari B.K. 2005 Ganit Shikshan International Publishing House, Merrut.
9. NCERT 1984: Content- Cum- Methodology of Teaching Mathematics, NCERT. New Delhi.
10. Pal H.R. 2004 Education Research Madhya Pradesh Hindi Grnath Academy Bhopal..
11. Singh B 1988: Teaching-Learning Strategies and Mathematics Creativity Mittal Publication, Delhi.
12. Thilaka, S. and Rajeshwari H 2005: Simulated Experimental in Biotechnology. Journal of all India Association for education Research. Vol. 17, New Delhi, 3 and.

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

छायावाद और मानव मूल्य

डॉ. भावना शुक्ल

द्विवेदी युग की इतिवृतात्मक ,गद्यवत ,बहिर्मुखी कवितओं की प्रतिक्रिया स्वरुप छायावाद का विकास हुआ द्य हिंदी साहित्य में छायावाद विशेष रूप से के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य–धारा है द्ययह सामान्य रूप से भावोच्छवास प्रेरित स्वच्छन्द कल्पना–वैभव की वह स्वच्छन्द प्रवृत्ति है जो देश–कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा, आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छन्दता की इस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा द्यछायावाद के जनक प. मुकुटधर पाण्डेय है द्यइसमें जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि मुख्य कवि हुए ये छायावाद के आधार स्तंभ है द्य । इसके आधार पर हिंदी साहित्य में छायावादी युग और छायावादी आंदोलन को भी स्थान मिला।
अचार रामचंद्र शुक्ल का मत है कि छायावाद रविंद्र के प्रभाव से और बंगला के माध्यम से हिंदी में आयाद्य वैसे अभिव्यंजना की शैली मात्र मानते थे छायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिये। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य–वस्तु से होता है अर्थात् जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। इस अर्थ का दूसरा प्रयोग काव्य–शैली या पद्धति–विशेष के व्यापक अर्थ में होता है' छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन।

हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है.. छायावाद शब्द का प्रचलन बांग्ला के काव्य में नहीं पाया जाता. द्विवेदी जी लिखते हैं कि छायावाद हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास था, यह लव बंगला से आया नाइस आई संतों की छाया भाग से. छाया भाग तो हमारे संतों की वाणी से होता रहा यह उधार लिया धन नहीं. इस श्रेणी के कवि ग्राहिकाशक्ति से बहुत अधिक संपन्न थे और सामाजिक विषमता और असामंजस्यों के प्रति अत्यधिक सजग थे। शैली की दृष्टि से भी ये पहले के कवियों से एकदम भिन्न थे। इनकी रचना मुख्यतः विषयि प्रधान थी। सन् 1920 की खड़ीबोली कविता में विषयवस्तु की प्रधानता बनी हुई थी। परंतु इसके बाद की कविता में कवि के अपने राग–विराग की प्रधानता हो गई। विषय अपने आप में कैसा है ? यह मुख्य बात नहीं थी। बल्कि मुख्य बात यह रह गई थी कि विषयी (कवि) के चित्त के राग–विराग से अनुरंजित होने के बाद विषय कैसा दीखता है ? आचार्य नंददुलारे वाजपेई का अभिमत है" चारबाग को हम शुक्ल जी के अनुसार अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली नहीं मांग सकेंगे. इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभाव का उद्‌गम है.एक स्वतंत्र दर्शन की योजना भी है. पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्ट तक पृथक अस्तित्व और गहराई है."
डॉ नगेंद्र के अनुसार" छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति हैद्य"1920 के आसपास, युग की उद्‌बुद्ध चेतना ने बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर, जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की, वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई'द्य
नामवर सिंह के अनुसार ...

' छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है, जो १६१८ से ३६ ई. के बीच लिखी गईं।' वे आगे लिखते हैं– 'छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से।'
डॉ देवराज ने छायावाद को आधुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध अलौकिक चेतना का विद्रोह मानाद्य "
जयशंकर प्रसाद के अनुसार...

'काव्य के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश–विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया।' प्रसाद जी अंत में कहते हैं– छायावादी कविता भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति–विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएँ हैं।'

सुमित्रानंदन पंत....छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं।

महादेवी वर्मा....छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को मानती हैं और प्रकृति को उसका साधन। उनके छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिम्ब–प्रतिबिम्ब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति अपने दुख में उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी'इस प्रकार महादेवी के अनुसार छायावाद की कविता हमारा प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कराके हमारे हृदय में व्यापक भावानुभूति उत्पन्न करती है और हम समस्त विश्व के उपकरणों से एकात्म भाव संबंध जोड़ लेते हैं। वे रहस्यवाद को छायावाद का दूसरा सोपान मानती हैं।

प्रसिद्ध लेखक समीक्षक पंडित हरि कृष्ण त्रिपाठी के अनुसार" छायावादी काव्य शैली के प्रारंभिक पुरस्कार कर्ता है पंडित मुकुटधर पांडेय" त्रिपाठी जी लिखते हैं" जबलपुर से प्रकाशित होने वाली और पंडित नर्मदा प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित" श्री शारदा" 1 जुलाई. सितंबर. नवंबर और दिसंबर सन 1920 के अंकों में पांडे जी ने एक लेखमाला लिखकर प्रचलित नई शैली कविता का नामाभिधान किया" छायावादद्य" इस तरह वही सर्वप्रथम इस नवीन काव्य के रूप में व्याख्याकार बनेद्य"

कवि – समीक्षक डॉक्टर पूनम चंद तिवारी का मत है की " छायावाद शब्द सर्वप्रथम मुकुटधर पांडेय द्वारा प्राप्त हुआ हैद्य" ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, मानवीकरण, प्रतीकात्मकता, गीतात्मक ता, चित्रात्मकता, आदि छायावादी शैली की विशेषताएं हैंद्य"

डॉ विनय मोहन शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह ने भी मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया हैद्य

सन 1990 से 1920 तक का समय छायावाद के प्रस्फुटन–प्रयोग का काल हैद्य विभिन्न विद्वानों ने' छायावाद' को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है द्य

प्रोफेसर शिवनंदन प्रसाद का मत है कि" छायावाद तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति हैद्य"

डॉ शंभुनाथ लिखते हैं कि" 1919 से लेकर 1939 तक की हिंदी कविता में छायावाद, जिसमें पूंजीवादी और राष्ट्रीयता वादी विचारधारा की प्रधानता थी, प्रारंभ और विकास हुआद्य"

" छायावाद के उत्तर आने पर प्रगितियों का बाहुल्य हो गया और छायावादी कवि प्रबंध रचना से विरत से हो गए जो प्रबंधन के हाथों निर्मित हुए, वह भी प्रतीकात्मक ही हुएद्य"

वास्तव में छायावाद युग को गीत युग ही कहा जाना चाहिए इस युग के बहुसंख्यक कवियों की प्रवृत्ति गीत द्य रचना की ओर रही है द्य इस युग में प्रगीत, मुक्तकों, गीतों और गीत प्रबंधों का प्राधान्य हैद्य यह सब गीत काव्य के ही विभिन्न रूप हैंद्य छायावाद युग में गीत काव्य की शैली बदलीद्य काव्य और संगीत शास्त्र का काफी कुछ विच्छेद हो गया और गीतिका विनय संगीत शास्त्र शास्त्र के नियमों को शिथिल कर दियाद्य

किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि छायावादी गीतों में संगीतात्मकता का अभाव हैद्य इस युग में संगीत तत्व भावनाओं का अनुच्छेद – बनकर गीतिकाव्य में अभिव्यक्त हुआ संगीत व के मात्रा भेद के कारण है गीत और प्रगीत मुक्तक के रूप विधान संबंधी भेद उत्पन्न हो गयाद्य छायावादी गीतों में अंतरा का विधान उसकी विशेषता है

डॉ शंभुनाथ सिंह ने अपने ग्रंथ छायावाद युग में लिखा है कि गीतिकाव्य संगीतात्मक रूप में प्रयुक्त ऐसे शब्दों की योजना है जो तीव्र वयक्तिक और संवेदनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैंद्य वस्तुतः गीति काव्य के रूप से अधिक उसके भाव पक्ष की विशेषताओं को व्यक्त करता है प्रगीत मुक्तक और गीत के साथ ही वीर गीति , शोकगीति संबोधि की थी, व्यंग गीति ,साधावासन गीति, गीतिनाट्य प्रबंध आदि प्रकार के गीतिकाव्य छायावादी कविताओं में पाए जाते हैं

छायावाद के आरंभ के संबंध में विद्वानों का यह मानना है यह अंग्रेजी के रोमांटिक साहित्य के प्रभाव का परिणाम है प्रसाद,पन्त आदि की आरंभिक कविताओं पर अंग्रेजी के वड्र्सवर्थ शैली के आदि के प्रभाव की महत्ता विद्वानों ने मानी थी इसमें सर्व विदित है कि छायावादी काव्य नितांत विदेशी प्रभाव का परिणाम मात्र नहीं है छायावाद की प्रेरणा स्रोत विदेशी साहित्य अवश्य है किंतु उसकी आत्मा पूर्ण भारतीय ही हैद्य छायावाद में जीवन का रस ग्रहण भारतीय चिंतन धारा और दार्शनिक परंपरा से किया है द्य

हिंदी साहित्य में छायावाद को साहित्यिक सौंदर्य का स्वर्णिम शिखर कहा जाता है जिसमें प्रकृति की सजीवात्मकता सौन्दर्य छटा के साथ–साथ मनुष्य का सौंदर्य बौद्ध और उसका कल्पनालोक पूर्णता आलोकित है छायावाद के चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी की जो कीर्ति पताका

लहराई है उस का प्रमुख आधार आधुनिक हिंदी साहित्य का छायावादी काव्य है छायावादी साहित्य मानव मूल्यों की सर्वश्रेष्ठ साधना हैद्य व्यष्टि और समष्टि चेतना का सुंदर समन्वय इस कालजयी साहित्य में दिखाई देता है

छायावादी काव्य प्रमुख रूप से आत्मभिव्यंजन विशेषता दृष्टिगत होती है

छायावादी कवियों ने व्यक्ति की स्वयं की अनुभूतियों को कविता में इस प्रकार व्यंजित किया कि पाठक सहज भाव से उसमे इतना उसमें तल्लीन हो जाता हैद्यछायावादी काव्य में अनुभूति की इस प्रधानता प्रमुख है यहाँ कवि अंतर्मुखी होकर अपने मन के अंदर जो होकर सुख दुख की अनुभूति को व्यक्त करता है । जयशंकर प्रसाद की ये वेदना ..

''जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई।
दुर्दिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आई।

प्रकृति चित्रण – छायावादी कवि प्रेम और सौन्दर्य के कवि है। उन्होंने ने प्रकृति क्र सौन्दर्य को एक अलग दृष्टि से देखा है द्यधरती,पर्वत ,वन ,झरने ,अम्बर ,नदिया ,बदल आदि के सन्दर्भ में एक कवि के अनूठे भाव हैद्य

''उड़ गया अचालक लो भूधर
फड़का अपार वारिद के पर।

प्रकृति में गति का यह चैतन्य वर्णन पूरी तरह से आधुनिकता का प्रतीक है; मानो यह सुन्दर, भव्य, अलौकिक प्रकृति आज ही ऐसा क्रियाकलाप कर रही हो, इससे पहले ऐसा शायद कभी हुआ ही नहीं था। निराला के 'बादलराग, पंत के परिवर्तन, प्रसाद की 'कामायनी में चित्रित प्राकृतिक दृश्यों की मनोरमा निराली है। प्रकृति के मधुर रूपों के प्रति कवि–हृदय में प्रबल आकर्षण है क्योंकि प्रकृति में अक्षत सौन्दर्य है, यौवन की मुग्धावस्था है। सूर्य की प्रथम रश्मि नवविकसित कलियों का मुख चूमकर, उनके अंग–अंग में मुस्कान का पराग बिखेर देती है। पल–पल परिवर्तित प्रकृति के परिवेश में आनन्द, और ज्ञान, सौन्दर्य–पिपासा की वृत्ति और आत्मबोध का स्फुरण इस युग के प्रकृति–चित्राण के अंग–अंग में बसा है। प्रसाद ने रात्रि को संबोधित करते हुए कहा है–

''पगली ! हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल।
देख बिखरती है मणिरानी, अरी उठा बेसुध चंचल।

निराला ने संध्या का चित्रण करते हुए इसी प्रेम को तो अभिव्यक्त कर रहे हैं–

''दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह संध्या सुंदरी परी सी
धीरे धीरे धीरे ।।

रहस्यभावना – छायावाद में अंतर्मुखी प्रकृति का चित्रण हुआ है जो कवि की आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। इसे ही कवि की रहस्यवादी भावना भी कहा गया।

''विश्व के पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न अजान।
न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्राण देता मुझको मौन।।

जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति में परम सत्ता को खोजने का प्रयत्न किया–

''हे विराट! ये विश्वदेव! तुम कौन हो ऐसा होता भान।
मंद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान।।

महादेवी वर्मा प्रेम और वेदना के कारण इस सृष्टि के सूत्र धार के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती हैं–

''कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात।
मिटाता रंगता बार–बार, कौन जगा का वह चित्राधार।।

नारी सौन्दर्य का चित्रण दृरीतिकाल में नारी के नख से शिख तक का वर्णन किया है द्य द्विवेदीकाल में में कुछ सयंमित भाव देखने को मिला द्य छायावादी कवि प्रेम और सौन्दर्य का पुजारी है अतः नारी सौन्दर्य के चित्राण में सूक्ष्मता और शीलता का भाव देखने को मिलता है।

''नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल गुलाबी अंग।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग।

राष्ट्रीयता की विशेषता में कवि ने कहा है यह युग भारतीय जीवन के लिए विषय संघर्ष का काल था। साम्राज्यवादियों के चंगुल में फँसे देशवासियों को महात्मा गाँधी सत्य और अहिंसा पर आधारित असहयोग आंदोलन के पथ पर ले जा रहे थे। इस युग के कवियों ने एक ओर भारत की आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए देशवासियों का आहवान किया द्यअनेक कवियों ने अपनी कलम से देश के जनमानस को जागरूक करने का सन्देश दियाद्य

''क्या? देख न सकती जंजीरों का गहना।
हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज्य का गहना।।

'नवीन पराजित और चिरदोहित होकर भिखमंगे की तरह जीवन की नियति को स्वीकार करने वाले दीन वर्ग को इन शब्दों में झकझोरते हैं–

''ओ भिखमंगे, अरे पराजित, ओ मजलूम, अरे चिरदोहित,

तू अखण्ड भण्डार शक्त कि, जाग अरे निद्रा सम्मोहित।
प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जल–थल भर दे।
अंगारों के अंबारों में अपना जवालित पलीता भर दे।
जनता का आत्मविश्वास जगाने का एक अन्य उपाय था– अतीत का गौरवगान। दूसरी ओर निराला 'दिल्ली कविता में अतीत के गौरव की तुलना देश की वर्तमान दुर्दशा से करते हैं– ''क्या यही वही देश है? माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की तो यही अभिलाषा है–
''मुझे तोड़ लेना वननाली, उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक।।
मानवतावादी दृष्टिकोण – छायावादी कवियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम मानकर समूची मानव जाति के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव व्यक्त किया। श्रद्धा मनु को निराशात्मक भावना को समाप्त करके निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हुए कहती है–
''बनो संसृति के मूल रहस्य,
तुम्हीं से फैलेगी वह बेल।
विश्वभर सौरभ से भर जाए,
सुमन के खेलो सुंदर खेल।
पंत ने 'सुंदर है विहग सुमन सुन्दर, मानव तुम सबसे सुन्दरतम कहकर मानव के महत्त्व को प्रस्तुत किया। यही दृषिट नारी के प्रति पूज्य भाव में भी प्रकट होती है।
''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।
मानवतावादी दृषिटकोण को ही प्रचार और प्रसार देते हुए 'निराला में शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना 'भिक्षुक 'विधवा, 'इलाहाबाद के पथ पर, 'बादल राग आदि कविताओं में दिर्खाइ देती है।
वेदना और करुणा – छायावादी काव्य में वेदना, करुणा, पीड़ा, निराशा की भी अभिव्यक्त हुइ है।पंत के वेदना और करुणा को कविता का मूल माना है–
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान।
महादेवी वर्मा का तो समस्त काव्य वेदना और पीड़ा से ओत
"मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर
रहने दो प्यासी आँखें भारती आंसू का सागर द्य"
पीड़ा और वेदना की तीव्र अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें वेदना की कवयित्री कहा गया है
स्वच्छंदतावाद विशेषता में – विषय, भाव, कला, धर्म, दर्शन आदि में छायावादी कवि ने नवीन चिंतन पद्धति को उदघाटित करते हुए, आधुनिक जीवन से संबद्ध रचनाएँ प्रस्तुत कीं। धीरे–धीरे कवि पुरानी परिपाटी को छोड़कर स्वच्छंद होता गया। 'ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नविक धीरे–धीरे– जैसी पंक्तियों में इसी भाव का प्रमाण हैं।
हास्य व्यंग्यात्मक काव्य विशेषता – 'इश्वरीप्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, उग्र व बेढव बनारसी प्रभृत्ति कवियों ने इस विषय पर प्रमुख रूप से रचनाएँ लिखीं।
''बाद मरने के मेरे कब्र पर आलू बोना
हश्र तक यह मेरे ब्रेकफास्ट के सामाँ होंगे,
उम्र सारी तो कटी घिसते कलम ए बेढ़ब
आखिरी वक्त में क्या खाक पहलवाँ होंगें।
अंततः हम कह सकते हैं कि छायावाद की छाया में पल्लवित एवं पुष्पित होने वाली 'उत्तर–छायावादी' कविता हिंदी साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ सन् 1930 के आसपास छायावादी काव्य में ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ उभर रही थी जिसमे कवि एक ओर छायावाद की मानवीयता और 'उस पार' से मुक्त होकर ठोस अनुभव के धरातल पर 'इस पार' की रचना कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता –आंदोलन की प्रखरता में क्रांतिकारियों की धर –पकड़ और उन्हें फांसी पर लटकाया जाना आदि से कवियों की फक्कड़ाना, मस्ती, क्रांतिकारी भावना तीव्र हो उठी जिससे 'उत्तर–छायावाद' के दौर में काव्य चेतना दो दिशाओं की ओर अग्रसर हुई वैयक्तिक कविता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता द्य
मानव मूल्य
संसार का प्रत्येक मानव सुखी हो कर इस संसार में जीना चाहता है मानव एक सामाजिक प्राणी है वह अपने संपूर्ण जीवन में जीवनविद्या अर्थात जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान को समझ कर सुखी होने का मार्ग बनता है प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है सभी का भाव एक ही प्रकार का है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके गुणों से होता है उसके उसे सही गलत अच्छे बुरे की परख जब वह विद्यालय जाता है तो उसे आती है प्राचीन काल में देखा जाए तो धार्मिक शिक्षा के साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी अवश्य दी जाती थी लेकिन वक्त के साथ–साथ शिक्षा कम होती चली गई आज वैश्वीकरण के इस युग में मूल्य आधारित शिक्षा की भागीदारी लगातार घटती जा रही है सांप्रदायिकता जातिवाद

हिंसा अस्पृश्यता चोरी–डकैती आदि की प्रगति समाज में मूल्यों के विघटन के उदाहरण है यहां मैं एक बात जरुर कहना चाहूंगी कि शिक्षक का भी सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि वह विद्यार्थी को मानव मूल्यों के महत्व को समझाएं उन्हें अपने जीवन अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएं सबसे पहले तो शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार में इन मूल्यों को हिस्सा बनाएं फिर बच्चों के दैनिक व्यवहार में इसे लाने का प्रयास करें स्कूलों से समाज की अपेक्षा होती है कि वह तर्कशील मनुष्य प्रदान करें इसलिए स्कूलों में ही जरूरी मानव मूल्यों की शिक्षा नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने से हम झुक जाएंगे यह अत्यंत आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों में उल्लिखित मूल्यों के प्रति शिक्षक समाज चिंतनशील हो उन्हें बच्चों के दैनिक जीवन में यह ले कर के आएद्य

जब हम मानव मूल्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। अपनी परिस्थितियाँ, इतिहास–क्रम और काल–प्रवाह के सन्दर्भ में मनुष्य की स्थिति क्या है और महत्त्व क्या है–वास्तविक समस्या इस बिन्दु से उठती है। समस्त मध्यकाल में इस निखिल सृष्टि और इतिहास–क्रम का नियन्ता किसी मानवोपरि अलौकिक सत्ता को माना जाता था। समस्त मूल्यों का स्रोत्र वही था और मनुष्य की एक मात्र सार्थकता यही थी कि वह अधिक से अधिक उस सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करे। इतिहास या काल–प्रवाह उसी मानवोपरि सत्ता की सृष्टि था–माया रूप में या लीला रूप में।

आधुनिक युग में मानव ने जब प्रवेश किया वैसेदृवैसे मानवीय सत्ता का ह्रास होता गया द्य मनुष्य की गरिमा का नये स्तर पर उदय हुआ और माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वतः सार्थक और मूल्यवान् हैद्यवह स्वयं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है द्यसम्पूर्ण संसार के केंद्र में मानव है द्य

छायावाद और मानव मूल्य विषय के अंतर्गत हम यह कह सकते है छायावाद की कविताओं में मानवीयता के दर्शन होते है

सन्दर्भ

हिंदी साहित्य का इतिहास .आधुनिक काल
उत्तर छायावाद परिवेश और प्रवृतियां
बृहत हिंदी साहित्य

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

बौद्ध धर्म में नारी स्वतंत्रता

डॉ0 बसंत कुमार

UGC NET, WOMEN STUDIES, DOCTORAL FELLOW ICSSR, NEW DELHI
ASST. PROFESSOR DEPT. OF WOMEN STUDIES, MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA – 824234

भगवान बुद्ध का धर्म प्राणि मात्र के कल्याण के लिए है। बौद्ध धर्म के विकास के कालक्रम में संघ में स्त्रियों के प्रवेश की बात उठी। यह विदित है कि भगवान बुद्ध प्रारंभ में स्त्रियों के संघ में प्रवेश को उचित नहीं मानतेथे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर कि स्त्रियाँ भी प्राणी है। उन्हें भी धर्म का लाभ मिलनाचाहिए। भगवान ने आठ कड़े नियमों के साथ स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इससे संघ की स्थापना में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकी।

बौद्ध धर्म में स्त्री तथा पुरूष दोनों को आनागारावस्था में समान रूप से साधना कर मुक्ति एवं अर्हत् पद को प्राप्त करने का अधिकारी बताया गया है।1 थेरीगाथा में एक भी स्त्री को यह सलाह नहीं दी गई कि वह अपने पति से दुःखी होने के
कारण दूसरे व्यक्ति से पुनर्विवाह कर ले।2 बौद्ध साधक एवं साधिका संघ में प्रव्रजित होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। प्रव्रज्या हेतु उस संघ में सदस्यता भी लेनी पड़ती है। भगवान का ऐसा कहना था कि ''स्त्रियाँ भी पुरूषों के समान ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसकी प्राप्ति हेतु उन्हें भी आध्यात्मिक विकास की अवस्थाओं को अनुशरण करना होगा।'' बौद्ध मत में साधक के लिए निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अर्हत्व की अवस्थाओं का पालन करना होता है। इन्हें ही बौद्धगण भूमियाँ कहते हैं। अर्हत्व की अवस्थाएँ निम्न प्रकार है –'स्त्रोतापन्न या स्त्रोतापति' का शाब्दिक अर्थ– साधना मार्ग पर आरूढ़ होकर साधक का अपने लक्ष्य की ओर अभिमुख होना है। अर्थात् जो साधक निर्वाण की ओर जाने वाली उन्नत्ति की धरा में पड़ गया है, अब उसका पतन नहीं होगा। सात जन्मों के
अन्दर वह अवश्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। इस अवस्था में साधक बुद्ध धर्म व संघ के प्रतिशील–समाधि से युक्त हो श्रद्धा रखता है। 'सकृदागामी' से तात्पर्य एक बार आने वाले से है। इस अवस्था में साधना का मुख्य लक्ष्य साधक द्वारा पूर्णरूपेण काम, राग, द्वेष आदि भावनाओं का नाश करके अनागामी अवस्था की ओर अग्रसर होना होता है। उपर्युक्त स्त्रोतापन्न और सकृदागामी अवस्थाओं के द्वारा सम्पूर्ण बन्धनों का नाश करके ही साधक या साधिका आनागामी पद का प्राप्त करते हैं। ऐसे साधक इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि किसी दिव्यलोक, ब्रह्मलोकद्ध को ग्रहण करते हैं। 'अर्हतावस्था' में साधक के लिए शेष बंधनों का भी त्याग आवश्यक होता है। ये बंधन रूप, अरूप, मान, औचत्य एवं अविद्या है। इनके नाश से साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं तथा उसके सभी दुःखों स्कन्धेंद्ध का अन्त हो जाता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसे ही हम जीवनमुक्ति की अवस्था भी कहते हैं तथा ये हीं बौद्ध धर्म में आध्यत्मिक उन्नत्ति प्राप्त साधकों की अवस्थाएँ हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि निर्वाण पद की इन अवस्थाओं को प्राप्त किये बिना कोई भी, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरूष, निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन अवस्थाओं के अनुशरण और पालन में भी ऐसे कोई स्पष्ट भेद नहीं दर्शाया गया है कि इन अवस्थाओं में साधना केवल पुरूष ही कर सकते है, स्त्रियाँ नहीं, क्योंकि तथागत ने स्वयं स्त्री और पुरूष दोनों को समान रूप से आनागारावस्था में मुक्ति पद का अधिकारी कहा है। अतः निर्वाण हेतु साधना की उपर्युक्त अवस्थाओं की अधिकारिणी स्त्रियाँ भी होती हैं और हुई हैं।3 भगवान ने स्वयं स्त्रियों के घृणित रूपों से प्रव्रज्या की अन्तिम प्रेरणा पाई थी, इसी कारण अपने गृह त्याग की सूचना अपनी पत्नी को न मिलने दी। इससे यह आरोपित किया जा सकता है कि बुद्ध स्त्रियों को सांसारिक दुःखों का मूल कारण मानने के साथ–साथ उन्हें दुःख विनाश में बाधक भी मानते थे, इसीलिए उन्हें 'ब्रह्मचर्य का विकार' कहा गया है।4

भगवान बुद्ध स्त्रियों को संघ के लिए घातक मानते थे क्योंकि इससे व्याभिचार को बढ़ावा मिलने के खतरे थे।5 बौद्ध संघ में भिक्षुणी संघ की स्थापना भिक्षु संघ स्थापित होने के पाँच वर्ष के पश्चात् हुई। भगवान बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा कपिलवस्तु में

स्त्रियों की प्रव्रज्या–अनुरोध को तथागत के अस्वीकार कर देने पर पुनः गौतमी केश कटवाकर कषाय वस्त्र धरण करके पद यात्रा करती हुई वैशाली पहुँची। वैशाली में आनन्द द्वारा पूछे जाने पर अपना उद्देश्य उन्होंने बताया। आनन्द के द्वारा स्वयं स्त्रियों की प्रव्रज्या के अनुरोध को तथागत ने अस्वीकार कर दिया, तब आनन्द ने भगवान को उन्हीं के उन उपदेशों का स्मरण करवाया, जिनमें स्त्रियों को मुक्ति व अर्हत पद की अधिकारिणी बताया गया था।6 इस प्रकार आनन्द द्वारा अनेक तर्क–वितर्क किये जाने पर बुद्ध ने अनिच्छापूर्वक स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने और प्रव्रज्या व उपसम्पदा देने का विधन किया।7 भगवान ने स्त्रियों को संघ में पात्रता देने के साथ–साथ कुछ कठोर नियमों का उपदेश भी दिये। 'चुल्लवग्ग' इन नियमों को अष्ट 'गुरू धर्मों' की संज्ञा दी गई है।8 इन नियमों का पालन करना प्रत्येक भिक्षुणी के लिए अनिवार्य था, जिसमें मुख्य रूप से भिक्षु ही भिक्षुणी को उपदेश देगा, पन्द्रह दिनों की पक्षमानत्व, भिक्षुणी की विद्वेष या दुर्व्यवहार, साथ में वर्षावास नहीं करना, भिक्षुओं का अभिवादन, अंजली जोड़ना, कुशलक्षेम आदि का पालन करना।9

उपर्युक्त आठ गुरू धर्मों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने कुछ अतिरिक्त नियम पाचित्तिय में बुद्ध मात्रा भिक्षुणियों हेतु बनाया। यह व्यवस्था संघ में ब्रह्मचर्य को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए किया गया था।10 स्त्री अपने स्त्रीजन्य स्वाभाव के कारण सौन्दर्य प्रसाधन आदि का उपयोग नहीं करना है।11 इस प्रकार आठ गुरू–धर्म और अतिरिक्त विशेष नियमों के साथ संघ में स्त्रियों ने पात्रता लेकर प्रव्रज्या प्राप्त की। इन स्त्रियों ने विभिन्न साधना अवस्थाओं में प्रवज्जित होकर निर्वाण प्राप्त किया। कुछ निर्वाण प्राप्त सपफल थेरियों भिक्षुणियोंद्ध के उदाहरण थेरीगाथा में निर्वाण के संदर्भ में प्राप्त होते हैं।12 इनमें एक भिक्षुणी सुमेध,13 सुन्दरीनन्दा,14 सोणा,15 सकुला,16 वाशिष्ठी,17 एवं क्षेमा नामक भिक्षुणी की चर्चा की गई है।18 कृशागौतमी ने भी मुक्ति प्राप्त कर अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार से करती है ''अहो! मैं इस अवस्था में भी उस स्थान पर पहुँची हूँ, जहाँ मृत्यु नहीं है।19'' पूर्वोक्त सपफल थेरियों के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान ने स्त्रियों को निर्वाण की अधिकारिणी मानते हुए उन्हें संघ में प्रव्रज्या का अधिकार दिया। उन्होंने न केवल संघ में ही स्त्रियों का महत्व बताया, अपितु विभिन्न सामाजिक प्रसंगों में भी स्त्रियों की प्रशंसा की है। उदाहरणार्थ बौद्ध युग के प्रारंभ में कन्याओं के जन्म पर अत्यंत खेद प्रकट किया जाता था। सामाजिक दृष्टि के साथ–साथ धर्मिक दृष्टि से भी पुत्र प्राप्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता था। परन्तु भगवान बुद्ध ने उक्त भेद–भाव की खाई पाटने का प्रयास किया है। पुत्रियों को भी सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्रता देते हुए उन्हें पवित्र माना। साथ ही उनके साथ उन्होंने अनैतिक आचरण करने वाले को 'प्राणदण्ड' देने का उपदेश दिया। माता के रूप में भी बौद्ध युग में नारी के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित किया गया। स्वयं बुद्ध ने जननी के निःस्वार्थ प्रेम की सदैव सराहना की।20

इस प्रकार बौद्ध धर्म में जात–पात का कोई महत्व नहीं रहगया और हर 'बौद्ध' को किसी भी दूसरे बौद्ध से विवाह संबंध स्थापित करने की सलाह दी एवं बाल–विवाह, वृद्ध–विवाह एवं अनमेल विवाह को हर तरह से वर्जित और निषिद्ध मानागया है।21

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन में तमाम वर्जनाओं का पालन करते हुए स्त्रियाँ पुरूषों के समान स्थान प्राप्त करते हुए संघ में समान मुक्ति या निर्वाण पद को सपफलतापूर्वक प्राप्त की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विनय कुमार सिंह 'निराला', बौद्ध प्रज्ञा सिन्धु, न्यू भरती कॉरपोरेशन, दिल्ली, संस्करण – 2014, पृष्ठ – 13
2. डॉ. धर्मवीर, थेरीगाथा की स्त्रियाँ और डॉ. अम्बेडकर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण – 2005, पृष्ठ – 41
3. पाटाचार, सपफल स्त्रोतापन साधिका हुई, अनुपमा ने अनागामी पफल को प्राप्त किया, थेरीगाथा।
4. संयुक्तनिकाय 1/6
5. मनुस्सा तं भिक्खुनि पस्सित्वा दूसेसुं। पचितियद्ध, पृष्ठ – 306 एवं चुल्लवग्ग, पृष्ठ – 388
6. ''सचे भन्ते... मातुगामो पब्बज्जायं'' वही पृष्ठ – 377
7. ''सचे आनन्द... न तं ब्रह्मचरियं चिरट्ठिकं होति,'' वही पृष्ठ – 373
8. भगवान बुद्ध पृष्ठ – 168–169, विनयपिटक, चुल्लवग्ग– 1/1/2
9. वही 10/1/2, पृष्ठ – 374–375

10. पाचित्तिय, पृष्ठ – 384 एवं महावग्ग, पृष्ठ – 309 एवं चुल्लवग्ग, पृष्ठ – 390–391
11. ''अलंकार धरणे, गंध्वरणक नहाने, वासितक पत्रिका नहाने'' पाचित्तिय, पृष्ठ – 87–89
12. भरत सिंह उपाध्याय, थेरीगाथा, हिन्दी रूपान्तर।
13. थेरीगाथा, गाथा सं.–516
14. वही, सं.– 83
15. वही, सं.– 104
16. वही, सं.– 101
17. वही, सं.– 137
18. वही, सं. 170–171
19. वही, सं.– 221–222
20. कोमल चन्द्र जैन, बौद्ध तथा जैन आगामों में नारी जीवन, पृष्ठ – 238–239
21. डॉ. भदन्त आनन्द कौसत्यायन, बौद्ध जीवन पद्धति, बुद्धभूमि प्रकाशन, नागपुर, संस्करण – पाँचवां, 1994

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

जबलपुर मण्डल में कर्मचारियों के मध्य भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यप्रणाली के संबध में संतुष्टि स्तर का अध्ययन

सुप्रभा

शोधार्थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

सारांश :– बीमा, सुरक्षा एवं निश्चितता प्रदान करने वाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा बीमा प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस बात से निश्चिन्त हो होता है कि भविष्य में यदि कोई घटना घटित हो जाती है जिससे उसे हानि होती है तो बीमा करने वाली संस्था उसकी इस हानि की क्षतिपूर्ति करेगी, जिसके बदले बीमा प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहले से नियत राशि प्रतिफल के रूप में निश्चित शर्तों के अनुसार बीमा करने वाली संस्था को चुकाता रहेगा।

इस अध्ययन में मुख्यतः जीवन बीमा निगम का विस्तृत वर्णन किया गया है। जीवन बीमा अनुबन्ध मानव का आर्थिक कठिनाईयों के विरुद्ध सुरक्षा का एक सहकारी उपाय है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मृत्यु से उत्पन्न परेशानियों से मुक्ति हेतू आर्थिक सहायता का प्रबन्ध किया जाता है। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य जबलपुर मण्डल में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर को जाँचना है।

परिचय :– बीमा का प्रारम्भ कब, क्यों, कैसे तथा कहाँ हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कई विद्वान कर चुके हैं तथा कई शोधकर्ता वर्तमान में कोशिश कर रहे हैं। बीमा का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। यद्यपि उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ ही बीमा का विकास हुआ है।

मानव सदैव ही अपने जोखिमों को कम करने की कोशिश करता रहा हैं और बीमा जोखिमों को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। मानव जीवन में निरंतर विद्यमान जोखिमों ने ही बीमा व्यवसाय को प्रेरणा दी हैं। यदि मनुष्य को यह पहले से ज्ञात हो जाए कि अमुक घटना द्वारा अमुक समय हानि होगी तो बीमा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः विपरीत घटना की सम्भावना तथा इसकी अनिश्चितता ही जोखिम का कारण होती हैं। कभी–कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनसे मनुष्य को भीषण आर्थिक हानि होती हैं। अग्नि के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती हैं। प्रत्येक उद्योगपति कारखाने में होने वाली दुर्घटना के कारण कर्मचारियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के प्रति सुरक्षा चाहता हैं। व्यापारी माल की टूट–फूट तथा अग्नि एवं बाढ़ से बचाव का साधन चाहता हैं। निर्यातकर्ता समुद्री हानियों से बचना चाहता हैं। जहाज का मालिक जहाज की सुरक्षा चाहता हैं तथा बेरोजगार बेकारी के दुष्प्रभावों से सुरक्षा चाहता हैं। मानव जीवन में विद्यमान इन जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न बीमा प्रणालियों का विकास होता रहा हैं। बीमा द्वारा विभिन्न जोखिमों से बचा जा सकता हैं। इससे मनुष्य अपने आपको सुरक्षित तथा चिंतामुक्त अनुभव करता हैं।

वर्तमान युग में बहुमूल्य लेख, मृदु कंठ, टाइपिस्ट की अंगुली, खिड़कियों के कांच तक का बीमा कराया जा सकता हैं। बीमा कराने से विपरीत घटना घटित होने पर बीमादार को बीमाकर्ता से आर्थिक क्षतिपूर्ति मिल जाती हैं। पीड़ित व्यक्ति (बीमादार) उस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता हैं क्योंकि उसकी हानि वहन करने की क्षमता बढ़ जाती हैं। बीमा के द्वारा दुर्घटना को तो नहीं रोका जा सकता हैं किन्तु दुर्घटना से होने वाली क्षति से मनुष्य को बचाया जा सकता हैं। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता हैं कि आज के जोखिम भरे जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा सबसे बड़ी आवश्यकता हैं।

इतिहास बताता हैं कि सबसे पहले समुद्री बीमा, इसके बाद अग्नि–बीमा और इसके बाद जीवन बीमा तथा सबसे अंत में विविध प्रकार के बीमा का प्रचलन हुआ।

उद्देश्य

1. भारत में जीवन बीमा निगम के उद्‌गम का अध्ययन

2. जीवन बीमा निगम से होने वाले विभिन्न लाभों की जानकारी

3. जबलपुर मण्डल में जीवन बीमा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना।

साहित्य की समीक्षा :– मेघा श्रीवास्तव, आलोक कुमार राय ने 2016 में जीवन बीमा उद्योग के संदर्भ में ग्राहक की वफ़ादारी के बारे में बताया। इस शोध पत्र ने जीवन बीमा सेवाओं के संदर्भ में ग्राहक वफादारी की विभिन्न अभिव्यक्तिओ का पता लगाया और अनुभवी परीक्षण किया, जिससे ग्राहकों की वफ़ादारी के परिणामों की विशिष्ट प्रकृति को रेखांकित करके, जीवन बीमा उद्योग में विपणन कर्त्ताओं को उपयोगी अंर्तदृष्टि प्रदान की तथा ग्राहक वफादारी के मौजूदा ज्ञान को विस्तारित किया। इस अध्ययन ने इन अभिव्यक्तियों के परिणाम को अलग–अलग वर्गों में वर्गीकृत किया और एक दूसरे के साथ तुलना करके अनुभवी मूल्यांकन किया। इसने जीवन बीमा सेवाओं के विशेष संदर्भ में ग्राहक वफादारी परिणामों के माप के लिए एक पैमाने को विकसित और मान्य करके ग्राहक वफ़ादारी के साहित्य को समृद्ध किया, चूँकि पूरे ग्राहक अपनी बीमाकंपनी के प्रति वफादार पाए गए थे।

एनागोल एस, कोल एस और सरकार एस, ने 2017 में भारत में जीवन बीमा एजेंटो द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में बताया है। उन्होंने भारत में जीवन बीमा एजेंटो द्वारा प्रदान की गई सलाह की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रों में अलग–अलग परीक्षण किए। एजेंटो ने अनुचित रूप से, सख्ती से, वर्चस्व वाले उत्पादों की सिफारिश की, जो एजेंट को उच्च कमीशन प्रदान करते है । एजेंट उनकी अवधारणाओं के गलत होने पर भी अनजान उपभोक्ताओं की मान्यताओं को पूरा करते हैं। उन्होंने पाया कि एजेंट ग्राहकों द्वारा भुगतान की गयी प्रीमियम की राशि को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं न कि बीमा क्षेत्र के ग्राहकों की आवश्यकता की ओर।

आर. राममोरथी, अंगप्पा गुनासेन, मैथ्यू राय, भरतेंद्र के.राय और एस. ए. सेंथिल कुमार ने 2018 में भारतीय जीवन बीमा के संदर्भ में दी जाने वाली सेवाओं और ग्राहकों को मिलने वाली संतुष्टि के बारे में बताया हैं। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र के संदर्भ में ग्राहक द्वारा प्रदत् सेवा गुणवत्ता आयाम्, संतुष्टि और व्यवहारिक इरादों की जांच करना था। इस अध्ययन ने उनके आयामी स्तर पर दोनों सरंचनाओं को जोड़कर सेवा की गुणवत्ता,संतुष्टि और व्यवहार के इरादे के बीच संबंधों की खोज की। भारतीय जीवन बीमा उद्योग में सेवा की गुणवत्ता, संतुष्टि और व्यवहारिक इरादों की आयामता का अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया।

जीवन बीमा निगम का उद्गम :– भारत में पहली बीमा संस्था 'बम्बई म्युच्युअल इंश्योरेंस सोसाइटी लि0' के नाम से 1871 में स्थापित हुई थी। इसके पश्चात् सन् 1847 में 'दी ओरियंटल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि0' तथा सन् 1897 में, 'एंपायर ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई। सन् 1912 में 'बीमा अधिनियम' पारित किया गया, जिसमें सन् 1938 व 1950 में व्यापक संशोधन किए गए। इस समय तक बीमा व्यवसाय में अनेक कमियां विद्यमान थी। फलस्वरूप भारत सरकार ने जून, 1956 में 'जीवन बीमा निगम अधिनियम' पारित किया। इस अधिनियम के अधीन 1 सितम्बर, 1956 से भारतीय जीवन बीमा निगम ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर को अपनी वर्षगांठ मनाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली इश्योरेंस कंपनी है।

जीवन बीमा :– जीवन बीमा अनुबंध मानव का आर्थिक कठिनाईयों के विरुद्ध सुरक्षा का एक सहकारी उपाय है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मृत्यु से उत्पन्न परेशानियों से मुक्ति हेतु आर्थिक सहायता का प्रबंध किया जाता है। यह बीमाकर्त्ता तथा बीमित के मध्य एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के पश्चात् या उस अवधि में किसी निश्चित घटना के घटित होने पर बीमाकर्त्ता बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित धनराशि के भुगतान का वचन देता है।

जीवन बीमा अधिनियम 1956 की धारा 2 (12) के अनुसार, "जीवन बीमा व्यवसाय से आशय उस व्यवसाय से है जिसके अंतर्गत मानव जीवन का बीमा किया जाता है।"

जीवन बीमा का महत्त्व :– आज के अनिश्चिताओं से भरे हुए युग में जीवन बीमा मानवीय सभ्यता के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध बीमाशास्त्रियों "हुबनेर एवं ब्लैक" ने कहा है "जीवन बीमा की पर्याप्त राशि एक औसत बीमाधारक को अच्छा भोजन, अच्छी निद्रा तथा अच्छे कार्य की प्रेरणा देती है।"

जीवन बीमा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व को कई प्रकार से लाभान्वित करता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है।

1. जीवन बीमा की सहायता से बीमादार के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त

होती है।

2. जीवन बीमा की सहायता से व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से

आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकता है।

3. भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार जीवन बीमा में चुकाई गई प्रीमियम राशि पर आयकर की छूट प्राप्त होती है।

4. जीवन बीमा से मितव्ययता व बचत की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

5. बीमादार की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए संपति–कर के दायित्व का भुगतान बीमा के दावे की राशि से किया जा सकता है।

6. बीमापत्र की जमानत पर व्यक्ति वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी प्राप्त कर सकता है।

7. आजकल जीवन बीमा ने ऐसे बीमापत्र भी निर्गमित किए है जिनकी सहायता से बीमादार अपने बच्चों की शिक्षा के आर्थिक व्यय को आसानी से वहन कर सकते हैं।

8. जीवन बीमा, आवास समस्या का समाधान करता है।

9. जीवन बीमा, जीवन स्तर में वृद्धि करता है।

10. बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में जीवन बीमा कार्यरत है।

11. वर्तमान युग में, जबकि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जीवन बीमा छोटे परिवारों को कुछ सीमा तक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है।

12. जीवन बीमा संस्था समाज की मूल्यवान बचतों का उपयोग उत्पादन कार्यों में करती है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है।

13. जीवन बीमा निगम द्वारा करोड़ो रुपये का प्रीमियम एकत्र किया जाता है जो देश के पूंजी बाजार को शक्तिशाली बनाता है।

14. जीवन बीमा निगम अपने द्वारा निर्गमित बीमापत्रों पर, आसान शर्तों पर साख प्रदान करता हैं।

15. साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का संयुक्त जीवन बीमापत्र लेकर किसी सांझेदार की अकाल मृत्यु से उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

16. ऋणदाता द्वारा ऋणी के बीमापत्र की जमानत के आधार पर ऋण देने पर उसकी मृत्यु के बाद भी ऋण प्राप्ति की सुरक्षा रहती है।

17. कर्मचारियों का सामूहिक बीमा करवाकर व्यवसायी अपनी ख्याति व साख में वृद्धि कर सकता है।

18. बीमा कम्पनियों की आय पर सरकार को काफी बड़ी मात्रा में आयकर प्राप्त होता है। बीमा कंपनी बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता करके उन्हें आर्थिक सहायता देती है।

जबलपुर मण्डल में जीवन बीमा निगम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संतुष्टि स्तर की जांच का अध्ययन

कर्मचारियों की संतुष्टि स्तर की जांच करने से पहले कर्मचारियों की संतुष्टि का अर्थ जानना आवश्यक है।

कर्मचारियों की संतुष्टि से अभिप्रायः है कि जीवन बीमा निगम की कार्यप्रणाली, वेतन, कार्य

वातावरण, निगम की सेवा की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, भविष्य में प्रगति के मार्ग आदि के प्रति संतुष्टि से है। अर्थात् कर्मचारी इन सभी से खुश है या नहीं। अगर वे इन सभी पहलूओं से खुश है तो इसका अर्थ है कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति संतुष्ट है। जबलपुर मण्डल में जीवन बीमा निगम के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि स्तर को जानने के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें 60 अलग–अलग कर्मचारियों से नौ अलग–अलग पहलुओं के प्रति जानकारी एकत्रित की गई। इन नौ पहलुओं में वेतन से संतुष्टि, कार्य वातावरण से संतुष्टि, प्रतिष्ठा/बाजार स्वीकार्यता/ब्रांड जागरूकता से संतुष्टि, निगम की सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि, ग्राहकों के लिए प्रोमोशनल योजनाओ से संतुष्टि, करियर में प्रोमोशनल मार्ग से संतुष्टि, निगम द्वारा दी गई सुविधाओं से संतुष्टि, कमीशन का पुनःभुगतान से संतुष्टि, कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पाद से संतुष्टि को शामिल किया गया है। इन सभी नौ पहलुओं की जांच के लिए पांच बिन्दु स्केल का प्रयोग किया गया जो कि बिन्दु 1 बहुत कम, बिन्दु 2 कम, बिन्दु 3 मध्यम, बिन्दु 4 उच्च, बिन्दु 5 बहुत उच्च को दर्शाता है। इन सभी पहलुओं पर कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं को संतुष्टि तालिका 1 से लेकर संतुष्टि तालिका 9 तक दर्शाया गया है।

तालिका 1
वेतन से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
1- बहुत कम संतुष्टि	10	16.7	16.7	16.7
3- मध्यम संतुष्टि	17	28.3	28.3	45.0
4- उच्च संतुष्टि	27	45.0	45.0	90.0
5- बहुत उच्च संतुष्टि	6	10.0	10.0	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है 55 प्रतिशत कर्मचारी वेतन से संतुष्ट है। केवल 16.7 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे है जो वेतन से संतुष्ट नहीं है।

तालिका 2
कार्य वातावरण से संतुष्टि

Response	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2- कम संतुष्टि	10	16.7	16.7	16.7
3- मध्यम संतुष्टि	9	15.0	15.0	31.7
4- उच्च संतुष्टि	38	63.3	63.3	95.0
5- बहुत उच्च संतुष्टि	3	5.0	5.0	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 68.3 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में कार्य वातावरण से संतुष्ट है जबकि 16.7 प्रतिशत कर्मचारी कम संतुष्ट है।

तालिका 3
प्रतिष्ठा/बाजार स्वीकार्यता/ब्रांड जागरूकता से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
1- कम संतुष्टि	3	5.0	5.0	5.0
3- मध्यम संतुष्टि	25	41.7	41.7	46.7
4- उच्च संतुष्टि	19	31.7	31.7	78.3
5- बहुत उच्च संतुष्टि	13	21.7	21.7	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से प्रतीत होता है कि जीवन बीमा निगम की प्रतिष्ठा से 53.4 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट है। 41 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे है जिनकी संतुष्टि का स्तर मध्यम है अर्थात् वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 5 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे है जो कम संतुष्ट है।

तालिका 4
निगम की सेवा की गुणवत्ता से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
1– बहुत कम संतुष्टि	6	10.0	10.0	10.0
2- कम संतुष्टि	5	8.3	8.3	18.3
3- मध्यम संतुष्टि	12	20.0	20.0	38.3
4- उच्च संतुष्टि	24	40.0	40.0	78.3
5- बहुत उच्च संतुष्टि	13	21.7	21.7	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 61.7 प्रतिशत कर्मचारी निगम की सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट है। 18.3 प्रतिशत कर्मचारियों की संतुष्टि का स्तर बहुत ही कम है।

तालिका 5
ग्राहकों के लिए प्रोमोशनल योजनाओं से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
2- कम संतुष्टि	13	21.7	21.7	21.7
3- मध्यम संतुष्टि	14	23.3	23.3	45.0
4- उच्च संतुष्टि	21	35.0	35.0	80.0
5- बहुत उच्च संतुष्टि	12	20.0	20.0	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत कर्मचारी ग्राहकों के लिए प्रमोशनल सम्बन्धित योजनाओं से संतुष्ट है जबकि 21.7 प्रतिशत कर्मचारी ग्राहकों के लिए प्रमोशनल योजनाओं से कम संतुष्ट है।

तालिका 6

करियर में प्रोमोशनल मार्ग से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
1– बहुत कम संतुष्टि	6	10.0	10.0	10.0
2- कम संतुष्टि	10	16.7	16.7	26.7
3- मध्यम संतुष्टि	8	13.3	13.3	40.0
4- उच्च संतुष्टि	23	38.3	38.3	78.3
5- बहुत उच्च संतुष्टि	13	21.7	21.7	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत कर्मचारी करियर में प्रोमोशनल मार्ग से संतुष्ट है जबकि 10 प्रतिशत कर्मचारी बहुत कम संतुष्ट है।

तालिका 7

निगम द्वारा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं (मुफ्त मोबाइल/लैपटॉप/चिकित्सा/बीमा) से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
1- कम संतुष्टि	9	15.0	15.0	15.0
2- मध्यम संतुष्टि	15	25.0	25.0	40.0
3- उच्च संतुष्टि	36	60.0	60.0	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत कर्मचारी कम्पनी द्वारा दी गई मुफ्त सुविधाएं जैसे मोबाईल, लैपटॉप, चिकित्सा आदि से संतुष्ट है जबकि 15 प्रतिशत कर्मचारी बहुत कम संतुष्ट है। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसने इस सुविधा के प्रति बहुत उच्च संतुष्टि स्तर को दर्शाया है।

तालिका 8

कमीशन का पुनःभुगतान (अर्जित और भुगतान के बीच समय का अंतराल) से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
2- कम संतुष्टि	10	16.7	16.7	16.7
3- मध्यम संतुष्टि	9	15.0	15.0	31.7
4- उच्च संतुष्टि	30	50.0	50.0	81.7
5- बहुत उच्च संतुष्टि	11	18.3	18.3	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 68.3 प्रतिशत कर्मचारी कमीशन का पुनःभुगतान सम्बन्धित सुविधा से संतुष्ट है जबकि 16.7 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे है जो बहुत कम संतुष्ट है।

तालिका 9

कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पाद से संतुष्टि

Response	Response Frequency	Response Percent	Response Valid Percent	Response Cumulative Percent
1– बहुत कम संतुष्टि	5	8.3	8.3	8.3
2- कम संतुष्टि	11	18.3	18.3	26.7
3- मध्यम संतुष्टि	26	43.3	43.3	70.0
4- उच्च संतुष्टि	18	30.0	30.0	100.0
Total	**60**	**100.0**	**100.0**	

Source : Primary Data

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत कर्मचारी, कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पाद से सम्बन्धित पहलू से संतुष्ट है जबकि 8.3 प्रतिशत कर्मचारी ही ऐसे है जो संतुष्ट नहीं है या बहुत कम संतुष्ट है। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं पाया गया जो बहुत उच्च संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित करता हैं।

निष्कर्ष :– प्रारम्भ में लोगों को जीवन बीमा से अनेकों कठिनाईयां भी होती थी परन्तु जीवन बीमा निगम ने समय के साथ काफी प्रगति की तथा उन सभी कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि लगभग 58 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं से संतुष्ट है। जबकि 11.5 प्रतिशत ऐसे कर्मचारी है जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रतिष्ठा, निगम की सेवा गुणवत्ता तथा करियर में प्रमोशनल मार्ग संबंधी पहलुओं पर कर्मचारियों ने अधिकतम संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस संतुष्टि स्तर को ओर अधिक करने के लिए कार्यशील है। शोध पत्र में किए गए सर्वे से प्रतीत होता है कि काफी कर्मचारी कार्यालय के कार्यवातावरण से संतुष्ट नही हैं। अतः कर्मचारियों को कार्य के प्रति अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्राहकों के लिए समय–समय पर प्रमोशनल योजनाएं जारी करनी चाहिए। कर्मचारियों को भविष्य में उनकी पदोन्नति के पर्याप्त अवसर दिये जाने चाहिए तथा निगम द्वारा समय–समय पर मुफ्त सेवाएं चिकित्सा, बीमा, मोबाईल आदि दी जानी चाहिए। समय–समय पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने चाहिए ताकि कर्मचारी तकनीकी परिवर्तनों को आसानी से अपना सकें और सुविधापूर्वक अपना काम कर सके। जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता को जानकार कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

संदर्भ–सूची

1. www.google.com
2. www.licindia.in
3. Srivastava, M., & Rai, A.K. (2016), The Manifestations of Customer Loyalty in Indian Life Insurance Industry : An Empirical examination, Management insight – The Journal of incisive Analysers, 12 (02).
4. Anagol, S., Cole, S. & Sarkar, S. (2017). Understanding the advice

of commissions – motivated agents : Evidence from the Indian the Insurance market. Review of Economics and Statistics, 99 (1), 1-15.

5. Rarnamoorthy, R., Gunasekaran, A., Roy, M., Rai, B.K. & Senthilkumar, S.A. (2018). Service quality and its impact on customers behavior intentions and satisfactions an empirical study of the Indian life insurance sector. Total Quality Management & Business Excellence, 29(7-8), 834-847.

6. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/बीमा

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

ग्रामीण मानव संसाधन विकास की योजनाओं का अध्ययन

डॉ. शिवेन्द्र शर्मा
प्राचार्य, प्रज्ञान महाविद्यालय, कसरावद (म.प्र.)

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण मानव संसाधन विकास हेतु पृथक मंत्रालय बनाया गया हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण भारत में तीव्र और स्थायी विकास तथा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रयास कर रहा हैं। पिछले कुछ वर्षो के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकता दी गई हैं। इस मंत्रालय द्वारा नए कार्यक्रम शुरू करने, पहले से जारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्हें नया रूप देने और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के अनेक उपायों पर अमल किया गया।

आर्थिक उदारीकरण और ढांचागत समायोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप गरीबों, खासकर ग्रामीण निर्धनों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ग्रामीण निर्धनता कार्यक्रमों के अनुपालन हेतु संसाधनों के आवंटन में निरंतर वृद्धि करते हुए ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई हैं। दसवी पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन बढ़ाकर 76,774 करोड़ रूपये कर दिया गया जबकि नोवी पंचवर्शीय योजना के दौरान 42,874 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। चालू वर्श यानि 2005–06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वीकृत परिव्यय 24,480 करोड़ रूपये है। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं–सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थानों के जरिए विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी पर बल दिया जा रहा हैं। ग्रामसभाओं को स्वशासन का सशक्त मंच बनानें के लिए उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। दो प्रमुख योजनाओं, पहली, दिहाड़ी रोजगार प्रदान करने वाली 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' (एसजीआरवाई) और दूसरी, स्वरोजगार प्रदान करने वाली 'स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना' (एसजीएसवाई), कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती–बेरोजगारी का सामना किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभकारी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ स्थाई सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए पहले से जारी दो योजनाओं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना, को मिलाकर 25 सितंबर, 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) प्रारंभ की गई यह कार्यक्रम स्व–लक्षित किस्म का है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिमपूर्ण व्यवसायों से निकाले गए बच्चों के अभिभावकों को दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाता हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ समय–समय पर आवश्यकतानुसार बनाई गई और ग्रामीण विकास के आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किए गए परन्तु आज भी हम अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाये हैं। यह अवश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास हुआ हैं। आज सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तीन स्तरों के ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित हो रही है यथा बाह्य सहायता प्राप्त, केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम। इस अध्याय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया हैं।

जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक–सामाजिक और सामुदायिक परसंपत्तियों के निर्माण के जरिए पूरक दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के काम को और गहन बनाया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत पहली प्राथमिकता के रूप में जल संरक्षण, सूखा न पड़ने देने के उपायों और भूमि–विकास संबंधी कार्यो पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण के उपायो, हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों के संदर्भ में ग्रामीण संचार और अन्य उत्पादन कार्यो को भी शामिल किया जा सकता हैं।

ग्रामीण संचार सुनिश्चित करना गांवो के विकास की समग्र विकास नीति का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क से वंचित उन सभी गांवों को 10वीं योजना के अंत तक बाहरमासी सड़कों से जोड़ना है जिनकी आबादी 500 या इससे अधिक हैं। इस योजना के अंतर्गत यह उम्मीद की जा रही है कि विस्तारित और नवीनकृत ग्रामीण सड़क नेटवर्क से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेगे, नियमित मंडियों ओर मेला बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाए बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगी और ग्रामीण–ग्रामीण अंतराल पाटने में मदद मिलेगी। सुरक्षा, संरक्षण, स्वाभिमानी, सामाजिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पहचान, संतुष्टि और प्रगति के संदर्भ में आवास मानव की बुनियादी जरूरतों में से एक है। निर्धन बेघरों को मकान उपलब्ध कराने और ग्रामीण आवास की कमी शीघ्र पूरी करने के लिए मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम 'इंदिरा आवास योजना' हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई सहायता राशि 1 अप्रैल, 2004 से मैदानी भागों में 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रूपये बढ़ाकर 27,000 रूपये की गई।

प्रदेश के दूर–दराज, पहुंचविहीन और सुविधाओं से वंचित इलाकों में आधुनिकता से पूर्णतः अंजान आदिवासियों का भरा–पूरा संसार बसता है। प्रकृति के सान्निध्य में पहले वाला यह जीवन भरपूर मेहनत करने के बाद अभी भी विकास की रोशनी से महरूम है। राज्य सरकार इन धरती पुत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, बिजली के साधन, आवागमन की सुविधा आदि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर उनके शोषण पर पूर्ण विराम लगा देना चाहती है। सरकार का यह एक कदम जो नतीजे उपलब्ध करायेगा उसे सुदूर भविश्य तक याद किया जायेगा।

मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी विकास पर विशेश ध्यान दे रही है। संतुलित विकास के लिए भी यह जरूरी है कि जो समुदाय विकास की दौड़ में पिछड़ गये है उन पर खास ध्यान दिया जाए। इनका पिछड़ापन दूर करने के लिए सर्वाधिक ध्यान शैक्षणिक विकास पर दिया जा रहा है। शैक्षणिक विकास के लिए किये गये कार्यो के बेहतर नतीजे सामने आ रहे है। इस दिशा में और अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए रणनीति बनाई गई है। आदिवासियों का शैक्षणिक विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते है। मध्यप्रदेश, जनजातीय बहुल प्रांत है। विकास की कोई भी अवधारणा बिना इस वर्ग को शामिल किये अधूरी ही है। इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मजबूत प्रयास हो रहे है। शिक्षा और रोजगार के साथ जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के बुनियादी कार्य को भी गति मिली है। इससे आदिवासी अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे है।

सुदूर अंचलों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन खुशहाली लाने के लिए राज्य सरकार के कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये है। इनसे उनके जीवनस्तर और रहन–सहन से अपेक्षित सुधार आया है। वनवासियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार और सामाजिक उत्थान की जो योजनाएं शुरू की हैं, वे उनके जीवन में सुखद बदलाव लाने वाली है।

उनकी संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रोत्साहन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है। इस समुदाय में शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है। कहा जाता है कि शिक्षा सब प्रकार के विकास का द्वार होता है। आदिवासी समुदाय में साक्षरता का कुल प्रतिशत मात्र 18.37 प्रतिशत है। इनमें पुरूषों में साक्षरता 27.84 प्रतिशत और महिलाओं में केवल 8.77 प्रतिशत है। इसलिए आदिवासियों की उन्नति एवं कल्याण के लिये शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार सर्वाधिक जरूरी है। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्तर की की शिक्षण संस्थायें कार्यरत है। राज्य में 12643 कनिष्ठ प्राथमिक/प्राथमिक शालायें, 4369 माध्यमिक शालायें, 510 हाईस्कूल, 476 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 9 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 3 कन्या विद्या परिसर, 14 क्रीडा परिसर, 1166 प्री–मेट्रिक छात्रावास, 86 पोस्टमेट्रिक छात्रावास तथा 725 आश्रम शालायें संचालित है।

गत तीन वर्षो 2004 से 2006 तक आदिवासी छात्र–छात्राओं के शिक्षा के स्तर के उन्नयन करने तथा उन्हें ओर अधिक व्यापक बनाने के लिए कई कदम उठाये गये है। मुख्यतः विशेष पिछड़ी आदिवासी जाति

बैगा, सहरिया तथा भारिया के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति मंजूर की गई। इससे वर्ष 2005–06 में 37102 छात्र लाभान्वित हुए। इन पर करीब साढ़े चौबीस लाख रूपये व्यय का प्रावधान है।

जिला स्तर पर पूर्व में खोले गये 50 सीट के एक बालक तथा एक बालिका उत्कृष्ट छात्रावास के समान आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालयों पर भी उत्कृष्टता शिक्षा केन्द्र खोले गये है। जिनमें छात्र–छात्राओं की आवास सुविधाओं के साथ पूरे वर्ष भर कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है। वर्ष 2004–05 में 60 उत्कृष्ट संस्थान खुले जिन पर 213 लाख रूपये व्यय हुए। वर्ष 2005–06 में 40 संस्थाओं पर 142 लाख और वर्ष 2010–11 में 52 संस्थानों पर 210 लाख रूपये के व्यय का अनुमान है। इसी प्रकार पूर्व में जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ किये गये उत्कृष्ट विद्यालय खोले गये है जिनमें चयनित छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता हैं। इस प्रकार 10 लाख रूपये प्रति संस्था के मान से वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक 140 विद्यालय खोले गये। प्रत्येक आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालयों पर आदिवासी छात्राओं के लिए नवीन प्री–मैट्रिक छात्रावास तथा वर्ष 2008–9 में 166 लाख रूपये के व्यय से 20 छात्रावास तथा वर्ष 2011–12 में 61 लाख रूपये के प्रावधान से 6 छात्रावास स्थापित किये गये है। वर्ष 2011–12 में विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र की 70 प्राथमिक शालाओं के आश्रम में परिवर्तन के लिए 290 लाख रूपये एवं 50 नवीन आश्रमों के लिए 278 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

आदिवासी छात्रों के उच्च अध्ययन के लिए नवीन पोस्टमेट्रिक छात्रावास प्रारंभ किये गये है।

जहाँ वर्ष 2005–06 में 19 लाख रूपये व्यय के साथ 5 और वर्ष 2006–07 में 7 लाख 68 हजार रूपये के वित्तीय प्रावधान के साथ 2 नवीन पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में सीटों में बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2005–06 में 111 लाख रूपये के वित्तीय प्रावधान के साथ 2000 सीटें और इसी प्रकार वर्ष 2011–12 में भी अतिरिक्त सीटों का प्रावधान 186 लाख रूपये के साथ किया गया। पूर्व में संचालित आश्रम शालाओं में 311 लाख 58 हजार रूपये व्यय कर 82000 सीटों की वृद्धि की गई। विदेशों में अध्ययन के लिये छात्र–छात्राये लाभान्वित होंगे। साथ ही इनके अभिभावकों की आय सीमा भी 3 लाख वार्षिक से बढ़कर 5 लाख कर दी गई।

इस योजना के तहत वर्ष 2007–08 में एक छात्र को करीब 13 लाख रूपये तथा वर्ष 2010–11 में भी एक छात्र को 11 लाख 36 हजार रूपयों की छात्रवृत्ति दी गई। आदिवासी आश्रम तथा छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण और अन्य सुविधायें जुटाने के लिए वर्ष 2010–11 में 20 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 में 5 करोड़ 74 हजार रूपये तथा मरम्मत सुधार मद में 3 करोड़ 83 हजार रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया। छात्रावासों तथा आश्रमों में लोकप्रिय और विश्वस्त स्टेन्डर्ड कम्पनियों से ही सामग्री खरीदी के निर्देश भी दिये गये। इसी सिलसिले में वर्ष 2012–13 तक 1500 लाख रूपये के प्रावधान के साथ 6 नये आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे और इसी वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 750 लाख रूपये के आवंटन के साथ प्रारंभ किये गये है।

आदिवासी इलाकों में शिक्षा का लगातार प्रसार हो रहा है। इस वर्ष 2009–10 में 25 हाईस्कूलों को उन्नत कर हायर सेकेण्डरी बनाया गया जिस पर 75 लाख रूपये का प्रावधान है। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष 2011–12 में 100 माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल बनाया गया। इसके लिए 200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया ऐसे आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालयों में जहां कन्याओं के लिए अध्ययन के लिए अलग से हाई स्कूल नहीं है वहां 17 नवीन कन्या हाई स्कूलों की स्थापना होगी। इन पर 34 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया।

जब तक कुशल और पर्याप्त शिक्षक न हो तब तक शिक्षा के स्तर में उन्ननयन नहीं हो सकता। इसी नजरियें से स्कूलों में शिक्षक–छात्र का अनुपात मानदण्डों के अनुरूप 54 प्राचार्य सेकेण्डरी स्कूल, 73 प्राचार्य हाई स्कूल, 13 संविदा शिक्षक वर्ग–1, 507 संविदा शिक्षक वर्ग–2 तथा 359 संविदा शिक्षक वर्ग–3 के नवीन पद सृजित किये गये। इस सिलसिले में आश्रम तथा छात्रावास के लिए 667 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये। पुस्तकालय किसी भी शिक्षा संस्थान का एक अनिवार्य अंग है।

2013–14 में प्री–मेट्रिक छात्रावास तथा 129 पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में पुस्तकालय प्रारंभ किये जा रहे है, जिसके लिये प्रत्येक पुस्तकालय के लिए पन्द्रह हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। विद्यालय एवं छात्रावासों को प्रोत्साहन देने के लिए श्रेष्ठ विद्यालय/आश्रम को प्रतियोगिता के आधार पर जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपये का रखा गया है।

आदिवासी युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिये संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा में उर्त्तीण होने, मुख्य परीक्षा में उर्त्तीण होने तथा अंतिम रूप से चयनित होने पर अर्थात् तीनों स्तरों पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस योजना में जहाँ वर्ष 2004–05 में 2537 आदिवासी प्रतिभागियों को 588 लाख रूपये और 2005–06 में 506 उम्मीदवारों को 60 लाख रूपये वितरित किये गये वही वर्श 2011–12 में इस कार्य हेतु 140 लाख रूपये का प्रावधान किया जो परीक्षा परिणाम आने पर पात्र प्रतिभागियों में वितरित किया गया। आदिवासी स्वभाव से ही खेल प्रेमी होते है। उन्हें प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उतारा जा सकता है। इस योजना के तहत स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2000 रूपये से लेकर 22000 रूपये तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

वर्ष 2008–09 में 41 खिलाड़ियों को 2 लाख 60 हजार रूपये तथा वर्ष 2010–11 में 82 खिलाड़ियों को 7 लाख 72 हजार रूपये पुरस्कार के रूप में दिये गये। आदिवासी विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति के लिए संविदा वर्ग के एक के 583 पद विज्ञापित किये गये जिनमें से 327 पर भरे गये। संविदा पद में 6130 पद भरे गये है। रिक्त रह गये पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

बालिकाओं के आवागमन के लिए शासन की योजना के तहत वर्ष 2008–09 में 181.02 लाख रूपये की लागत से 11188 बालिकाओं को, वर्ष 2010–11 में 198.10 लाख रूपये की लागत से 12156 बालिकाओं को तथा वर्ष 2012–13 में 297 लाख रूपये की लागत से 14882 बालिकाओं को साइकिले दी गई। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति के अतिरिक्त कक्षा 6 की बालिकाओं को 500 रूपये, 9वीं की बालिकाओं को 1,000 रूपये तथा कक्षा 11वीं की बालिकाओं को 2000 रूपये प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाते है। इस योजना में वर्ष 2008–09 में 71894 कन्याओं को 428.91 लाख रूपये वर्ष 2011–12 में 78203 कन्याओं को 564.69 लाख रूपये दिये गये।

मध्यप्रदेश की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विशेष योजनायें और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। इस सिलसिले में स्वर्ण जयंती अनुसूचित जनजाति बस्तियों में आधारभूत सुविधायें सड़क, प्रकाश, पेयजल, आदि पर वर्ष 2010–11 में 9 करोड़ रूपये का प्रावधान था।

छात्रावासों तथा आश्रमों में बिजली की सुगम आपूर्ति के लिए इनवर्टर लगाये गये जिनसे बिजली अवरोध की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बनी रहे। उ.मा. विद्यालयों में कला संकाय, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान खोलने की स्वीकृति दी गई है। प्राथमिक शालाओं में किचन शेड बनवाये जायेंगे। विद्यार्थी कल्याण योजना में अधिकतम राशि 500 रूपये तक स्वीकृत का प्रावधान था। अब इसमें 25 हजार रूपये तक का प्रावधान कर दिया गया है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रत्येक आदिवासी जिले में डेढ़ लाख रूपये का आबंटन दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1) डांडवेल, एच.एच.द केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, न्यू देहली, सेज पब्लिकेशन्स
2) दुभाशी, पी.आर. रूरल डवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, मुम्बई पॉपूलर प्रकाशन, 1970
3) गौर, के.डी. (ऐडीटेड), डायनामिक्स ऑफ रूरल डवलपमेन्ट, न्यू देहली, मित्तल पब्लि, 1992
4) शर्मा बी.एम. एवं अन्य जिला सरकार अवधारणा, स्वरूप एवं संभावनाएँ, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 1999
5) शर्मा शकुन्तला, ग्रासरूट पॉलिटिक्स एण्ड पंचायतीराज, न्यू देहली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, 1994
6) बोस, आशीष, पोपूलेशन ऑफ इण्डिया, 1991 सेन्शन रिजल्टस एण्ड मैथडोलॉजी देहली, बी.आर. पब्लि., 1992

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

छतरपुर जिले की राजनीतिक एवं प्रशासनिक पृष्ठभूमि

डॉ. राधिकेश जोशी
राजनीति विज्ञान, शास. महाविद्यालय, सतवास

छतरपुर, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान सांसद डॉ. वीरेन्द्र कुमार खटीक है। जिले में खजुराहों संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला एवं वर्तमान सासंद श्री नागेन्द्र सिंह नागोद जी हैं एवं दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी का भी क्षेत्र शामिल है। जिले में वर्तमान में 6 विधानसभा क्षेत्र है। छतरपुर विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती ललिता यादव है। जबकि वर्तमान विधायक श्री अलोक चतुर्वेदी हैं। इसी प्रकार महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री मानवेन्द्र सिंह जी व वर्तमान विधायक श्री नीरज दीक्षित जी हैं। चंदला के पूर्व विधायक श्री आर.डी. प्रजापति व वर्तमान विधायक श्री राजेश प्रजापति जी हैं। राजनगर के श्री कुं. विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, बिजावर के पूर्व विधायक श्री पुष्पेन्द्र पाठक (गुड्डन) एवं वर्तमान विधायक श्री राजेश शुक्ला जी हैं एवं बड़ामलहरा की पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव हैं एवं वर्तमान विधायक श्री कुवंर प्रदुम्य सिंह लोदी उर्फ मुन्ना भैया जी हैं। छतरपुर जिले में तहसीलों की कुल संख्या 11 है। जिसके अंतर्गत छतरपुर, नौंगांव, राजनगर, बिजावर, लवकुशनगर, गौरीहार, बड़ामलहरा, बक्स्वाहा, महाराजपुर, चंदला एवं घुवारा तहसीलें शामिल है। वर्तमान में जिले के अंतर्गत तीन नगर पालिकाऐं है। जिसमें छतरपुर, नौंगांव, व नवगठित नगर पालिका महाराजपुर शामिल है। जिले में नगर पंचायतों की कुल संख्या 12 है। इनमें हरपालपुर, बारीगढ़, राजनगर, लवकुशनगर, खजुराहों, बक्स्वाहा, बड़ामलहरा, बिजावर, घुवारा, किशनगढ़, चंदला, गढ़ीमलहरा नगर पंचायतें शामिल है। वर्तमान में छतरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश प्रजापित, उपाध्यक्ष श्री अमित पटेरिया जी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित जी हैं। जिला पंचायत छतरपुर के अंतर्गत 8 जनपद पंचायते हैं। इनमें छतरपुर, राजनगर, लवकुशनगर, बड़ामलहरा, बारीगढ़, नौगांव, बिजावर एवं बक्स्वाहा जनपद पंचायत शामिल है। वर्तमान में जिले की 8 जनपद पंचायतों के अंतर्गत 558 ग्राम पंचायते है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला 11 तहसीलों छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौंडी, गौरीहार, बिजावर, बड़ामलहरा, महाराजपुर, बक्स्वाहा, चंदला और घुवारा है। इसके अंतर्गत छतरपुर जिले में 8 विकासखंडों छतरपुर, राजनगर, नौंगांव, लौंडी, गौरीहार, बिजावर, बड़ामलहरा और बक्स्वाहा में बाँटा गया है। इस जिले में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या (जनवरी 2011) शहरी में 94 हैं और उचित मूल्य की दुकानों की संख्या (जनवरी 2011) ग्रामीण क्षेत्रों में 562 हैं।

छतरपुर जिले का नामकरण इस क्षेत्र में महान योद्धा महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। यह जिला पहले विन्ध्य प्रदेश में शामिल था। 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य के गठन के समय इसे विन्ध्य प्रदेश से अलग कर मध्यप्रदेश में शामिल किया गया था। छतरपुर जिले में 558 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1192 ग्राम है। इस जिले में विकाखण्डों की कुल संख्या 8 है, जिसके अंतर्गत छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौंडी(लव–कुश नगर), गौरिहार, बिजावर, बड़ामलहरा एवं बक्स्वाह विकासखण्ड शामिल है। छतरपुर जिले में 7 शासकीय महाविद्यालय व अत्यधिक अशासकीय महाविद्यालय हैं। जिले में जिला अस्पताल के अलावा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 185 उप स्वास्थ्य केन्द्र है। इसके अलावा एक सिविल अस्पताल भी है। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें कृषि विकास, अधोसंरचना विकास (बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, जनसंचार एवं जल उपलब्धता आदि) लघु एवं कुटीर उद्योग विकास, निर्धनता एवं बेरोजगारी में कमी आदि शामिल होते हैं। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण जीवन के प्राकृतिक तत्वों का इच्छित दिशा में राष्ट्र के लक्ष्य के अनुरूप ढ़ांचे में परिवर्तन होता हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अनेकानेक कार्यक्रम कार्यरत हैं। दिसम्बर 2005 से कार्यरत भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण अधिसंरचना के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्रामीण आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए ''इंदिरा आवास योजना'', ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'', गाँवों में शुद्ध पेयजल प्रदान करने हेतु ''त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम'', प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु

गाँवों में ''ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' तथा 'बागवानी मिशन' के द्वारा प्रमुख खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जा रहा हैं। फरवरी 2006 से लागू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वारा गाँव के प्रत्येक अकुशल गृहस्थी को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है तथा स्वरोजगार हेतु स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वराज योजना(1999) से कार्यरत हैं।

जहाँ पहले ग्रामीण विकास कार्यक्रम कृषि हेतु बनाये जाते थें वहीं अब ये ग्रामीण विकास के हर क्षेत्र में जीवन को समृद्ध बनाने के लिए निर्मित हो रहे है। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रायोजित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा पिछड़े वर्गो के उत्थान से लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की बाते समाहित हैं। वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2001 से ग्रामीण नौनिहालों को शिक्षित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यरत है। ग्रामीण कृषि सिंचाई हेतु भू–जल संरक्षण एवं वितरण कार्यक्रम कार्यरत हैं। इस प्रकार से ग्रामीण समाज के सर्वांगिण विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं।

संदर्भ सूची :–

1. इंडियन आर्कियालॉजी, ए रिव्यू, 1960–61, पृ. 59.
2. नीलकंठ शास्त्री, दी एज ऑफ दी नन्दाज एण्ड मौर्याज, पृ. 260
3. इपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द इकतीस, पृ. 206
4. दी. एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ. 65

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

चौदहवीं–पन्द्रहवीं सदी में मिथिला की सामाजिक स्थिति : एक अवलोकन

अविनाश कुमार झा

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, इतिहास विभाग, जगत नारायण लाल कॉलेज, खगौल,

पटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

अद्यतन अकादमिक विमर्श में क्षेत्रिय अध्ययन की अवधारणा काफी सशक्त रुप में स्वीकृत होकर सामने आई है। ऐतिहासिकता, इतिहास बोध एवं 'आधुनिक इतिहास लेखन' के प्रसंग में चिन्तन पश्चिम के विद्वानों के बीच 18वीं सदी से प्रारम्भ हुआ।[1] जर्मनी के प्रसिद्ध चिन्तक जे.जी. हर्डर 1774 ई. में इतिहास की प्रासंगिकता और प्रधानता के पक्ष में अपनी – **ए फिलॉसफी ऑफ हिस्टरी फॉर द एजुकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी** के जरिये तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किये – इससे इतिहास के पक्ष में विद्वानों का सोच आगे बढ़ा। एक के बाद दूसरे, के सम्मिलित प्रभाव से ऐतिहासिक दृष्टि की सामाजिक सत्यता के प्रसंग सार्थकता की पुष्टि होती गई, और ऐतिहासिकता, अर्थात् सामाजिक सत्यता की व्याख्या ऐतिहासिक आधार पर करने की बात आगे आई।[3] 19वीं सदी के अन्त तक हिस्टोरिसिज्म के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चिन्तक रैन्के से प्रेरित वस्तुनिष्ठ (objective) इतिहास की धाराएँ दृष्टिगोचर थी। रैन्के की दृष्टि में इतिहासकार का काम मात्र ऐतिहासिक 'तथ्य' (facts) के शोध, संचयन, संकलन तक ही सीमित था – उसके मूल्यांकन का नहीं। 20वीं सदी के आरम्भिक काल में मियेनेके और क्रोचे जैसे इतिहास–चिन्तकों ने वर्तमान के प्रश्नों एवं समस्याओं के सन्दर्भ में ही इतिहास अन्वेषण, मूल्यांकन एवं परीक्षण को स्थापित किया।

फिर फ्रांस में इसी दशक से मार्क ब्लॉच, फेब्रे तथा फरनैंड जैसे **एन्नेल्स** स्कूल के इतिहासकार – चिन्तकों ने अपने विश्वविख्यात कृतियों से उपर्युक्त विचारों को परिपक्व किये और उसे विद्वद्जगत में प्रतिष्ठा दिलाये। साथ ही इंगलैंड में 1940 के दशक से उभरता हुआ 'सोशल हिस्टरी' हॉब्सबॉम और ई.पी. टॉम्पसन के बहुमूल्य प्रयास और कृतियों से 1970 तक आते–आते प्रतिष्ठित हुआ जो फ्रांस के **एन्नेल्स** स्कूल के अनुसार ही था। इससे भारत के इतिहासकार लोग भी बहुत ही प्रेरित हुए।[4] यहाँ भी 'हिस्टरी फ्रॉम बिलो', अर्थात् विभिन्न श्रेणी और पेशों के जन समुदायों (जिनका स्थान निम्न स्तर पर रहा और जिनका इतिहास लेखन में स्थान नहीं रहा) ऐसे विशाल जन–समूहों को इतिहास लेखन में स्थान देने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई।[5] 1980 के दशक से **सबऑल्टर्न** प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई।

इन विषयों के आलोक में मिथिला की ऐतिहासिक धरातल पर ध्यान देने की चेष्टा की जाय। उपेक्षित वर्ग, उपेक्षित लोक (उच्च वर्ग के व्यक्ति भी उपेक्षित होते हैं जिनके योगदान जो आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं भुलाए जा चुके हैं या भुलाए जा रहे हैं), उपेक्षित विचार–धारा, परम्परा इत्यादि जो आज के समाज के विशाल जन–समूह से संबंधित हैं, इन सबका इतिहास, जिसे हम सामान्य जनों का इतिहास (people's history) कह सकते हैं, तैयार हो सकता है। भारत के कई अन्य भू–भाग के तुलना में इस क्षेत्र पर शोध कम हुए हैं। आवश्यकता है कि शोध हो इस तरह से जो **ऐतिहासिक सम्पूर्णता** (totality) **की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शोध प्रणाली पर आधारित हो जिससे यहाँ** के सोशल रियलिटी (social reality) का सही ज्ञान पैदा हो सके।

14वीं सदी की चण्डेश्वर ठाकुर कृत **राजनीति रत्नाकर** संपादक थे सर के.पी. जायसवाल अपने 'इन्ट्रोडक्शन' में इन्होंने बहुत बातों का जिक्र किया। मिथिला में 14वीं–15वीं सदी और उसके बाद से उभरते सामाजिक–सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों एवं उसके विविध पक्ष की चर्चा की गई है। इनके अनुसार भारत में प्राचीन काल से चली आ रही 'अर्थशास्त्र' और 'दण्डनीति' की परम्परा 11वी सदी तक प्रायः समाप्त हो गई और धर्मशास्त्र का वर्चस्व बढ़ने लगा जिसके चलते राजतन्त्र सम्बन्धित विषयों का विवेचन भी अब धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर ही प्रारम्भ हुआ।[6] महत्वपूर्ण बात यह है कि भरतीय समाज में ब्राह्मणीय/वैदिक वर्चस्व बढ़ रहा था, उदारवादी दृष्टिकोण जिससे समाज

के विभिन्न सेकुलर (secular) गतिविधियों, विधयों और पेशाओं (occupations) को बल मिलता है वह क्षीण हो रहा था। अलबेरूनी 11वीं सदी में भारत आये थे; उन्होंने भी यह महसूस किया कि यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक माहौल ऐसे हो गये हैं कि धर्मशास्त्रीय विधाओं के अतिरिक्त सेकुलर विद्याएँ और धाराएँ न तो ठहर सकती है और नही पनप सकती है।[7] स्पष्ट है कि अलबेरूनी भी ब्राह्मणिक/वैदिक धारा के उभरते वर्चस्व और उसके संभावित परिणाम को अनदेखा नहीं कर सके। उच्च वर्णों (खासकर क्षत्रियों) से नीचे वर्णों के लोग भी विभिन्न क्षेत्रों में राजा/चीफ (प्रधान) बने रहे थे, जैसे जपला के 'खयरवाल' शासक, पाल राजकुल, वर्धन राजकुल इत्यादि।[8] ऐसे राजाओं को समाज में अपने राजा–पद की औचित्य (legitimacy) सिद्ध करने के लिये ब्राह्मणों का सहारा लेना पड़ा जो उनके लिये ऐसे (झूठे) कुर्सीनामें तैयार कर उन्हें प्राचीन काल के सूर्यवंशी या चन्द्रवंशी प्रमाणित करते थे।[9] बे.डी. चट्टोपाध्याय के अनुसार ऐसे राजे ब्राह्मणों के सहयोग पर निर्भर करने लगे जिसके बदले उन्हें काफी भू–सम्पत्ति दान में प्राप्त होने लगा।[10] एक दूसरे प्रख्यात इतिहासविद्, डेविड शूलमन, ब्राह्मणां के इस उभरते वर्चस्व की बात किये हैं।[11] प्रायः यह कम बढ़ता ही गया और के.पी. जायसवाल के अनुसार, 14वीं सदी तक आते–आते चण्डेश्वर ने यह महसूस किया कि इस प्रवृत्ति के उभरने से जाति/वर्ण और पॉलिटी का शास्त्रीय सम्बन्ध वास्तविकता में मूलतः समाज में विच्छिन्न हो चुका है, राज्याभिषेक की बात निरर्थक है और, प्रायः इसीलिये, एक तरह से क्रान्तिकारी व्यवस्था दिये कि राजा वही जो प्रजा की रक्षा करे, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो।[12] चण्डेश्वर ठाकुर अपने समय, 14वीं सदी के प्रख्यात विद्वान राजपुरुष (statesman) थे। पी.वी. काणे के अनुसार मिथिला और बंगाल के क्षेत्रों में चण्डेश्वर के दिये गये विचार और व्यवस्था का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा।[13] इसी लिये शायद, अब ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झूठे कुर्सीनामों का कोई प्रयोजन नहीं रहा– ऐसे कुर्सीनामों के बनने का कोई उदाहरण बाद के दिनों में प्रकाश में नहीं आये हैं – जहाँ तक मुझे ज्ञात है। चण्डेश्वर की व्यवस्था ही किसी जाति/वर्ण के राजा को मान्यता प्रदान करती गई। बहुत विश्वासपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चण्डेश्वर की इस व्यवस्था के चलते बहुत सी जातियों (जिन्हें हम अभी निम्न या दलित वर्गों के मानते हैं) के लोग भी अल–अलग इलाके में राजा या चीफ (प्रधान) बने, अपने शासन चलाए। 1883 ई. में (उर्दू में) प्रकाशित पुस्तक आईना–ए–तिरहुत में लेख बिहारी लाल 'फितरत' अपने फील्ड सर्वे से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न लिखित गढ़ों के अवशेष का जिक्र करते हैं; मधुबनी जिला में परगना हाटी और परगना जरैल में राजा कठेश्वरी के गढ़ों के अवशेष राजा गन्ध की गढ़ी का अवशेष प. हाटी और परगना जरैल में राजा कठेश्वरी के गढ़ों के अवशेष राजा गन्ध की गढ़ी का अवशेष प. हाटी में, राजा भर की गढ़ी के अवशेष प. चखनी में, एवं परगना हावी में दुसाध राजा के गढ़ का खण्डहर।[14] 1933 ई. में प्रकाशित भागलपुर दर्पण (हिन्दी में) में लेखक झरखण्डी झा अपने फील्ड सर्वे के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस जिले में गंगा के उत्तर खासकर चेतौरी, कैवर्त और भर राजाओं/प्रधानों के दुर्गों, महलों और मन्दिरों के अवशेष का जिक्र करते हैं और मौखिक परम्परा की चर्चा करते हैं जिसके अनुसार खेतौरी राजों से पहले दक्षिण भागलपुर में नट और दुसाध राजाओं का शासन था।[15] भर राजा के साथ खण्डवला राज संस्थापक म.म. महेश ठाकुर के बालक अच्युत ठाकुर के (16वीं सदी में) संघर्ष एवं भर राज–परिवार के उन्मूलन के प्रसंग म.म. परमेश्वर झा लिखित मिथिला तत्व विमर्श में एक विवरण है[16] मिथिला के इतिहासकारों के लिये यह एक आवश्यक विषय है कि ऐसे राजाओं/प्रधानों के शासन की उत्पत्ति, उसकी व्यवस्था, उसकी प्रतिष्ठा, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सम्बन्ध, उत्पादन, पेशाओं, इत्यादि के प्रसंग विस्तार से शोध करें। मैं यहाँ मात्र इसे समाज में 13वीं–14वीं–15वीं सदी में उभरते उदारवाद की प्रवृत्ति के प्रमुख उदाहरण के रूप में विवेचन करने का प्रयास रहा हूँ। पहले जो जाति–वर्ण आधारित राजा होने की, याने, राजसत्ता की परम्परा थी उससे राजनीतिक क्षेत्र (political sector) को किसी न किसी हद तक स्वतंत्रता मिली।

फिर 14वीं–15वीं सदी में विद्यापति प्रेम के (राधा–कृष्ण के प्रेम के) गीत गाये, मैथिली में यह स्थापित करते हुए कि देसिल बयना सद जन मिट्ठा। 'देसिल बयना' में बहुत पहले से ही रचनाएँ हो रही थीं, जैसे पाली में बौद्ध ग्रन्थो की रचना हो चुकी थी, ज्ञानेश्वरी की रचना मराठी में हो चुकी थी। लेकिन, कभी, किसी ने सब जन मिट्ठा की सैद्धान्तिक गुणवत्ता

जाहिर नहीं की थी – प्रायः सोशियो–लिंग्विस्टिक्स (socio-linguistics) की यह प्रथम अवधारण देने वाले विद्यापति थे, जिन्होंने 'सब जन' के रूचि की बात किये – उसे सिद्धान्त के रूप में स्थापित किये, 'सब जन' को लोक (people) साहित्य की परिधि में लाये। विद्यापति लोग पक्ष की ओर झुके थे। इनसे पूर्व 14वीं सदी के पूर्वार्ध में ज्यातिरीश्वर ठाकुर द्वारा वर्णरत्नाकर की रचना हो चुकी थी–मैथिली गद्य में, जिसका महत्व इतिहास, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के लिये बहुत ही विशिष्ट है–सोशल सर्वे की यह प्रथम कृति है पूरे भारत में मिथिला की यह प्रथम कृति हैं पूरे भारत में मिथिला में भी अन्य (कुछ) क्षेत्रों की तरह लोक भाषा/बोली बुद्धिजीवियों के चिन्तन का माध्यम प्रायः सशक्त रूप से बन चुका था। मध्य युग में ब्राह्मणिक/वैदिक और लोक मत की बीच संघर्ष या द्वन्द्व बहुत प्रखर हों गयाय।[17] ऐसे स्वरों में किसी भाषा या विद्या के विरोध की बात नहीं की जा सकती–बात थी भाषा या विद्या–के किसी एक वर्ग में सीमित रहने से उस आधार पर उस वर्ग का समाज में अपने हित में वर्चस्व बनाये रखने के प्रयास और उस वर्चस्व का दूसरे वर्ग द्वारा विरोध/संघर्ष। इस संघर्ष को कहा गया कहीं संस्कृत विरोधी और कहीं भाषा विरोधी–लेकिन उसका अर्थ ऐसे वाक्यों से नहीं बल्कि उसमें निहित संदर्भ (वर्चस्व की राजनीति) से सही होता है। वाक्य और उसके सही अर्थ निरूपण के प्रसंग विद्यापति अपने पुरूष परीक्षा में (शास्त्रविद्या कथा में) बहुत सहज रूप से स्पष्ट किये हैं।[18] यह संघर्ष नौलेज (knowledge) और पावर (power) के सम्बन्ध के तहत था। नॉलेज (knowledge) और पावर (power) के सम्बन्धों का इतिहास हमारे यहाँ अपर्याप्त है जिस पर शोध अपेक्षित है और जिससे इस प्रसंग द्वन्द्वों और संघर्षों की सही विवेचना हो सकती है। नामवर सिंह जिसे लोकमत कहते हैं वह लोकायत है। इसकी परम्परा वैदिक युग से घटती–बढ़ती रही, जिसे देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय और अन्य कई विद्वान वैदिक परम्परा के समानान्तर मानते हैं, जिसमें जाति–वर्ण विचार का कोई स्थान नहीं रहा, स्त्री–पुरूष के भेद भी नहीं रहे, सारे तंत्र परपम्पराएँ एवं अन्य, (खासकर जाति–वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध जितने सेक्ट्स और कल्ट्स थे, सब प्रायः इसी लोकायत परम्परा के तहत आते हैं।[19] तंत्र मार्गों का विकास विशाल जन–समूह के बीच फैल रहा था और बुद्धिज्म भी उसमें प्रवेश पाकर जन–समुदायों में पहुँच गया और फिर नाथ सम्प्रदाय के 8वीं–9वीं सदी से जो विकास हुआ उसमं 14वीं सदी के पहले तक करीब 125 सिद्धों के नाम मिलते हैं जिनमें कई महिलाएँ हैं जो खसकर जिन्हें हम आज दलित समूह मानते हैं उसी जाति समूह के (द्विवेदी, हजारी प्रसाद, 1918 नाथ सम्प्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली पौ.6. नई दिल्ली : राजकमल : 48), तीसरी–चौथी सदी (ई.पू.) में जब उच्च वर्ण के महिलाओं को भी वैदिक परम्परा में भागीदारी से हटा दिया गया तो वे भी कालक्रम से तांत्रिक परम्पराओं को अपनाते गये। 14वीं–15वीं सदी तक आते–आते विभिन्न धार्मिक मतों का संघर्ष (जो हिंसा पूर्ण नहीं थे) बहुत प्रखर हो गया। साथ ही, 13वीं–14वीं सदी तक सब लोग अपने को 'हिन्दू' कहने लगे, 'हिन्दू' अस्मिता अपनाये, और पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहली बार विभिन्न धार्मिक मतों के मानने वाले (बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम को छोड़कर) एक कॉमन 'हिन्दू' अस्मिता से बन्ध गये– इतना बड़ा जन समूह का आधार उससे पहले किसी एक, वैदिक या लोकायत परम्परा को भी नहीं मिला था[20] विद्यापति के बाद नानक, कबीर, चैतन्य, सब सिद्धान्ततः इसी भावना के अनुसार वर्ण–जाति के विरूद्ध विचारों के प्रसार के लिये जाने जाते रहे हैं। उदारवादी प्रवृतियों को इस तरह बल मिलता रहा जो उच्च वर्णे के अतिरिक्त विशाल जन समूह में फैलता गया।

मिथिला में कबीर पन्थ के इतिहास का गहन अध्ययन पुर्णेन्दु रंजन ने किया है और इन्होंने दिखलाया है कि कैसे 17वीं सदी से इस पन्थ को उच्च वर्णे को छोड़कर अन्य निम्न और दलित वर्गों के जन समूह अपने विचार धारा (idealogy) के रूप में स्वीकार करता गया।[21] फ्रान्सिस बुकानन के पुर्णियाँ और भागलपुर के रिपोर्ट्स (19वीं सदी के आरम्भ काल) में कबरी पन्थ, नानक शाही, इत्यादि के मानने वालों की विशाल जनसंख्या निम्न वर्गों की का विवरण मिलता है। महिलाओं के बीच, उच्च वर्ण की महिलाएँ भी लोकायत के तहत विभिन्न तंत्र परम्पराओं को सदियों से अन्य वर्णों/जातियों के महिलाओं साथ एक कॉमन (common) आईडियोलोजी (ideology) का निर्वाह करती रही, जिसके चलते उनके बीच आपस में ज्यादे जातिगत भेद–भाव नहीं रहे। आज भी अगर आप किसी उच्च वर्ण के घर के भीतर जाय तो देख सकते हैं कि उनके घर की महिलाएँ अन्य महिलाओं के साथ

एक ही स्थान पर बिना किसी विशेष दूरी के अन्तरंग बातें करती हैं। महिलाओं में विभिन्न तांत्रिक परपम्परा का ज्ञान पुश्त–दर–पुश्त मौखिक परम्परा पर आधारित रहा, तांत्रिक यंत्रों पर आधारित 'अरिपन' का ज्ञान भी उन्हीं के बीच रहा–उसी से ज्यादा प्रभावित मिथिला या मधुबनी पेंटिंग का सृजन महिलाओं तक ही सीमित था–पुरूष वर्ग में इस प्रसंग कोई ज्ञान नहीं था–अब तो बाजार बढ़नें से सभी इस ओर आकर्षित हैं। बहुत सारे लोकगीत महिलाओं के बीच ही रहे जिसे सभी वर्ण की महिलाएँ साथ–साथ विभिन्न अवसरों गाते रहें।

तात्पर्य यह है कि उदारवादी विचार लोकायत के अन्तर्गत विशाल जन समूह जो मुख्यतः निम्न वर्णों और दलित जाति समूह के थे उनके बीच बहुत हद तक फलता–फूलता गया। इसके विपरीत, मिथिला में खासकर, उच्च वर्णों में, विशेषकर ब्राह्मणों में, संकीर्ण भावना पनपती रही।

के.पी. जायसवाल के अनुसार 11वीं सदी के बाद से धर्मशास्त्रीय पक्ष प्रबल होता गया। बुद्धिजीवी वर्ग जो वैदिक परम्परा के मुख्य पक्षधर थे, उन्होंने 13वीं–14वीं सदी तक विद्याओं को उफर्ध्वाधर (vertical) वर्गीकरण कर दिया। समस्तरीय (horizantal) वर्गीकरण तो प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन उसमें किसी का मुख्य या गौण होने की बात नहीं थी। यहाँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि कृषि एवं अन्य सेकुलर (secular) वृत्तियों की विद्याओं को गौण स्थान दिया गया और धर्मशास्त्र से सबंधित विद्याओं को बहुत ही प्रमुख माना गया। ध्यान देने की बात है कि कृषि पर ही पूरा समाज टिका था–बुद्धिजीव वर्ग भी उसी पर अपने जीवन निर्वाह करते थे, परन्तु इस विद्या को ही गौण बना दिया गया। समाज इस तरह अन्दर से कमजोर होता गया–उत्पादन पर असर पड़ा होगा; उत्पादन से जुड़े वर्गों के सम्बन्ध भी प्रभावित हुए होंगे। प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी–सभी वर्ग के लोग कृषि कार्य में भाग लेते थे–जनक के हल चलाने (सीता जन्म प्रसंग) का जो लिजेन्ड (legend) है वह ऐतिहासिक दृष्टि से सत्यता की झलक देता है; कृषि विद्या का स्थान अन्य विद्याओं के समान ही था। मगर मध्य युग आते–आते ब्राह्मणों ने हल छूना भी पाप मान लिया–कृषि विद्या उपेक्षित हो गई। कृषि पराशर (प्रायः दसवीं सदी) के बाद कोई पुस्तक नहीं लिखी गयी। एक पोथी उपवन विनोद (संस्कृत में) का प्रकाशन कामेश्वर सिंह द. संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 1984 ई. में हुई, लेकिन इसके लेखक और उनके काल के विषय मं कोई सूचना नहीं है।

शास्त्रों में भी जो महत्वपूर्ण माने गये उनमें न्याय या नव्यन्याय का स्थान सर्वोपरि हो गया। के.पी. जायसवाल के अनुसार पहले कहा गया, कि मौलिक चिन्तन (original thinking) का ह्रास 11वीं–12वीं सदी से प्रारम्भ हो चुका था–मिथिला में यह कुछ देर से हुआ। भारतीय दर्शन की अन्तिम मौलिक कृति तत्व चिन्तामणि दिनेश चन्द्र भट्टाचार्य के अनुसार 14वीं सदी के गंगेश उपाध्याय का है–जिससे कालक्रम में मिथिला ही नहीं, पूरा देश का बौद्धिक जगत आन्दोलित हो गया। लेकिन, उसके बाद टीकाकारों का युग आया। पांडित्यपूर्ण टीके लिखे गये। भट्टाचार्य के अनुसार गुरू–शिष्य के बीच लिखित वाद–विवाद की परम्परा प्रारम्भ हुई जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वस्थ और ऐक्टिव (active) इन्टेलेक्चुअल \(intellectual) माहौल का सृजन हुआ, लेकिन 17वीं सदी तक आते–आते यह परम्परा विलीन हो गई जिससे मिथिला की बौद्धिक गरिमा करीब–करीब समाप्त ही हो गई।[22] बाद में ऐसे पंडितों की संख्या घटती ही गई। म.म. गंगानाथ झा के अनुसार 19वीं सदी के अन्तक तक आते–आते जिस मिथिला में पहले कभी 100 मीमांसक थे अब मात्र तीन ही बच गये थे।[23] अन्य विद्याओं के इतिहास की ओर झाँकेंगे तो यही पायेंगे कि मौलिक चिन्तन क्रिया मन्द होती गई सभी शास्त्रों में – बौद्धिक जगत ह्रास की ओर बढ़ता गया। संकीर्ण भावना के उदय होने से समाज में चली आ रही बौद्धिक परम्परा भी 14वीं–15वीं सदी के बाद क्रमशः कमजोर (ह्रासोन्मुख) होती गई।

समाज के संदर्भ में जन्म शुद्धता (purity) जाति शुद्धता पर आधारित थी–इसलिये 14वीं सदी के प्रारंभिक काल में वंशावलियों के पंजी प्रबन्ध का आयोजन हुआ। पंजी प्रसंग से यह प्रतीत होता है कि जिस मिथिला में पहले विद्या और व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा मूल्य (value) था, 14वीं–15वीं सदी के बाद धीरे–धीरे जाति भी उसके साथ जुड़ती गई, यों कहिये कि हावी होती गई। गंगेश, वर्धमान, आयाची, इत्यादि के परिचय में उस समय के लेखों में मैथिल अस्मिता का उल्लेख तो है, लेकिन मैथिल ब्राह्मण के अन्दर की जाति–भावना की बात नहीं है। लेकिन 17वीं सदी से प्रारम्भ होते–होते 18वीं सदी तक आकार मैथिल ब्राह्मणों

के अन्तर्गत श्रोत्रिाय, योग्य, पंजीबद्ध एवं जयवार वर्गों का वर्टिकल (vertical) वर्गीकरण सुनिश्चित हो गया।[24] श्रोत्रिय पहले भी थे, लेकिन वे व्यक्ति विशेष हुआ करते थे–कोई जाति या वर्ग न हीं, अब जातीय आधार पर भेद–भाव, जैसे, विवाह, खान–पान इत्यादि में बढ़ने लगा। जाति से विशुद्धता (purity) जुड़ी जुड़ी थी (धर्मशास्त्रीय आधार पर) और धीरे–धीरे मिथिला या मैथिल होने की अस्मिता (Identity) का पंजी ही मुख्य स्तम्भ या आधार हो गया–रमानाथ झा के अनुसार।[25] चूंकि मिथिला के कर्ण कायस्थों में भी पंजी व्यवस्था प्रारम्भ से रही इसलिये उन्हें भी मैथिल अस्मिता में जगह मिली, अन्य सभी वर्ग इस पहचान (identity) से वंचित हो गये। पंजी व्यवस्था से कर्ण कायस्त समाज भी 8 श्रेणियों में बँट गये।[26] इस तरह ब्राह्मणों और कायस्थों के समाजों का भीतर से खण्ड–पखण्ड हो गया–सामूहिक कम्युनिटी (community) की भावना शिथिल होती गई–अपने–अपने श्रेणी की महत्ता, अहंकार की सर्वोपरि हो गया। मिथिला की प्राचीन काल से चली आ रही सारी सांस्कृतिक–बौद्धिक पूंजी इसके समक्ष मानो नतमस्तक हो गई। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि पंजी–पुस्तकों का महत्व मिथिला के इतिहास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें दिये गये ब्यौरे हमारे लिये, असन्दिग्ध मूल्य के श्रोत हैं। बिकौआ जैसी वीभत्स प्रथा 19वीं सदी में किस तरह जाति, कुल, श्रेणी के मर्यादित मूल्यों से फली–फूली सब जानते हैं। क्षणिक स्वार्थ पूर्ति, बिना उद्यम किये सुखों की आकांक्षा, कुल और श्रेणी को ही (विद्या और व्यक्तित्व नहीं रहने पर भी) बड़प्पन का आयाम मानना, पाखंड का बोलबाला, इत्यादि, आप उस समय के प्रचलित शब्दों, कहावतों में ढूँढ़ सकते हैं।

मुख्य रूप से मिथिला में 14वीं–15वीं सदी के बाद उच्च जातियों–खासकर ब्राह्मण वर्ग में संकीर्णता की भावना बढ़ती रही जिसके फलस्वरूप यह वर्ग जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग रहा–"सोन्मुख (decadent) होता गया। मौलिक चिन्तन शिथिल होती गई, अन्दर से खण्ड–पखण्ड होता गया, जातीय विशुद्धता, क्षेत्रीय विशुद्धता सांस्कृतिक एवं बौद्धि विरासत और चेतना पर हावी होती गई, क्रियेटिव पोटेन्शियल (creative potential) बहुत ही कमजोर होता गया।

इसके विपरीत समाज के अन्य निम्न वर्गों में उदारवादी विचार धारा का प्रभाव बढ़ता गया–ज्यादे से ज्यादे लोग इस ओर झुकते गये–मिथिला का समाज इन दो विपरीत धाराओं से ग्रसित हो गया, जिसके चलते एल्टि (elite) और मासेज (masses) में विरोधात्मक संबंध बनते गये।

मिथिला के इतिहास में 14वीं–15वीं सदी के बाद ह्रास कितना भी तीव्र ही विकास किसी न किसी स्तर पर समाज के किसी न किसी क्षेत्रों में रहो होगा। प्रश्न उठता है कौन से ट्रेन्ड (ह्रास का या विकास का) ज्यादे मुखर या सशक्त एवं दृष्टिगोचर रहा है? दूसरी बात है कि हम किसे विकास कहते हैं और किसे ह्रास? विकास प्रसंग बहुत विद्वान चिन्तन में लगे हैं–उनकी बातें अकादमिक जगत तक पहुँच रही है। ह्रास की प्रवृत्ति को मैं संकुचित होने की प्रवृत्ति मानता हूँ जो उदारवादी दृष्टि के विपरीत है। संकुचित होने की प्रवृत्ति से मानववादी मूल्यों की उपेक्षा होती है, अवसरवादिता औप्र स्वार्थ पूर्ति की मानसिकता प्रबल होती है, अल्पकालिक सोच प्रभवकारी हो जाता है, अपने वर्ग/जाति की सीमा की चिन्तन का क्षितिज रह जाता है, इत्यादि। आज जब विकास की बातें हो रही हैं, विकास के मन्त्रों की तलाश हो रही है, तब क्या उचित है कि इतिहासकार वर्ग ह्रास (decadence) पर शोध करें। इस प्रसंग में उल्लेख करना चाहता हूँ जेनेट अबू–लुगहोड जैसे इतिहासकार के विचार जो 1989 ई. में विफोर यूरोपयिन हेजिमोनी, द वर्ल्ड सिस्टम ए.डी. 1250–1350, (ऑक्सफोर्ड यु. प्रेस, न्यूयोर्क) प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने मध्य युग में वर्ल्ड सिस्टम ट्रेडिंग जोन जो चीन से शुरू होकर इंडोनेशिया, भारत, अरब वर्ल्ड से होते हुए यूरोपियन क्षेत्र तक फैली थी के इतिहास की विवेचना किये। इस अध्ययन के दौरान उनहोंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस्सू (issue) उठाये कि पश्चिम के विकास क्रम पर शोध करने से ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयुक्त है पूर्व (East) के ह्रास पर शोध करना।।[27] विकास के लिये रणनीति (strategy) का चिंतन तब तक उचित एवं प्रभावकारी नहीं हो सकते जब तक हम ह्रास के लक्षणों, प्रवृतियों, समाज में उसके उत्पत्ति और प्रभाव के कारणों को नहीं जान लेते हैं। ह्रासोन्मुखी प्रवृतियों पर बिना काबू पाये बिना विकास की सारी योजना निरर्थक हो जाती हैं। ह्रासोन्मुखी प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिये उन्हें जानना होगा, विश्लेषण करना होगा, उसके जड़ों तक पहुँचना होगा–और यह काम सिर्फ इतिहास के द्वारा सम्भव।

मेरी दृष्टि से इस आधार पर शोध से ही न केवल मिथिला क्षेत्र के विकास यात्रा को सही दिशा मिलेगी अपितु राज्य एवं देश के अतिरिक्त अकादमिक विमर्श के प्रासंगिता को वृहत आधार मिलेगा।

पद टिप्पणियाँ :–

1. जेमसन, प्रफेडरिक 2006 पोस्टमॉडर्निज्म और द कल्चरल लौजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, नई दिल्ली : एबीएस पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्श 21–22
2. ह्वाइट, हेडेन वी. 1962 इन्ट्रोडक्शन, कार्लो एन्टोनी, प्रफौम हिस्टरी टू सोशियोलोजी, लंडन, मर्लिन प्रेस : XV-XXVII
3. टॉम्प्सम, जॉन बी. 1983 'रीचींग एन अन्डरस्टैन्डिंग', टाइम्स लिटररी सप्लिमेंट, अप्रैल 8 : 357
4. सरकार, सुमित 1997 राहटिंग सोशल हिस्टरी, दिल्ली, ओ. यू. पी. : 50
5. भट्टाचार्य, सव्यसाची 1983 'हिस्टरी प्रफॉम बिलो', सोशल साइन्टिस्ट, वॉ.11, सं.4,अप्रैल : 4
6. जायसवाल, के.पी. 1936, 'इन्ट्रोडक्शन' जा.के.पी.सं. द राजनीति रत्नाकर ऑफ चण्डेश्वर, पटनाः द बिहार एण्ड ओड़िसा रिसर्च सोसाइटी : 28
7. सचाउफ, एडवर्ड सी. 1996 अलबेरूनीज इंडिया, दिल्ली : लो प्राइश पब्लिकेशन : 152
8. शर्मा, रामशरण 1974 सोशल एण्ड इकोनोमिक कन्डीशन्स (ए. डी. 350–1200) बी. पी. सिन्हा सं. कम्प्रिहेन्सिव हिस्टरी ऑफ बिहार, वौ. 1, पार्ट–।।, पटना : के.पी. जायसवाल रिसर्च इन्स्टिच्यूट : 352–365
9. वहीं : 362
10. चट्टोपाध्याय, बी. डी. 1994 'पॉलिटिकल प्रोसेस एण्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी इन अर्ली मेडिएल इंडिया', द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिएवल इंडिया, दिल्ली : ओ.पू.पी. : 320–321
11. शूलमन, डेविड 1984 'द एनिमी विदिन : आइडिसलिज्म ऑफ पॉलिटी इन अर्ली मेडिवल इंडिया', द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, दिल्ली, ओ.पू.पी. : 320–321
12. जायसवाल, पू. उ. : 24–27
13. काणे, पी.वी. 1975 हिस्टरी ऑफ धर्मशास्त्र, वौ. 1, पार्ट ।।, पूना : भण्डारकर ओरयिन्टल रिसर्च इन्स्टिच्यूट : 775
14. झा, हेतुकर सं. 2001 मिथिला इन नाइनटीन्थ सेंचुरी : आईना–ए–तिरहुत ऑफ बिहारी लाल 'फितरत', कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सिरिज–5, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउण्डेशन, दरभंग : 136–137
15. मिश्र, पंचानन्द और झा, अजय कुमार सं. 2006, झारखण्डी झा विरचित भागलपुर दर्पण, कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सिरिज–9, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउण्डेशन, दरभंगा : 131–132
16. झा, परमेश्वर महामहोपाध्याय 1977 मिथिला तत्व विमर्श, पटना : मैथिली अकादमी : 153–154
17. सिंह, नामवर 2003 भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोकधर्म', दूसरी परम्परा की खोज, पू.उ. : 77
18. झा, रमानार्थ सं. 1960 ठाकुर विद्यापति कृत पुरूष–परीक्षा, पटना विश्वविद्यालय, पटना : 456–459
19. इस प्रसंग देखिये चट्टोपाध्याय, देवीप्रसाद 1959, लोकायत, नई दिल्ली, पिपुल्स पब्लिशिंग हाउस
20. द्विवेदी, हजारी प्रसाद 1998 'भारत वर्ष की सांस्कृतिक समस्या', हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली वौ, 9, नई दिल्ली : राजकमल : 294
21. देखिये रंजन, पूर्णेन्दु 2008 हिस्टरी ऑफ कबीर पन्थ, ए रिजनल प्रोशेस, नई दिल्ली : अनामिका पब्लिशर्स
22. भट्टाचार्य, दिनेशचन्द्र 1958 हिस्टरी ऑफ नव्य न्याय इन मिथिला, दरभंगा : मिथिला इन्स्टिच्यूट ऑफ पोस्ट ग्रैजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन संस्कृत लर्निंग : 122–123
23. झा, हेतुकर सं. 1976 द औटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑफ म.म.डा. सर गंगाानार्थ झा, इलाहाबाद : गंगानाथ झा केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ : 37–38
24. वहीं,
25. झा, रमानाथ 1970 'मैथिल ब्राह्मणक मंपजी व्यवस्था', मिथिला भारती, अं. 2, भाग – 1–4 : 109–112, एवं मिथिला भारती 1969 अं. 1, भाग 1–2, मार्च–जून : 12

26.वहीं, : 7

27. कॉलिन्स, रैन्डल 1999 मेक्रोहिस्टरी, एस्सेज इन द सोशियोलॉजी ऑफ द लौंग रन, कैलिपफोर्निया स्टैनपफार्ड यु. प्रेस : 5

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

शहरी गरीबों पर जे.एन.आर.यू.आर.एम. के प्रभावों का अध्ययन इन्दौर शहर की गंदी बस्तियों के विशेष सन्दर्भ में

निखिल कुलमी
पीएच. डी. शोधार्थी, समाज कार्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, म.प्र.
आर के शर्मा
सहायक प्राध्यापक, इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इन्दौर, म.प्र.

1.1 प्रस्तावना :– म.प्र. की औद्योगिक राजधानी इन्दौर शहर में तीव्रगति से आबादी के साथ–साथ गंदी बस्तियों एवं शहरी गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की गणना अनुसार 439801466 मिलियन लोग शहरों में रहते हैं और यह देश की आबादी का कुल 27.8 प्रतिशत है। स्वतंत्रता काल में भारत की आबादी में तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि शहरी आबादी में पाच गुना वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी में झुग्गीवासियों की संख्या बढ़ी है, जिससे शहर की बुनियादी सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। इस समस्या से निपटने के लिये जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत इन्दौर शहर को भी सम्मिलित किया गया है। इन्दौर शहर की 722 गंदी बस्तियों में लगभग 7.5 लाख गरीब निवास करते हैं, महानगरों की दौड़ में शामिल इन्दौर शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले गरीबों को बेहतर आवास एवं बुनियादी सुविधाऐं प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 2007 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की बी.एस.यु.पी. परियोजना में सम्मिलित किया गया तथा आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर शहरी गरीबों के विकास हेतु गन्दी बस्तियों का चयन इस योजना के अन्तर्गत किया गया।

1.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक परिदृश्य :–

शहरी क्षेत्र विकास के लिए आवश्यकता – 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है जिसमें से लगभग 28 प्रतिशत अथवा 285 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2021 तक शहरी आबादी का शेयर कुल आबादी के लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ना संभावित है। शहरी आर्थिक गतिविधियां नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन का मिलाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर, टेलीकॉम, रोड, जल आपूर्ति तथा जन परिवहन पर निर्भर है।

शहरी क्षेत्र में आवश्यक निवेश आवश्यकता :– यह अनुमान लगाया गया कि सात वर्षों की अवधि में, शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को 1,20,536 करोड़ रुपये के कुल निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सेवाओं में निवेश करना शामिल था, जिससे कि 17,219 करोड़ रुपये की वार्षिक निधि की आवश्यकता थी। यह भली–भांति ज्ञात था कि इन निवेशों को लाभदायक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल की आवश्यकता मेहसूस की गयी जो कि राज्य सरकारों को एक साथ लायी तथा स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बी.) को शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को पोषित करने में समर्थ हुयी।

1.3 सुधार पहलुओं के लिए आवश्यकता :–

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में साधनों की संभाव्यता को बढ़ाना – चूंकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा मॉडल नगरपालिका जैसी कई कानून सुधार पहल की जा रही है। तो विकास लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से और सुधार अभिमुखी कदम उठाने की संभावना है। सुधार पहलुओं को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है तथा निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तरीय सुधर संबंधी निवेशों के लिए आवश्यकता – देश में सभी राज्यों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पहलुओं को स्वीकृत करने तथा निवेश उपार्जन के प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी पहले करने की जरूरत महसूस की गई थी जो कि देश में राज्य सरकारों तथा यूएलबी को सुधार से संबंधित सहायता प्रदान करे।

सतत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु आवश्यकता – अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी वह यह कि शहरी क्षेत्रों में निर्मित वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसम्पत्तियां अपर्याप्त ध्यान और/या असमुचित ओ एंड एम के कारण सामान्यतः निष्क्रिय होती जा रही थी। क्षेत्र में राजकोषीय प्रवाह ने केवल वास्तविक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया था। इन परिसंपत्तियों के दक्षतापूर्वक प्रबंधन के लिए

स्वतः निरन्तरता को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। अतः यह आवश्यक हो गया था कि परिसंपत्ति निर्माण और प्रबंध्न के बीच संबंध स्थापित किया जाए, क्योंकि निरंतर सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों महत्वपूर्ण संघटक हैं। इसे सुधार एजेंडा के माध्यम से सुरक्षित करना प्रस्तावित हुआ।

दक्षता बढ़ाने हेतु आवश्यकता :– संवैधानिक सुधारों के साथ समवर्ती, जैसे कि मॉडल नगर पालिका कानून का अधिनियमन, स्टाम्प ड्यूटी में कमी, शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 (यूएलसीआरए) आदि को निरस्त करना, शहरी सेवा आपूर्ति में दक्षता को बढ़ाने के लिए उपाय करने की तत्काल आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :– गन्दी बस्तियों में निवास करने वाले गरीबों को योजना अन्तर्गत पक्के और सुविधा युक्त आवास प्रदाय किये जा रहे हैं। इसके चलते उनकी जीवन शैली में आये परिवर्तन और उन्नयन का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र :– मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले को उद्देश्यपूर्ण विधि से चयनित कर प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है। इसमें इन्दौर महानगर की मलिन बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता एवं विकास कार्य की प्रभाविता के प्राप्त आकड़ों के आधार पर शोध अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का समग्र :– मध्यप्रदेश के इन्दौर महानगर की मलिन बस्तियों में निवासरत समस्त जनसंख्या को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की ईकाई :– मध्यप्रदेश के इन्दौर महानगर की मलिन बस्तियों के चयनित परिवार को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन विधि :– शोध अध्ययन क्षेत्रियता की परिधि में वृहद आकार की संभावना लिये होता है। अतः बड़े समुदाय में से कुछ प्रतिनिधि इकाईयों का चयन कर लिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में चयनित परिवारों का वर्णन इस प्रकार है–

तालिका 1 अध्ययन क्षेत्र में चयनित परिवारों का वर्णन

क्र.	बस्तियों के नाम	कुल परिवार संख्या	चयनित परिवारों की संख्या
1	पंचशील नगर	546	120
2	भीम नगर	220	50
3	अहीर खेड़ी	350	90
4	नेनोद	80	20
5	भूरी टेकरी	115	20
	कुल	**1311**	**300**

अध्ययन की जाने इन 5 बस्तियों में 1311 परिवार निवासरत है। समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु 5 बस्तियों के 1311 परिवार में से 300 परिवारों को न्यायदर्श बतौर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

प्राथमिक स्त्रोत :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन के प्रथामिक स्त्रोत के रूप में साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन तथा समूहचर्चा आदि का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन के द्वितीय स्त्रोत के रूप में विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों, पत्र–पत्रिकाओं आदि का उपयोग किया गया है।

विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि :– समस्त संकलित आंकड़ों एवं सूचनाओं को चयनित क्षेत्र से संकलित किया गया है जिसके आधार पर मास्टर चार्ट तैयार किया गया, तत्पश्चात् सारणीयन कर विश्लेषण एवं विवेचन किया गया।

तालिका 2 उत्तरदाताओं की लिंग से सम्बन्धित जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरूष	241	80.3
2	महिला	59	19.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 80.3 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता पाये गये जबकि 19.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाता पाये गये।

तालिका 3 उत्तरदाताओं के धर्म का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हिन्दू	239	79.7
2	बौद्ध	61	20.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

उत्तरदाताओं के धर्म से सम्बन्धित विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 79.7 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानने वाले पाये गये जबकि 20.3 प्रतिशत उत्तरदाता बौद्ध धर्म को मानने वाले पाये गये।

तालिका 4 उत्तरदाताओं के वर्ग का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	289	96.3
2	अनुसूचित जनजाति	2	.7
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	3.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 96.3 अनुसूचित जाति के पाये गये जबकि सबसे कम 0.7 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचति जनजाति के पाये। अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 3 प्रतिशत उत्तरदाता पाये गये।

तालिका 5 उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	217	72.3
2	अविवाहित	16	5.3
3	विधवा	59	19.7
4	विधुर	8	2.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 72.3 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित पाये गये जबकि सबसे कम 2.7 प्रतिशत उत्तरदाता विधुर पाये गये। 5.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये जो कि अविवाहित पाये गये वहीं 19.7 प्रतिशत विधवा उत्तरदाता पायी गयी।

तालिका 6 उत्तरदाताओं के परिवार के प्रकार का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	संयुक्त	217	72.3
2	एकाकी	83	27.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 72.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का प्रकार संयुक्त पाया गया जबकि 27.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का प्रकार एकाकी पाया गया।

तालिका 7 उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	239	79.7
2	प्राईमरी	39	13.0
3	माध्यमिक	15	5.0
4	हाईस्कूल	5	1.7
5	हायर सेकेण्डरी	2	.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 79.7 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित पाये गये जबकि सबसे कम 0.7 प्रतिशत उत्तरदाता हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा ग्रहण किये हुए पाये गये। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राईमरी तक की शिक्षा ग्रहण की हुयी थी जबकि 5 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किये हुये पाये गये। हाईस्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 1.7 पाया गया।

तालिका 8 उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध आश्रय का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं का	13	4.3
2	शासन द्वारा प्रदत्त	287	95.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध आश्रय का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 95.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास शासन द्वारा प्रदत्त आश्रय पाया गया जबकि 4.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया उनका आश्रय स्वयं का है।

तालिका 9 उत्तरदाताओं के आश्रय की जगह पर कब्जे का प्रकार का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	वैध कब्जा	3	1.0
2	शासन द्वारा आंवटित	297	99.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के आश्रय की जगह पर कब्जे का प्रकार का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास शासन द्वारा आंवटित आश्रय पाया गया जबकि 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया उनके आश्रय पर वैध कब्जा पाया गया।

तालिका 10 उत्तरदाताओं के आश्रय के स्वरूप का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पक्का	294	98.0
2	अर्द्ध पक्का	6	2.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के आश्रय के स्वरूप का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास पक्का आश्रय पाया गया जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया उनके पास अर्द्धपक्का आश्रय पाया गया।

तालिका 11 उत्तरदाताओं के आश्रय में खाना बनाने का ईधन का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	लकड़ी	6	2.0
2	गैस	294	98.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के आश्रय में खाना बनाने का ईधन का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आश्रयों में खाना बानाने के ईधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आश्रयों में खाना बानाने के ईधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है।

तालिका 12 उत्तरदाताओं की पेयजल प्राप्ति के श्रोतों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं का हैण्ड पम्प	9	3.0
2	सार्वजनिक टंकी	291	97.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं की पेयजल प्राप्ति के श्रोतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 97 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आश्रयों में पेयजल प्राप्ति के श्रोत के रूप में सर्वाजनिक टंकी पायी गयी जबकि 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के आश्रयों में पेयजल प्राप्ति के श्रोत के रूप में स्वयं का हैण्ड पम्प पाया गया।

तालिका 13 उत्तरदाताओं के आश्रयों मं नल की लाईन से आपूर्ति के समय का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 घण्टे	170	56.7
2	1 से 2 घण्टे	10	3.3
3	सप्ताह में दो बार	9	3.0
4	एक दिन छोड़ के एक दिन	111	37.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के आश्रयों में नल की लाईन से आपूर्ति के समय का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 56.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में नल की आपूर्ति दिन में 1 घण्टे की जाती है जबकि सबसे कम 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में नल की आपूर्ति सप्ताह में दो बार की जाती है। 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है वहीं 3.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में 1 से 2 घण्टे पानी की आपूर्ति की जाती है।

तालिका 14 उत्तरदाताओं के जल पूर्ति के श्रोत की दूरी का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	0.5 किमी	178	59.3
2	0.5 से 1 किमी	111	37.0
3	1 किमी से अधिक	11	3.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के जल पूर्ति के श्रोत की दूरी का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 59.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में नल की आपूर्ति 0.5 किमी की दूरी पर पायी गयी जबकि सबसे कम 3.7

प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में नल की आपूर्ति 1 किमी से अधिक की दूरी पर पायी गयी। 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके मौहल्ले में नल की आपूर्ति 0.5 से 1 किमी की दूरी पर पायी गयी।

तालिका 15 उत्तरदाताओं के आश्रयों में शौचालय की उपलब्धता का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नहीं है	13	4.3
2	स्वयं का शौचालय	183	61.0
3	सझा शौचालय	94	31.3
4	समुदायिक शौचालय	10	3.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं के आश्रयों में शौचालय की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके आश्रय में स्वयं का शौचालय पाया गया जबकि सबसे कम 3.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे सामूदायिक शौचालय का उपयोग करते हैं। 31.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे साझा शौचालय का उपयोग करते हैं वहीं 4.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कोई शौचालय नहीं पाया गया।

तालिका 16 उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त आवास की उपलब्धता का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	282	94.0
2	नहीं	18	6.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त आवास की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त आवास उपलब्ध हो पाया जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है।

तालिका 17 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	297	99.0
2	नहीं	3	1.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त भोजन उपलब्धता होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो पाया जबकि 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया है।

तालिका 18 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	297	99.0
2	नहीं	3	1.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त वस्त्र उपलब्धता होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध हो पाया जबकि 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाया है।

तालिका 19 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पोषण स्तर में सुधार होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	84	28.0
2	नहीं	216	72.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पोषण स्तर में सुधार

होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पोषण स्तर में सुधार हो पाया है जबकि 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पोषण स्तर में सुधार नहीं हो पाया है।

तालिका 20 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् प्रजनन दर में वृद्धि होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	67	22.3
2	नहीं	233	77.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् प्रजनन दर में वृद्धि होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 22.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् प्रजनन दर में वृद्धि हो रही है जबकि 77.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् प्रजनन दर में वृद्धि नहीं हो रही है।

तालिका 21 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् कचरे का निस्तारण करने की तकनीकि में आये परिवर्तन का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	216	72.0
2	नहीं	84	28.0
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् कचरे का निस्तारण करने की तकनीकि में आये परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् कचरे का निस्तारण करने की तकनीकि में परिवर्तन आया है जबकि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् कचरे का निस्तारण करने की तकनीकि में परिवर्तन नहीं आया है।

तालिका 22 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात अपराधिक प्रवृत्ति में कमी होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	106	35.3
2	नहीं	194	64.7
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् अपराधिक प्रवृत्ति में कमी होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 35.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् अपराधिक प्रवृत्ति में कमी आयी है जबकि 64.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् अपराधिक प्रवृत्ति में कमी नहीं आयी है।

तालिका 23 उत्तरदाताओं कों सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात बाल अपराध में कमी होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	125	41.7
2	नहीं	175	58.3
	कुल योग	**300**	**100.0**

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् बाल अपराध में कमी होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 41.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् बाल अपराध में कमी आयी है जबकि 58.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् बाल अपराध में कमी नहीं आयी है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त आवास उपलब्ध हो पाया जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं कुल उत्तरदाताओं में से 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास

मिलने के पश्चात् पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो पाया जबकि 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया है। 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के प चात् पोषण स्तर में सुधार हो पाया है जबकि 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् पोषण स्तर में सुधार नहीं हो पाया है। 22.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् प्रजनन दर में वृद्धि हो रही है जबकि 77.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् प्रजनन दर में वृद्धि नहीं हो रही है। 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् कचरे का निस्तारण करने की तकनीकि में परिवर्तन आया है जबकि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् कचरे का निस्तारण करने की तकनीकि में परिवर्तन नहीं आया है। 35.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् अपराधिक प्रवृत्ति में कमी आयी है जबकि 64.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् अपराधिक प्रवृत्ति में कमी नहीं आयी है। 41.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् बाल अपराध में कमी आयी है जबकि 58.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको सुविधा युक्त आवास मिलने के पश्चात् बाल अपराध में कमी नहीं आयी है।

संदर्भ :–

1. आहुजा, राम (2014), ''सामाजिक समस्याएं'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. गाबा, ओमप्रकाश (2003), ''विवेचनात्मक सामाजिक विज्ञान कोश'', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. ऑर्गेन, कुमारी विजविन्को (2001–02), ''प्रवासी एवं तंग बस्ती के बाल श्रमिकों के शिक्षा का स्तर, आकांक्षाएं एवं बालश्रम के कारणों का अध्ययन'', डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू (अप्रकाशित शोध)।
4. सक्सेना, पूजा (1998–99), ''कानपुर की शहरी मलीन बस्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अध्ययन'', डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू (अप्रकाशित शोध)।
5. प्रकाश, ज्ञान (1997), ''समन्वित बाल विकास परियोजना का इंदौर नगर के मलिन बस्तियों की महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव : एक अध्ययन'', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, अंक 5 (5), पृ. क्र. 44–53।
6. झा, राजेश कुमार (सित.2014), ''दो नगरों की कहानी'', योजना, अंक 9, वर्ष 58, पृ. क्रं. 5।
7. भगत, आर. बी. (सित.2014), ''भारत में शहरी नीति और कार्यक्रम अतीत और भविष्य'', योजना, अंक 9 वर्ष 58, पृ. क्रं. 7–10।
8. कुण्डु, अमिताभ (सित. 2014), ''झुग्गीमुक्त भारत का एक दृष्टिकोण'', योजना, अंक 9, वर्ष 58, पृ. क्रं. 15–18।
9. बिष्ट, सुजाता (1989), ''पर्यावरण, प्रदुषण और हम'', तक्षशिला प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
10. सिंह रामगोपाल (2003), ''अनुसूचित जाति के नगरीय जीवन में सामाजिक परिवर्तन'' भारतीय समाज में परिवर्तन की दशायें'', प्रकाशन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू (म.प्र.), पृ. क्रं. 21, 23।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

आंगनवाडी केन्द्र जाने वाली ग्रामीण गर्भवती महिलाओं में पोषण सम्बन्धी शिक्षा का मूल्यांकन

माया सालवी
पीएच. डी. शोधार्थी (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला इन्दौर, म.प्र.
मंजू पाटनी
प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला इन्दौर, म.प्र.

1.1 प्रस्तावना :– भारत देश एक विकाशील राष्ट्र है जो कि, अभी सम्पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है आज भी भारत देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिसके कारण 70 प्रतिशत आबादी तक आधारभूत, सुविधाएँ (सडक, बिजली, पानी) उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध होना या समय पर उपलब्ध होना एक गम्भीर चिंता का विषय है इस विषय से निजात पाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र शासन ने 1985 एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के नाम से आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को उचित चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराना था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव के साथ–साथ माता एवं शिशु, मृत्यु दर काफी अधिक थी जो कि, चिंता का विषय था, जिससे निजात पाने हेतु आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना की गई।

आंगनवाडी वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थिति अपने ही आंगनवाडी में बच्चों की देखभाल तथा खेलकूद का एक केन्द्र है। यह सामुदायिक स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती व स्तनपान वाली महिलाओं व किशोरियों को सेवाएं प्रदान करने का एक केन्द्र हैं। इसके अलावा आंगनवाडी मिलने–जुलने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्भवती महिलाओं ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान–प्रदान कर सकते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को अपने आहार के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माँ को अपने लिए और अपने गर्भ में पनपते बच्चे के लिए खाना चाहिए। इस काल में विकासशील शिशु अपनी वृद्धि के लिए पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर करता है। इस नौ माह की अवधि में माता के गर्भ में शिशु एक सुक्ष्म कोशिका से पूर्ण निर्मित लगभग 3 किलो वजन वाले शिशु का रूप धारण करता है। यह तभी संभव होता है जबकि गर्भवती महिला गर्भस्थ शिशु के निर्माण में सारी सामग्री प्रदान करती है। यह सारी सामग्री उसे अपने आहार से प्राप्त होती है। वर्तमान में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इनमें बचाव के उपाय बच्चों एवं माताओं तक किसी भी माध्यम से पहुँचाया जाये इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में कई संस्थाओं द्वारा पोषण व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों का महिलाओं को कितना लाभ मिलता है और वे स्वयं अपना पोषण स्तर कैसे अच्छा रख सकती हैं।

आँगनवाड़ी का अर्थ :– आंगन से आश्रय होता है यह भारतीय सार्वजनिक देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है आपूर्ति पोषण शिक्षा अनुपूरक एवं जनसंख्या नियंत्रण डिपों के रूप में कार्य किया जाता है। आँगनवाड़ी बच्चों का पोषण स्वास्थ्य और स्कूल से पहले की शिक्षा स्कूल की शिक्षा के बेहतर बनाने के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम है आज के समय में इसके अंतर्गत वो गांव एवं बस्तियां आती है सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर पिछडे हुए है इसके अंतर्गत 6 साल से कम बच्चों को शामिल किया जाता है निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते है। स्वास्थ्य लाभ, आहार की पूर्ति, स्वास्थ्य की शिक्षा, माँ के लिए पोषण सम्बन्धी शिक्षा टीकाकरण और विटामिन–ए की आपूर्ति एवं स्कूल से पहले की शिक्षा जिन्हें हम दो उप वर्गो में वर्गीकृत कर सकते है।

1. एक माह से 36 माह का तक समय 36 माह के कम उम्र के बच्चे अपनी माताओं के साथ आँगनवाड़ी केन्द्र द्वारा पालन–पोषण टीकाकरण इत्यादि सुविधाओं का प्रदान किया जाना होता है।
2. 36 से 72 माह दूसरे वर्ग में 36 में 72 माह के बच्चों को शामिल किया जाता है स्कूल के पूर्व की शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका :–

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हैं और 3–4 प्रसव पूर्व देखरेख करने में उनकी मदद की जानी चाहिए।

2. सुनिश्चित करें कि सभी प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् सेवाऐं प्राप्त करने के लिए उचित समय पर और आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं।
3. गर्भवती महिलाओं को खान पान की स्वास्थ्य आदतों, पोशक आहार तथा अंधविश्वासों एवं खान पान की गलत धारणाओं से बचने के लिए परामर्श प्रदान किया जाता है।
4. गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी स्थिति पर नजर रखने के लिए साप्ताहिक आधार पर उनके घर जाना चाहिए।
5. महिलाओं के गर्भधारण की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए नवविवाहित तथा अन्य जोड़ों को ''निश्चय गर्भधारण किट'' के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
6. गर्भवती महिलाओं कों नियमित रूप से पूरक आहार तथा आयरन फोलिक एसिड टेबलेट प्रदान की जानी चाहिए।

आंगनवाड़ी वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थिति अपने ही आँगनवाड़ी में बच्चों कि देखभाल तथा खेलकुद का एक केन्द्र है। यह सामुदायिक स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती व स्तनपान वाली महिलाएं व किशोरियों को सेवाएं प्रदान करने का एक केन्द्र हैं इसके अलावा आँगनवाड़ी मिलने – जुलने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्भवती महिलाओं ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विधारों का आदान – प्रदान कर सकते है। गर्भावस्था में महिलाओं को अपने आहार के संबंध में विशेष ध्यान देना चाहिए गर्भवती माँ को अपने लिए और अपने गर्भ में पनपते बच्चे के लिए खाना चाहिए इस काल में विकाशील शिशु अपनी वृद्धि के लिए पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर करता है इस नौ माह की अवधि में माता के गर्भ में शिशु एक सुक्ष्म कोशिका से पूर्ण निर्मित लगभग 3 किलो वजन वाले शिशु का रूप धारण करता है यह तभी संभव होता है जबकि गर्भवती महिला गर्भस्थ शिशु के निर्माण में सारी सामग्री प्रदान करती है यह सारी सामग्री उसे अपने आहार से प्राप्त होती है। वर्तमान में बात की अत्यन्त आवश्यक है कि इनमें बचाव के उपाय बच्चों एवं माताओं तक किसी भी माध्यम से पहुंचाया जाये इसी कड़ी में म.प्र. में कई संस्थाओं द्वारा पोषण व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे है इन कार्यक्रमों का महिलाओं को कितना लाभ मिलता है और वे स्वयं अपना पोषण स्तर कैसे अच्छा रख सकते है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य :– आंगनवाडी केन्द्र जाने वाली ग्रामीण गर्भवती महिलाओं में पोषण सम्बन्धी शिक्षा का मूल्यांकन करना।

1.4 शोध अध्ययन की परिकल्पना :– आंगनवाडी केन्द्र जाने वाली तथा नही जाने वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पडता।

अनुसन्धान प्ररचना :– प्रस्तुत शोध अध्ययन में सामाजिक शोध अध्ययन की विधि के अन्तर्गत शोध प्ररचना का निर्माण कर शोध उद्देश्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है।

शोध समस्या का चुनाव :– एक महिला ही महिला की समस्याओं को समझ सकती है और उसकी समस्याओं का समाधान भी महिला ही महिला को बता सकती है जिसके कारण उसके द्वारा महिलाओं के सामने सर्वाधिक चुनौती गर्भावस्था के आने वाली समस्याएँ एवं शिशु के पोषक आहार की जानकारी प्रदान करना जैसे– विषय का चयन किया गया और पाया गया कि शासन द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाडी स्वास्थ्य केन्द्रों की योजनाओं मे से गर्भवती महिलाओं हेतु पोषण सम्बन्धी योजनाओं विषय पर शोध कार्य करने की आव यकता है। जिससे कि गर्भवती महिलाएँ स्वयं के जीवन में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान को प्रस्तुत किया जा सके। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन हेतु आंगनवाडी केन्द्र की स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी योजनाओं का ग्रामीण गर्भवती महिलाओं एवं उनके शिशुओं पर प्रभाव का अध्ययन विषय का चयन प्रस्तुत भोध हेतु किया गया।

अध्ययन क्षेत्र :– महू अधिकृत नाम डॉ. अम्बेडकर नगर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के इन्दौर जिले का एक छोटा सा कस्बा है यह मुम्बई–आगरा रोड पर इन्दौर भाहर के दक्षिण में 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार महू तहसील की जनसंख्या 85,023 है जिसमें से 54 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या और 46 प्रतिशत महिला जनसंख्या है। महू तहसील की साक्षरता दर 72 प्रतिशत है। 0 से 6 वर्श के बच्चों की जनसंख्या 9308 पायी गयी जोकि कुल जनसंख्या का 11.39 प्रतिशत है। यहा का लिंगानुपात 862 है जबकि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 908 है। प्रस्तुत अनुसंधान के

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्दौर जिले की महू तहसील में कार्यरत आंगनवाडी केन्द्रों को चयनित किया गया। इन केन्द्रों द्वारा जिन हितग्राही महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया उनका चयन कर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए महू तहसील में कार्यरत आंगनवाडी केन्द्रों सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य महू तहसील स्थित सीमाओं के अन्दर किया गया।

अध्ययन का समग्र :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले की महू तहसील में निवासरत समस्त गर्भवती महिलाओं को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन की इकाई :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले की महू तहसील में निवासरत चयनित गर्भवती महिला को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

निदर्शन विधि :– निदर्शन किसी बड़े समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत शोध विषय से सम्बन्धित सम्पूर्ण जनसंख्या व क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जिसके आधार पर समग्र का चयन सावधानी पूर्वक किया जाता है जो कि आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करता है। महू तहसील की ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को चयनित किया गया तथा तुलनात्मक अध्ययन किया गया एवं वैज्ञानिक विधियों के आधार पर बहुस्तरीय दैव–निर्देशन पद्धति का उपयोग किया गया।

प्रथम चरण :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले की महू तहसील को उद्देश्यपूर्ण विधि के आधार पर चयनित किया गया।

द्वितीय चरण :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र महू तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कुल आंगनवाड़ी केन्द्र 228 हैं। कुल 228 आंगनवाडी केन्द्रों में से 46 (20 प्रतिशत) आंगनवाडी केन्द्रों को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तृतीय चरण :– यह अध्ययन 204 ग्रामीण गर्भवती महिलाओं पर किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार होगा।

तालिका क्र. 1 ग्रामीण गर्भवती महिलाएँ

<table>
<tr><td colspan="8">आंगनवाडी जाने वाली</td></tr>
<tr><td colspan="2">18 से 25 वर्ष</td><td colspan="2">25 से 32 वर्ष</td><td colspan="2">32 से 40 वर्ष</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">34</td><td colspan="2">34</td><td colspan="2">34</td></tr>
<tr><td>शिक्षित</td><td>अशिक्षित</td><td>शिक्षित</td><td>अशिक्षित</td><td>शिक्षित</td><td>अशिक्षित</td></tr>
<tr><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>102</td></tr>
<tr><td colspan="8">आंगनवाडी नहीं जाने वाली</td></tr>
<tr><td colspan="2">18 से 25 वर्ष</td><td colspan="2">25 से 32 वर्ष</td><td colspan="2">32 से 40 वर्ष</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">34</td><td colspan="2">34</td><td colspan="2">34</td></tr>
<tr><td>शिक्षित</td><td>अशिक्षित</td><td>शिक्षित</td><td>अशिक्षित</td><td>शिक्षित</td><td>अशिक्षित</td></tr>
<tr><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>102</td></tr>
<tr><td colspan="8">कुल योग 204</td></tr>
</table>

तथ्यों का संकलन :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकडों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेशण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

प्राथमिक आँकड़ें :– प्राथमिक आँकडों का सग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समुह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उददेश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक तथ्य :– द्वितीयक तथ्यों का संकलन गर्भवती महिलाओं से सम्बन्धित साहित्य, शोध पत्र–पत्रिकाएँ, शासकीय प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकीय विभाग, जिला गजेटियर, समाचार–पत्र, इंटरनेट के आधार पर किया गया है।

तकनीक एवं उपकरण :– संमक एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, साक्षात्कार पद्धति, अनौपचारिक वार्तालाप, एस. पी. एस. एस., सारणीयन एवं फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु आवश्यकतानुसार काई वर्ग या सहसम्बन्ध (कार्ल पियर्सन) के सहसम्बन्ध गुणांक विधि का उपयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण :– अध्ययन क्षेत्र महू तहसील से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया है। संग्रहित तथ्यों को अलग–अलग नम्बर (कोड) दिये गये, इन कोड के आधार पर कम्प्युटर द्वारा एस. पी. एस. एस. पैकेज का प्रयोग करते हुऐ तथ्यों का सारणीयन एवं सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्याओं के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्याओं के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं की आय** एवं **गर्भ के समय होने वाली समस्याओं** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	105.555[a]	16	.000
N of Valid Cases	204		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 16 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 26.296$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 105.555$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात $26.296 < 105.555$ अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्याओं के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्याओं के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।''** स्वीकृत की जाती है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्या के कारणों के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्या के कारणों के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं की आय** एवं **गर्भ के समय होने वाली समस्या के कारणों** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	158.758[a]	16	.000
N of Valid Cases	204		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 16 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 26.296$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 158.758$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात $26.296 < 158.758$ अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्या के कारणों के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं की आय एवं गर्भ के समय होने वाली समस्या के कारणों के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।''** स्वीकृत की जाती है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं की आय एवं समस्याओं के उपचार कराने के स्थान के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं की आय एवं समस्याओं के उपचार कराने के स्थान के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं की आय** एवं **समस्याओं के उपचार कराने के स्थान** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	**144.158[a]**	**20**	**.000**
N of Valid Cases	**204**		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 20 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 31.410$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 144.158$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात $31.410 < 144.158$ अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं की आय एवं समस्याओं के उपचार कराने के स्थान के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं की आय एवं समस्याओं के उपचार कराने के स्थान के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।''** स्वीकृत की जाती है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं की आय एवं पोषण प्राप्त करने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं की आय एवं पोषण प्राप्त करने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं की आय** एवं **पोषण प्राप्त करने** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	**62.789[a]**	**12**	**.000**
N of Valid Cases	**204**		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 12 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 21.026$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 62.789$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात $21.026 < 62.789$ अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं** की आय एवं पोषण प्राप्त करने **के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं** की आय एवं पोषण प्राप्त करने **के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।''** स्वीकृत की जाती है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय दिनचर्या के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय दिनचर्या के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर** एवं **गर्भकाल के समय दिनचर्या** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	**78.259[a]**	**30**	**.000**
N of Valid Cases	**204**		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 30 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 43.773$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 78.259$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात 43.773<78.259 अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिश्ठ सम्बन्ध है। अतः भून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय दिनचर्या के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय दिनचर्या के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।''** स्वीकृत की जाती है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर** एवं **गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.750[a]	6	.136
N of Valid Cases	204		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 6 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 23.685$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 56.075$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात 23.685<56.075 अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।''** स्वीकृत की जाती है।

उपकल्पना

H_0 गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने की आवृत्ति के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने की आवृत्ति के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए **गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर** एवं **गर्भकाल के समय नियमित जाँच कराये जाने की आवृत्ति** के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	108.914[a]	24	.000
N of Valid Cases	204		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 24 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य $\chi^2_t = 23.685$ है तथा χ^2 का परिणत मूल्य $\chi^2_c = 56.075$ (.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है। अर्थात 23.685<56.075 अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित जांच कराये जाने की आवृत्ति के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।''** अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **''गर्भवती महिलाओं के शैक्षणिक स्तर एवं गर्भकाल के समय नियमित**

जाँच कराये जाने की आवृत्ति के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध है।'' स्वीकृत की जाती है।

सन्दर्भ :–

1. मानव संसाधन मंत्रालय महिला एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली (2012–213)
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रिपोर्ट (2014–2017)
3. आई सी डी एस, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रिपोर्ट 2017।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (htpps://mohfw.gov.in)
5. ब्लॉग टीकाकरण अनुसूची भारत 2016 (www.hatepsm.com)
6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय www.wcf.in/schemes
7. www.icds.nic.in सोशल मीडिया सहभागिता (2014)
8. www.gov.in.vaccinution यूआईपी कार्यक्रम
9. e.sanchayika.mp.gov.in ई सचायिका आई सी डी एस।
10. https://sarkariinfo.in (गर्भावस्था में सहायता योजना 2017)।
11. www.mpcwd.nic.in इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2011।
12. www.amarujala.com
13. www.danikbhaskar.com
14. नई दुनिया (2018) आंगनवाड़ी की गर्भवती को मिलेगा गर्म भोजन।
15. पत्रिकाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मासिक पत्रिका म.प्र. स्वास्थ्य संचार (दिसम्बर 2011)।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

आधुनिकीकरण का भील जनजाति की व्यवसायिक गतिशीलता व सामाजिक प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

कल्पना भण्डारी
पीएच. डी. शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, म.प्र.

प्रस्तावना :– परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जो निरन्तर हर व्यवस्था में विद्यमान है। बदलाव किसी भी समाज की निरंतरता एवं जीवंतता का परिचायक होता है। जैसे–जैसे जीवन के लिए संसाधनों में परिवर्तन संभव होता है उसी के अनुरूप जीवन स्तर प्रभावित होता है। जब किसी व्यक्ति या जाति समुदाय की जीविका का आधार बदलता है तो उसकी पूर्व की स्थिति पर एवं अवस्था भी परिवर्तित होती है। जो व्यक्ति वर्तमान एवं भविष्य में सम्भावित परिवर्तनों के अनुरूप जीविका के उन्नत आधार को चुनता है, वह अपना अस्तित्व बनाए रख पाता है तथा बेहतर विकास करता है, परिवर्तन बदलते परिवेश में सामाजिक जीवन को गतिमान रखने के लिए आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है[1]।

भारतीय परिवेश में देखें तो विभिन्न विद्वानों ने आधुनिकीकरण को परिभाशित किया है। एम. एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के तीन क्षेत्र बताये हैं (1) भौतिक संस्कृति का क्षेत्र (2) सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र (3) ज्ञान, मूल्य एवं मनोवृत्तियों का क्षेत्र। उपरोक्त तीनों क्षेत्र एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। एस. सी. दुबे के अनुसार भारत में परम्परा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है। इनके अनुसार आज भी भारतीय लोग गांव में निवास करते हैं, परम्परावादी हैं एवं दूसरी ओर आधुनिकता से बिल्कुल अछूते भी नहीं हैं। यातायात, रेल, मोटर, संचार, रेडियो, समाचार पत्र, शिक्षा, प्रशासन, सामुदायिक योजनाएँ आदि ने यहाँ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही परिवार का स्वरूप, स्त्रियों का परिवार में महत्व, विवाह, व्यवसाय, संस्तरण, कर्म–काण्ड व पवित्रता की धारणाओं में परिवर्तन हुआ है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण के कारण आज भील जनजाति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण होने से गतिशीलता बढ़ी है, पुरानी प्रथाओं के स्थान पर नवीन जीवन मुल्य पनपे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता को अलौकिक भाक्ति की देन नहीं माना जाता, बल्कि सत्ता का लोगों में विकेन्द्रीकरण हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में मशीनों का उपयोग बढ़ा है, उत्पादन में वृद्धि हुई है।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप नगरीकरण व औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। जिसके कारण जनजाति जीवन भी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। इस प्रक्रिया से परम्परावादी विचारों, मान्यताओं, संस्कृति आदर्शों आदि को छोड़कर नवीन विचारों, मूल्यों आदि को आत्मसात करने लगा है। जनजाति समाज भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है।

विभिन्न शोध अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनजातियों में पिछले दो दशकों से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है जैसे संचार के साधन, आवागमन के साधन, औद्योगिकीकरण, शिक्षा एवं योजनाबद्ध कार्यक्रमों के कारण कभी जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले ये आदिवासी जो सभ्यता के सम्पर्क से कटे हुए थे आज संचार श्रृंखला में बंध जाने से सभ्य समाज के निकट आ गए हैं। आधुनिकीकरण का जो प्रभाव उन पर पड़ रहा है वह अन्य समूहों से भिन्न है। शिक्षा के प्रसार ने जनजातीय लोगों को विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश पाने योग्य बना दिया है जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर अन्य राजकीय योग्यता प्राप्त करने लग गए हैं।

अब भील जनजाति के लोग भी हिन्दू पद्धति से भी विवाह करने लगे हैं। वैवाहिक स्थिति पर भी आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के प्रति इसकी जागरूकता बढ़ी है। आधुनिकता से बढ़ता सम्पर्क इनमें सीमित परिवारों को लोकप्रिय बना रहा है। भील आदिवासी विद्यार्थी जो आधुनिकता के सम्पर्क में हैं, पूर्ण रूप से न तो आधुनिकता को ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं परम्परागत रहे हैं। इनके परम्परागत सामाजिक नियम

[1] निकुंज, एम.एल. बर्मा (1995) ''भीलों की सामाजिक व्यवस्था'', मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद, भोपाल।

व्यक्तिगत कमजोरियाँ एवं इसके पूर्वज इन्हें आधुनिक संस्कृति से अनुकूलन करने में बाधा बने हुए हैं। इनकी भाषा भी आधुनिकता से प्रभावित हुई है। नगरीय मित्रों से अभी भी ये अपने आपको पिछड़ा अनुभव करते हैं। अर्थात् इनमें हीनता की भावना है। आधुनिकता से सम्पर्क के कारण इनके परम्परागत मूल्यों का पतन हो रहा है।

शोध प्रविधि :–

अनुसंधान प्ररचना :– प्रस्तुत अध्ययन में शोध उद्देश्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :– आधुनिकीकरण का भील जनजाति की व्यवसायिक गतिशीलता व सामाजिक प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना :– भील जनजाति के जीवन पर शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं सूचना प्रोद्योगिकी का व्यवसायिक गति ीलता तथा सामाजिक प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन क्षेत्र :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ को चयनित किया गया।

अध्ययन का समग्र :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिले के ग्रामीण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के समस्त परिवारों को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की इकाई :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के चयनित उत्तरदाता को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन विधि :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु स्तरीकृत निदर्शन विधि का उपयोग कर उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जो कि निम्न प्रकार है :–

तालिका 1

झाबुआ जिले में उत्तरदाताओं का चयन

जिला झाबुआ (उद्देश्यपूर्ण विधि)					
चयनित तहसील (जनसंख्या विधि)					
थांदला	**पेटलावाद**	**मेघनगर**	**झाबुआ**	**रानापुर**	**कुल गांव**
112	240	110	256	95	813
चयनित गांव (निदर्शन संख्या तालिका Random Number Table)					
8	8	8	8	8	40
चयनित उत्तरदाता (कोटा पद्धति एवं उद्देश्यपूर्ण विधि)					
80	80	80	80	80	400

जिले का चयन :– प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ को उद्देश्यपूर्ण विधि के आधार पर चयनित किया गया।

तहसील का चयन :– अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिले की समस्त तहसीलों जिनमें थादला, पेटलावाद, मेघनगर, झाबुआ एवं पटलावाद को जनसंख्या विधि के आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

गांवों का चयन :– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु झाबुआ जिले की पाँच तहसीलों में से **(प्रत्येक तहसील से 8 गांव)** कुल 40 गांवों को दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम सभी तहसीलों के गांवों की सूची शहर से दूरी के आधार पर तैयार की गयी तत्पश्चात् 20 गांव शहर के नजदीक एवं 20 शहर से दूर स्थित गांवों का चयन दैव निदर्शन संख्या तालिका का उपयोग कर की गयी।

उत्तरदाताओं का चयन :– अध्ययन में चयनित प्रत्येक गांव से 10 भील जनजाति के उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग कर 200 उत्तरदाता शहर के नजदीक के गांवों से एवं 200 उत्तरदाता शहर

से दूर स्थित गांवों से कुल 400 उत्तरदाताओं को चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

आँकड़ों का आधार एवं एकत्रण :– प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्त्रोत :– प्राथमिक स्त्रोतों का सग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं साक्षात्कार, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समुह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक स्त्रोत :– द्वितीयक स्त्रोतों के अन्तर्गत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण प्रतिवेदन, संस्मरण, यात्रा–वर्णन, पत्र डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, शासकीय आंकड़े अनुसंधान प्रतिवेदन, समाचार पत्र, पत्रिका, शोध पत्रिका, संबंधित सरकारी विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, इन्टरनेट, अप्रकाशित सामग्री, अनुसूचित जनजाति विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, एवं विभिन्न पुस्तकालय आदि से द्वितीयक स्त्रोत एकत्रित किये गये।

तकनीक एवं उपकरण :– संमक एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, साक्षात्कार पद्धति, एस. पी. एस. एस. सारणीयन एवं फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है।

वि□लेषणात्मक पृष्ठभूमि :– आंकड़ों के संकलन के पश्चात् संग्रहित आंकड़ों की छंटनी करके, कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया गया तथा एस.पी.एस.एस. (SPSS) पैकेज का प्रयोग करते हुए सारणीयन के पश्चात् विश्लेषण करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गये हैं।

तालिका क्र. 2

भील जनजाति में हस्तकला की वस्तुओं की जानकारी

हस्तकला की वस्तुएँ बनाते हैं			
क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	135	33.75
2	नहीं	265	66.25
	कुल योग	400	100.0
यदि हाँ तो विवरण			
क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टोकरी	42	31.11
2	मिट्टी के खिलौने	32	23.71
3	मिट्टी की कोठी	23	17.03
4	उपर्युक्त सभी	38	28.15
	कुल योग	135	100.00

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

भील जनजाति में हस्तकला की वस्तुओं की जानकारी का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 33.75 प्रतिशत उत्तरदाता हस्तकला की वस्तुएँ बनाते हैं जबकि 66.25 प्रति ात उत्तरदाताओं ने बताया कि वे हस्तकला की वस्तुओं की जानकारी नहीं रखते हैं और ना ही बनाते हैं।

हस्तकला की वस्तुओं को बनाने वाले कुल 135 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 31.11 प्रतिशत उत्तरदाता टोकरी का निर्माण करते हैं जबकि सबसे कम 17.03 प्रतिशत उत्तरदाता मिट्ठी की कोठी बनाते हैं। 23.71 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जोकि मिट्टी के खिलोने बनाते है वहीं 28.15 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि वे उपर्युक्त सभी हस्तकला की वस्तुओं का निर्माण करते हैं।

तालिका क्र. 3
भील जनजाति उत्तरदाताओं की वनों से संग्रहित प्राप्त आय का विवरण

क्र.	प्राप्त आय का विवरण	पूर्वजों के समय		वर्तमान समय में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	₹ 2000 – ₹ 5000	237	59.25	203	50.75
2	₹ 5000 – ₹ 10000	75	18.25	82	20.50
3	₹ 10000 – ₹ 15000	51	12.75	68	17.00
4	₹ 15000 से अधिक	37	9.25	47	11.75
	कुल योग	**400**	**100.0**	**400**	**100.0**
स्वतन्त्रता की मात्रा = 3				5 प्रतिशत स्तर पर अन्तर सार्थक है।	
काई–वर्ग (χ^2) = 6.589				सारणी मान = 7.815	

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

भील जनजाति उत्तरदाताओं की वनों से संग्रहित प्राप्त आय का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 59.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पूर्वजों की वनों से संग्रहित आय 2000 रुपये से लेकर ₹ 5000 तक पायी जाती थी वहीं सबसे कम 9.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वनों से संग्रहित आय ₹ 15000 से अधिक पायी जाती थी। 18.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पुर्वजों के समय वनों से आय ₹ 5000 से लेकर ₹ 10000 तक पायी जाती थी वहीं 12.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ वनों से संग्रहित आय ₹ 10000 से लेकर ₹ 15000 तक पायी जाती थी।

वर्तमान समय में वनों से संग्रहित आय के विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 50.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया कि उनकी वनों से संग्रहित आय ₹ 2000 से ₹ 5000 तक है कि जबकि सबसे कम 11.75 प्रति ात उत्तरदाताओं की आय ₹ 15000 से अधिक पायी गयी। 20.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वनों से संग्रहित आय ₹ 5000 से ₹ 10000 तक पाया गयी जबकि 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी वनों से संग्रहित आय ₹ 10000 से ₹ 15000 तक पायी गयी।

तालिका से स्पश्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 3 स्वन्त्रता की मात्रा के लिए काई–वर्ग (χ^2) का सारणी मान 7.815 है जो परिकलित मान 6.589 से अधिक है इसलिए कहा जा सकता है कि काई–वर्ग (χ^2) सार्थक है। अतः दोनों पूर्वजों के समय भील जनजाति उत्तरदाताओं की वनों से संग्रहित प्राप्त आय एवं वर्तमान समय में भील जनजाति उत्तरदाताओं की वनों से संग्रहित प्राप्त आय सम्बन्धित नहीं है स्वतन्त्र हैं। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका क्र. 4
भील जनजाति में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली सम्बन्धी विवरण

क्र.	विवरण	पूर्वजों के समय		वर्तमान समय में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	खाद्य पदार्थ	264	66.0	43	10.8
2	मक्का	78	19.5	70	17.5
3	ज्वार	36	9.0	94	23.5
4	गेंहू	22	5.5	120	30.0
5	चावल	00	0.0	73	18.3
	कुल योग	**400**	**100.0**	**400**	**100.0**
स्वतन्त्रता की मात्रा = 4				5 प्रतिशत स्तर पर अन्तर सार्थक है।	
काई–वर्ग (χ^2) = 508.726				सारणी मान = 9.488	

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

भील जनजाति में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली सम्बन्धी विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पूर्वजों के समय खाद्य पदार्थों का विनिमय किया जाता था वहीं सबसे कम 5.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पूर्वजों के समय गेंहू का विनिमय किया जाता था। 19.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ मक्का का विनिमय किया जाता था वहीं 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ ज्वार का विनिमय किया जाता था।

वर्तमान समय में भील जनजाति में सर्वाधिक 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ गेंहू का विनिमय किया जाता है जबकि सबसे कम 10.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ खाद्य पदार्थों का विनिमय किया जाता है। 17.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ मक्का का विनिमय किया जाता है वहीं 23.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके यहाँ ज्वार का विनिमय किया जाता है। 18.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उनके यहाँ चावल का विनिमय किया जाता है।

तालिका से स्पश्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 4 स्वन्त्रता की मात्रा के लिए काई–वर्ग (χ^2) का सारणी मान 9.488 है जो परिकलित मान 508.726 से अत्यधिक कम है इसलिए कहा जा सकता है कि काई–वर्ग (χ^2) सार्थक है। अतः दोनों पूर्वजों के समय भील जनजाति में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली एवं वर्तमान समय में भील जनजाति में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली सम्बन्धित है स्वतन्त्र नहीं। इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका क्र. 5

भील जनजाति के उत्तरदाताओं द्वारा पशुपालन करने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	227	56.75
2	नहीं	173	43.25
	कुल योग	**400**	**100.0**
यदि हाँ तो पाले जाने वाले पशुओं का विवरण			
क्र.	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	गाय	51	22.46
2	बैल	24	10.57
3	भैंस/बकरी/मुर्गी	96	42.29
4	सभी प्रकार के पशु	56	24.67
	कुल योग	**227**	**100.0**

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

भील जनजाति के उत्तरदाताओं द्वारा पशुपालन करने का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेशण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 56.75 प्रतिशत उत्तरदताओं ने बताया कि वे पशुपालन करते हैं वहीं 43.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे पशुपालन नहीं करते हैं।

पशुपालन करने वाले कुल 227 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 42.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे भैंस/बकरी/मुर्गी का पालन करते हैं जबकि सबसे कम 10.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे बैल का पालन करते हैं। 22.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे गाय क पालन करते हैं वहीं 24.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे सभी प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं।

तालिका क्र. 6
पशुओं की खरीद एवं बिक्री करने के स्थान का विवरण

क्र.	विवरण	पूर्वजों के समय		वर्तमान समय में	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	साप्ताहिक हाट बाजार	376	94.00	62	15.50
2	बाजार	24	6.00	105	26.25
3	उपर्युक्त दोनों	00	0.00	233	58.25
	कुल योग	**400**	**100.0**	**400**	**100.0**
स्वतन्त्रता की मात्रा = 2			**5 प्रतिशत स्तर पर अन्तर सार्थक है।**		
काई–वर्ग (χ^2) = 601.567			**सारणी मान = 5.911**		

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

पशुओं की खरीद एवं बिक्री करने के स्थान का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 94 प्रतिशत उत्तरदताओं के द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों के द्वारा साप्ताहिक हाट बजार से पशुओं की खरीदी व बिक्री की जाती थी वहीं सबसे कम 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पूर्वज बाजार से पशुओं की खरीदी व बिक्री करते थे।

वर्तमान समय में पशुओं की खरीदी व बिक्री के स्थान के विवरण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 58.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार एवं बाजार से पशुओं की खरीदी व बिक्री की जाती है जबकि सबसे कम 15.50 प्रतिशत उत्तरदाओं ने बताया कि साप्ताहिक हाट बाजार से पशुओं की खरीदी व बिक्री की जाती है। 26.25 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि वे पशुओं की खरीदी व बिक्री करते हैं।

तालिका से स्पश्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 2 स्वन्त्रता की मात्रा के लिए काई–वर्ग (χ^2) का सारणी मान **5.911** है जो परिकलित मान **601.567** से अत्यधिक कम है इसलिए कहा जा सकता है कि काई–वर्ग (χ^2) सार्थक है। अतः दोनों पूर्वजों के समय **पशुओं** की खरीद एवं बिक्री करने के स्थान एवं वर्तमान समय में पशुओं की खरीद एवं बिक्री करने के स्थान सम्बन्धित है स्वतन्त्र नहीं। इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

तालिका क्र. 7
खेतों में लागत के प्रबन्धन सम्बन्धी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बैंक से लोन लेकर	84	21.00
2	साहुकार से कर्ज लेकर	132	33.00
3	रिश्तेदारों से	68	17.00
4	स्वयं की बचत से	116	29.00
	कुल योग	**400**	**100.0**
यदि साहूकार या बैंक से ऋण लिया है तो ब्याज दर			
क्र.	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	5 प्रतिशत या इससे से कम	97	44.90
2	5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत	35	16.20
3	10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत	38	19.59
4	15 प्रतिशत से अधिक	46	21.29
	कुल योग	**216**	**100.0**

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

खेतों में लागत के प्रबन्धन सम्बन्धी विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं ने बताया कि सर्वाधिक 33 प्रतिशत उत्तरदाता साहूकार से कर्ज लेकर खेतों में लागात लगाते हैं जबकि सबसे कम 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे रिश्तेदारों से कर्ज लेकर खेतों में लागात लगाते हैं। 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे स्वयं की बचत से खेतों में लागत का प्रबन्धन करते हैं वहीं 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे बैंक से लान लेकर खेत में लागत के प्रबन्धन करते हैं।

बैंक या साहुकार से ऋण लेने पर ब्याज दर का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कुल 216 उत्तरदाताओं में से 44.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने 5 प्रतिशत या इससे कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया जबकि 16.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर ऋण उपजब्ध हो पाया। 19.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो पाया वहीं 21.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 15 प्रतिशत और इससे अधिक की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो पाया।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि साहूकारों द्वारा अदिवासियों को दिया जाने वाला ऋण की ब्याज दर 10, 15, और 15 प्रतिशत से अधिक भी होती है जिससे यहाँ जनजातिय समूदाय ऋणग्रस्तता के शिकार हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंतनीय है।

तालिका क्र. 8

भील जनजाति की कृषि विकास पर आधुनिकीकरण का प्रभाव का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	240	60.00
2	नहीं	160	40.00
	कुल योग	**400**	**100.0**
यदि हाँ तो विवरण			
क्र.	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	हाइब्रिड बीज का प्रयोग	75	31.2
2	उत्पादन में वृद्धि	90	37.5
3	आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग	38	15.9
4	समय की बचत	37	15.4
	कुल योग	**240**	**100.0**
कृषि हेतु आधुनिक पद्धतियों को न अपनाये जाने के कारण			
क्र.	**विवरण**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	तकनीकि जानकारी का अभाव	20	12.50
2	धन की कमी	38	23.75
3	सामान्य जानकारी का अभाव	62	38.75
4	कृषि के आधुनिक तरीकों का अभाव	40	25.00
	कुल योग	**160**	**100.00**

प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

भील जनजाति की कृषि विकास पर आधुनिकीकरण का प्रभाव का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया जिसके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि आधुनिकीकरण से उनके कृषि विकास पर प्रभाव पड़ा है जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उनके कृषि विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कुल उत्तरदाताओं में से 240 उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिकीकरण का कृषि विकास पर प्रभाव

पड़ा है जब इन उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आधुनिकीकरण का कृषि विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को बताईए तो सर्वाधिक 37.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिकीकरण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि सबसे कम 15.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिकीकरण से उनके समय की बचत हुई है। 31.2 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि आधुनिकीकरण से हाइब्रिड बीजों का प्रयोग बड़ा है वहीं 15.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि आधुनिकीकरण से आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ा है।

कृषि हेतु आधुनिक पद्धतियों को न अपनाये जाने के कारणों के विश्लेषण से ज्ञात होता कि कुल 160 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 38.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सामान्य जानकारी के अभाव के कारण उन्होने आधुनिक कृषि पद्धतियों को नहीं अपनाया जबकि सबसे कम 12.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे तकनीकि की जानकारी के अभाव के कारण कृषि हेतु आधुनिक पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि कृषि के आधुनिक तरीकों के अभाव के कारण कृषि हेतु आधुनिक पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं वहीं 23.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि धन की कमी के कारण वे कृषि हेतु आधुनिक पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं।

तालिका क्र. 9
पशुपालन से वार्षिक आय प्राप्त होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	₹ 5000 से कम	22	5.50
2	₹ 5000 से ₹ 10000	51	12.75
3	₹ 15000 से ₹ 20000	37	9.25
4	₹ 20000 से ₹ 25000	225	56.25
5	₹ 25000 से ₹ 30000	41	10.25
6	₹ 30000 से अधिक	24	6.0
	कुल योग	**400**	**100.00**

स्त्रोत : प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण जिला झाबुआ 2017

पशुपालन से आय प्राप्त होने का विवरण उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 56.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ₹ 15000 से ₹ 20000 रुपये तक की आय प्राप्त होती है जबकि सबसे कम 5.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ₹ 5000 से कम आय प्राप्त होती है। 12.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पशुपालन से ₹ 5000 रुपये से ₹ 10000 रुपये तक की आय प्राप्त होती है वहीं 9.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पशुपालन से ₹ 15000 रूपये से ₹ 20000 तक की आय प्राप्त होती है। 10.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पशुपालन से ₹ 25000 से ₹ 30000 रुपये तक की आय प्राप्त होती है जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको पशुपालन से ₹ 30000 रुपये से अधिक आय प्राप्त होती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :– भील जनजाति के शैक्षणिक विकास को संचालित शासकीय योजनाओं के माध्यम से उचित मात्रा में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जाने की अति आवश्यकता है। इसके साथ ही इनके शैक्षणिक स्तर को अधिक विकसित करने के लिए शासकीय स्तर पर उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है साथ ही इनकी संस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान कर इसमें आधुनिक सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ने की अति आवश्यकता है। आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु भील जनजाति के लोगों का उचित मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं इनको रोजगार और आर्थिक हितों की शिक्षा प्रदान कर उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भील जनजाति क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु आधुनिक लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों की स्थापना किये जाने की आव यकता है। जनजाति समूह को प्रशिक्षण व उद्योग हेतु सब्सिडी प्रदान करने की अति आव यकता है।

कृषि के विकास के लिए आधुनिक तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। उन्नत खेती के तरीके, उन्नत बीज, उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकें। मिश्रित फसल पद्धति को मिले इसके प्रशिक्षण के लिए अन्य स्थानों पर परिभ्रमण कार्य किया जाना चाहिए। झाबुआ जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। कृषि सिंचाई हेतु तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए। अनाज भण्डार हेतु टीन वितरित के स्थान पर प्लास्टिक के ड्रम (अनाज की कोठी) प्रदाय किये जाने चाहिए। पलायन को कम करने हेतु जनजातिय लोगों के लिए रोजगार सृजन के कार्यक्रम वृहद स्तर पर प्रारम्भ करना चाहिए।

सन्दर्भ :–

1. **राधेशरण (2002),** ''भारत की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना संस्कृति के मूल तत्व'', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ आकादमी, भोपाल।
2. **नरेन्द्र, मोहन (2008),** ''भारतीय संस्कृति'', प्रभात प्रकाशन आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
3. **चौहान श्याम सुन्दर सिंह (2005),** ''कुरुक्षेत्र (दिसम्बर 2005)'', 'भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक हस्तशिल्प उद्योग', ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. **शर्मा अभिनय कुमार (2006),** ''कुरुक्षेत्र (फरवरी)'', 'भारतीय संस्कृति की विश्व की अमूल्य देन', ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. **अग्रवाल, एल. एन. तथा सिंह एस. डी. (2009),** ''सामाजिक सहयोग'', राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका, शोध प्रबंधन अभिवद, श्रीकृष्ण शिक्षण संस्थान उज्जैन।
6. **बसु सलिल (2007),** ''आदिवासी स्वस्थ्य पत्रिका'', क्षेत्रिय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।
7. **कुमार राकेश (2002),** (योजना), कार्यालय योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8. **बी. एल. नागदा (2008),** ''आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका'', जनवरी एवं जुलाई, (2008), क्षेत्रिय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र भारतीय आयुर्विज्ञान आनुसंधान परिषद, जबलपुर।
9. **सीमा शाह जी (2012),** म.प्र. सामाजिक शोध समग्र दिसम्बर 2012, लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट, 301 ईशान अपार्टमेन्ट, 13/2 स्नेहलता गंज, इन्दौर।
10. **नरगुन्दे सोनाली (2012),** म.प्र. सामाजिक शोध समग्र, लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट।
11. **निकुंज, एम.एल. बर्मा (1995),** ''भीलों की सामाजिक व्यवस्था'', मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद, भोपाल।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

गुप्तों की साम्राज्यवादी नीति में सामंतवादी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

प्रमिला डेहरिया
रिसर्च स्कॉलर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत विजित राज्यों की क्या स्थिति थी, इसका स्पष्ट अनुमान नहीं दिया जा सकता, पर जो कुछ उपलब्ध है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विजित शासक समूल नष्ट कर दिये जाते थे परन्तु गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सर्वथा एक नई बात देखने में आती है कि जिन राजाओं ने अपनी पराजय मानकर गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें उन्होंने अपने राज्य का अधिकारी बना रहने दिया। उससे पूर्व हमें सामंतवादी व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है।

सामंतवाद :– वह शासन व्यवस्था था, जिसमें राज्य की भूमि बड़े बड़े जमींदारों के हाथों में होती थी। सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फयूडम में हुई थी जिसका अर्थ जमींदार होता है। वह व्यवस्था जिसमें शासन व्यवस्था जमींदारों या सामंतों के हाथ में होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करते थे, जो सम्राट राजा अथवा किसी केन्द्रीय शक्ति को प्राप्त होते हैं। सामजिक दृष्टियों में समाज दो वर्षों में विभक्त था – सत्ता और अधिकारों से युक्त राजा और उसके सामंत तथा अधिकारों से वंचित कृषक व दास। इस सामंतवादी व्यवस्था के प्रमुख तीन तत्व थे '– जागीर, सम्प्रभुता और संरक्षण। कानूनी रूप में राजा या सम्राट सम्पूर्ण भूमि का स्वामी होता था। समस्त भूमि विविध श्रेणी के स्वामित्व के सामंतों में और वीर सैनिकों में विभक्त थी। सामंतों में वितरित यह भूमि जागीर होती थी। वे सामंत आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सैनिक सहायता करते थे और वार्षिक निर्धारित कर देते थे। सामंत अपनी भूमि में प्रभुता सम्पन्न होते थें।

गुप्त शासकों की सामंतवादी नीति :– मौर्य शासकों की तरह गुप्त शासकों ने अपने विजित राज्य नष्ट नहीं किये गुप्तों ने उन राजाओं को सामंती व्यवस्था के रूप में अपने अधीन बनाकर स्वतंत्र छोड़ना श्रेष्ठकर समझा इसीलिए गुप्त साम्राज्य सम्पूर्ण भारत वर्ष के अधिकांश भू–भाग फलित फूलित हुआ। गुप्तों ने सामंतों को उनके क्षेत्र में राजा की भांति पद का उपभोग कर दिया। गुप्तों की इस व्यवस्था को सामंती रूप में इसलिए समझा गया क्योंकि जागीर भूमि चाहे सम्राट द्वारा अपने अधिनस्थों को बांटी गई हो या विजित राज्य के राजाओं को अधिनस्थ बनाया हो दोनों ही अवस्था में सम्राट को कर देना तथा उनकी नीतियां स्वीकारना सामंतवादी व्यवस्था ही है।

प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्ट हे कि समुद्रगुप्त के काल से ही सामंत अधिपत्य बढ़ावें सम्पूर्ण प्रकार के कर देते थे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को सामंत कर देते थे, राजधानी में आकर प्रणम करते थे तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उदयगिरि के शैव लेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है से पता चलता है कि सनका लीक लोग (पूर्वी मालवा) में गुप्तों की आधीनता स्वीकार करते थे।

गुप्तकालीन सामंतों के विशेषाधिकार :– गुप्तकालीन सामंत वर्ग विशेषाधिकारों से युक्त वर्ग था। वे सामंत अपने अपने शासन क्षेत्र में परम्परागत आधार पर एक नरेश की ही भांति राज्य करते थे। उन्हें सेना रखने का अधिकार प्राप्त था तथा निजी भू–भाग में वे कर आदि वसूल करते थे। इसके बदले में उन्हें गुप्त सम्राट की पूर्व निर्धारित वार्षिक धन राशि भेंट स्वरूप में देना होती थी तथा युद्ध के अवसर पर सैनिक सहायता भी प्रदान करनी पड़ती थी।

गुप्तकालीन प्रमुख सामंत :– गुप्तकालीन प्रमुख सामंतों के नाम एवं क्षेत्र निम्नानुसार है –

1. **मौखिक एवं उत्तर गुप्त** – नागार्जुनी एवं बराबर के लेखों के प्राप्त स्थान से यह जानकारी मिलती है कि सम्भतः पहले भीखरी लोग विहार प्रांत के गया में शासन करते थे बाद में यहां से हटकर कान्यकुब्ज कन्नौज चले गये।

2. **पारिब्राजक** – रीवों एवं जबलपुर (दंभाल) वाले भागों में परिवारजक महाराज गुप्तों की आधीनता में राज्य करते थे।

3. **उच्चकल्प** – बुन्देलखण्ड में अजयमंड एवं जामों में उच्चकल्प वंश के नरेश गुप्तों के सामंत थे।

4. **औलिकर वंश** – मालवा के औलिकर वंश के लोग गुप्तों के आधीन थे। मंदसौर शिलालेख के अनुसानर।

5. **मैत्रक वंश** – मालवा के पश्चिम में गुजरात एवं कठियावड़ में मैत्रक वंश गुप्तों की अधीनस्थता को स्वीकार करते थे।

गुप्त साम्राज्य के विघटन में सामंतवादी व्यवस्था की भूमिका :– सामंतवादी व्यवस्था जहां गुप्त साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति की प्रथम कड़ी थी वहां कालांतर से गुप्तों के लिए सामंतवादी व्यवस्था घातक सिद्ध हुई स्कन्दगुप्त के समय तक सामंतों ने अधीनता बनाई रखी परन्तु स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरांत सार्मथशक्ति के अभाव में गुप्तों की शक्ति क्षीण होती गई। सर्वोच्च शक्ति को दुर्लभ होते देख सामंत शासकों ने लाभ उठाकर सैन्य बल का दुरूपयोग कर अपनी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। एरण अभिलेख स्कन्दकालीन जूनागढ़ अभिलेख, खोजह ताम्रलेख, प्रवाग प्रशस्ति आदि लेखों से स्पष्ट है कि अवनति काल में महत्वाकांक्षी सामन्त कुलों से स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। सामंतों की स्वतंत्राता के अनुसार मैत्रक वंश के शासकों ने सर्वप्रथम अपने राज्य को स्वतंत्र कराया था छठी शताब्दी के मध्य काल में भीखरी वंश तथा कुमार गुप्त के काल से उत्तरगुप्त राजवंश स्वतंत्र हो गया। बंगाल क्षेत्र में गौण समुदाय ने अलग राज्य की स्थापना कर ली।

सामंतवादी व्यवस्था की समीक्षा :– गुप्तकाल में सामंतवादी व्यवस्था अपने चर्मोत्कर्ष पर थी, गुप्त सम्राटों ने विजित राष्ट्रों के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया उसे हम गुप्तकालीन सामंतवादी स्वरूप से देखते हैं, सामंत (विजित शासक) अपने अण्धिकारों का गुप्तों की अधीनता में निर्वहन करते थे। सामंती व्यवस्था का यह स्वरूप पराजित शासकों की महत्वाकांक्षा के साथ साथ मजबूरी मात्र थी। वे निरन्तर अवसर की तलाश में रहते थे कि उन्हें स्वतंत्र होने का कोई रास्ता मिल जाए। जहां सामंतों ने अधिनस्थ शासक होते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया वही सर्वोच्च सत्ता की दुबैलता के समय एक राष्ट्र न बनाकर अपनी अपनी स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया इससे यह स्पष्ट है कि सामंत महत्वकांक्षी थे और वह अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे। वहीं गुप्त शासकों की यह नीति साम्राज्यवादी भावना के आधार पर उच्च कोटी की थी। गुप्तों का यह मानना कि राज्यों को पूर्णतः नष्ट किए बिना अधीन बनाना राज्य की विस्तारवादी नीति के साथ साथ राज्य की समृद्धता का संरक्षण भी था। विजित राज्यों को मूलतः नष्ट नहीं किया जाता था इसमें जन धन की हानि होने से राज्य को पूर्णतः बचा लिया जाता था। राज्यों की सुरक्षात्मक दृष्टि से यह सामंती व्यवस्था श्रेयष्कर थी। वहीं सामंती व्यवस्था ने ही अवसर का लाभ उठाकर गुप्त साम्राज्य को एक छोटे भू–भाग तक सीमित कर विघटन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।

स्पष्टतः गुप्तों की सामंतवादी नीति राज्य के लिए श्रेष्यकर होते हुए भी विघटनकारी भी राज्य विस्तार में सामंत सहयोगी थे परन्तु कालान्तर से सर्वप्रथम सामंतों ने अवसर का लाभ उठाकर स्वतंत्रता प्राप्त करने में देरी न की।

संदर्भ सूची :–

1. राय उच्च नारायण, गुप्त सम्राट और उनका काल लोकभारती, प्रकाशन (इलाहाबाद नई दिल्ली पटना)
2. गुप्त, परमेश्वरी लाल, गुप्त साम्राज्य विश्व भारती प्रकाशन
3. अग्रवाल डॉ. पृथ्वचीकुमार, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, विश्व भारती प्रकाशन
4. गुप्त, परमेश्वरी लाल, गुप्त कालीन मुद्राएं
5. बनर्जी, आर डी – एज ऑफ इम्पीरियल गुप्ताज

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा का स्वरूप

आकांक्षा चौरसिया
शोधार्थी, शोध केन्द्र–रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

हमारे भारतीय समाज में जो सदियों से व्यवस्था चली आ रही है, वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जिससे भारतीय नियमों, रीति–रिवाजों, प्रथाओं, कुप्रथाओं, शास्त्रों, वेदों, संस्कृति का निर्माण हुआ है। यह सब पुरूषों की इच्छा के अनुसार व उनकी सुविधा के लिये ही निर्मित किये गये हैं, किन्तु इन सबके कारण स्त्री के पक्ष की सभी सुविधाओं एवं अधिकारों को छीन लिया गया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे का प्राणी मान लिया गया है क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं थे या अधिकार दिये ही नहीं गये।

किन्तु आज वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में कम ही सही लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य आये हैं। स्त्री समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्त्री के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं, किन्तु पुरूष द्वारा सदैव से स्त्रियों की अनदेखी की जा रही है। उन्हें परम्पराओं, रीति–रिवाजों में जकड़कर घर की चाहरदीवारी में कैद रखा जाता है, जिसके कारण स्त्रियों में पीड़ा, घुटन, छटपटाहट उत्पन्न होती है और यही घुटन, छटपटाहट ने स्त्री को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से मुक्त होने को मजबूर भी किया।

आज आधुनिक समय में स्त्रियों की परम्परागत छवि टूट रही है, क्योंकि आज आधुनिक युग की स्त्रियाँ परम्परावादी नियमों, रीति–रिवाजों, बंधनों, निषेधों में बँधकर अपना जीवन–यापन नहीं करना चाहती हैं। वह अपना पक्ष परिवार व समाज के सामने निर्भयता, साहस के साथ रखती हैं तथा अपने अधिकारों की माँग करतीं हैं। उन अधिकारों की जिस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात् ''स्त्री अपना अधिकार प्राप्त करने के लिये संघर्ष के मार्ग पर है।''[1]

आज की स्त्री जागृत अवस्था में आ चुकी है, क्योंकि उसके हृदय में समानता की भावना ने जन्म ले लिया है। वह पुरूष के समान अधिकारों की बात नहीं करती है। वह अपने स्वयं के अधिकारों की बात करती है। जो उसे उसके जीवन जीने व जीवन के लिये आवश्यक अधिकार है। वह पुरूष के नहीं पुरूष की दूषित मानसिकता के विरूद्ध है। वह पुरूष के किसी भी अधिकार को छीनना नहीं चाहती है, किन्तु अपने भी अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिये आज साहस के साथ ''स्त्री अपना अधिकार हासिल करने के लिये अपना भाग्य स्वयं निर्मित करने के लिये संघर्ष की राह पर है।''[2]

अतः आज की स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत व सजग है, क्योंकि उसमें अपने आत्म सम्मान के प्रति नई चेतना का जन्म हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रति क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही विभिन्न महिलाओं व दलों द्वारा स्त्रियों के अधिकारों के प्रति न जाने कितनी लड़ाईयाँ लड़ी गई ? कितने महिला संगठनों का गठन किया गया ताकि स्त्रियों को कानून व्यवस्था से न्याय मिल सके।

इस संबंध में डॉ. रेणुका नैय्यर लिखती हैं कि ''महिलाओं ने राजनीति में प्रवेश कर कई महिला संगठन गठित किये। महिला मंडलों ने घर–घर जाकर महिलाओं में देश के प्रति स्वाधीनता की अग्नि प्रज्जवलित की। 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' 'महिलाओं की राष्ट्रीय समिति', विश्वविद्यालय महिला संघ', 'कस्तूरबा स्मारक समिति', 'स्वामी श्रद्धान्न की पोती श्रीमती सत्यवती देवी द्वारा गठित 'कांग्रेस महिला समाज' और 'कांग्रेस देश सेविका दल' आदि अनेक महिला संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घर से बाहर निकलने के बाद नारी ने सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध ही नहीं, काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के लिये संवैधानिक लड़ाई भी लड़ी।''[3]

अर्थात् स्त्रियों को भले ही संविधान की तरफ से स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। वह भी सिर्फ कागजी तौर पर किन्तु आज भी व्यवहारिक रूप से स्त्रियाँ स्वतंत्र नहीं हो पाई है। आज भी परिवार में समाज में उन्हें उनके अधिकार व वह सम्मान प्राप्त नहीं जो सरकारी कागजों में है।

स्त्री को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये तथा शोषित, प्रताड़ित, पीड़ित स्त्रियों को पीड़ा से निकालकर उन्हें समाज में उनका उचित स्थान दिलाने में साहित्य अपनी अहम् भूमिका निभाता है, क्योंकि साहित्य समाज के पीड़ित शोषित वर्ग को न्याय दिलाकर उन्हें समाज में सम्मानीय स्थान दिलाने के साथ ही मानवीयता को समाप्त होने से बचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा वह वर्ग जो हाशिये पर है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया व समाज के घिनौने चेहरों को बेनकाब करने का कार्य भी किया।

स्त्री आधारित जो पूर्व में साहित्य की रचना की गई थी, उसमें महिला साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके द्वारा सृजित साहित्य में वह स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का चित्रण करती थी। साथ ही पुरूषों की निंदा भी करती थी, किन्तु स्त्रियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने का कोई प्रयास नहीं करती थी, किन्तु आधुनिक समय की महिला लेखिकाओं ने स्त्रियों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के सुझाव अपने साहित्य के माध्यम से दिये भी और पुरूषों के इस व्यवहार की अलोचना भी की है।

अतः ''पूर्ववर्ती लेखिकाएँ नारी की दीन स्थिति का चित्रण कर दबे स्वर में पुरूष की निन्दा किया करती थी, जब कि परवर्ती लेखिकाओं ने और दृढ़ स्वरों में पुरूषों की आलोचना की है। उन्होंने पुरूष से लोहा लेने का प्रयास किया है।''[4]

स्त्री और स्त्री जीवन से जुड़ी सभी समस्यायें साहित्य की विषय वस्तु है, क्योंकि आज का अधिकांश साहित्य स्त्री केन्द्रित साहित्य है, अर्थात् स्त्रियों द्वारा स्त्रियों के लिये सृजित किया गया साहित्य है। क्योंकि आज के साहित्यकारों ने स्त्री के मन की गहराईयों के अंदर झांककर देखा ही नहीं, अपितु उसके दुख, दर्द, पीड़ा को स्वयं महसूस भी किया है। स्त्री के ऊपर होने वाले अत्याचारों, पीड़ाओं का जितनी ईमानदारी व तटस्थता के साथ चित्रण एक स्त्री करती है, उतना कोई पुरूष नहीं।

स्त्री–पुरूष की स्वानुभूति व सहानुभूति में सबसे बड़ा अंतर होता है। स्त्री द्वारा स्त्री के लिये लिखा गया स्त्री साहित्य स्वानुभूति का साहित्य होता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री की पीड़ा व दर्द को स्वयं महसूस करती है या कहीं न कहीं किसी रूप में वह पीड़ा या अत्याचार उन्होंने भी सहा होगा, एक स्त्री होने के कारण। जबकि पुरूषों द्वारा स्त्रियों के लिये लिखा गया साहित्य सहानुभूति का साहित्य है, क्योंकि एक पुरूष कभी भी स्त्री का दर्द व पीड़ा को हृदय से महसूस नहीं कर सकता है।

अर्थात् स्त्री के सम्पूर्ण जीवन की त्रासदी को पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने में पुरूषों की तुलना में महिला लेखिकाएँ अधिक सक्षम है। राजेन्द्र यादव के अनुसार ''पुरूष कथाकारों की तरह अपनी स्थिति और नियति के प्रति सामाजिक–मानसिक रूप से प्रबुद्ध कथा लेखिकाओं के आने से पहले हिन्दी कथा साहित्य प्रायः हवाई, प्रियदर्शनी और प्रदर्शनी नारियों से भरा रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि सजीव व्यक्तित्व वाले नारी–पुरूष संबंधों के वास्तविक तनाव, लगाव और उन्हें निर्धारित करने वाले दबाव पहली बार सामने आ रहे हैं। इस दिशा में कृष्णा सोबती, ऊषा प्रियंवदा, मन्नु भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, निरूपमा, मालती जोशी के नाम लिये जा सकते हैं।''[5]

स्त्री संबंधी समस्याओं को प्रखर रूप से साहित्य में चित्रित करने में महिला लेखिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने परम्पराओं को तोड़कर साहस का परिचय देने वाली स्त्रियों का परिचय अपने साहित्य में दिया है। इतना ही नहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक धरातल में संघर्षरत स्त्रियों का चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से कर उनके अस्तित्व को उनके वजूद को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है। राकेश कुमार इस संदर्भ में कहते है कि ''आज के स्त्री लेखन में स्त्री अपनी स्थिति को नियति मानकर नहीं देखती, अपितु उन स्थितियों के जिम्मेदार तत्वों, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के अर्न्तविरोधों के कारणों को भी तलाशती है कि उनकी निष्क्रिय कमजोर उपेक्षित उत्पीड़ित स्थिति किसने बनाई है और क्यों ? यही स्त्री लेखन सोच में बुनियादी बदलाव है।''[6]

परम्पराओं और रीति–रिवाजों को स्त्रियों के द्वारा तोड़ा जाना, उनकी साहसिकता का परिचय है, क्योंकि जब किसी इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता है, या यूं कहा जाये कि उसे अपनी सुरक्षा का कोई भय नहीं होता है, तो वह ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप वह अपने साहस से

परम्पराओं को परिवर्तित कर उनका अन्त ही कर देता है। यह साहस और संघर्ष ही स्त्री के अस्तित्व की नई पहचान है।

स्त्री की इस नई पहचान को साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज में सजीव रूप से प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास कर रहा है, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। अमृता प्रीतम द्वारा स्त्रियों पर निर्भयता के साथ टिप्पणी की गई है कि ''हमारे शास्त्रों में भी औरत को जंजाल और सभी विपत्तियों की जड़ माना गया है। पुरूष की पाशविक प्रवृत्ति को नहीं जिसके कारण सीता हरी गयी या द्रोपदी निवर्सना और अपमानित की गयी पर चूँकि सैक्स और औरत दुनियाँ के सबसे बड़े आकर्षण है, उसके चटकारेपन में लोग न डूबे, ऐसा मुमकिन नहीं होता।''[7]

हमारे भारतीय देश में महिलाओं की दिशा व दशा सुधारने के लिये बहुत से नियम व कानून बनाये गये व आज भी बनाये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने को मिलता हैं कि महिलाओं को इन कानूनों का लाभ प्राप्त नहीं होता हैं, क्योंकि ज्यादात्तर महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं होती हें तो कभी पुलिस व्यवस्था की उदासीन व्यवस्था के कारण भी महिलाओं को महिला संबंधी कानून का लाभ नहीं मिल पाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. डॉ. कल्पना वर्मा, स्त्री विमर्श : विविध रूप, पृ.सं. 216
2. गोपाल राय, हिन्दी उपन्यास का इतिहास, पृ.सं. 384
3. डॉ. रेणुका नैय्यर, नारी स्वतंत्रता के बदलते रूप, पृ.सं. 126
4. डॉ. उर्मिला प्रकाश, नारी जागरण और महिला उपन्यासकारों की स्त्री–पुरूष परिकल्पना, पृ.सं. 25
5. अरविंद जैन, हँस पत्रिका 6 दिसम्बर 1996, पृ.सं. 79
6. राकेश कुमार, नारी वादी हिवमर्श, पृ.सं. 56
7. डॉ. बीनारानी यादव, हिन्दी उपन्यासों में स्त्री अस्मिता की अभिव्यक्ति, पृ.सं. 41

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

महिलाओं के लिये संवैधानिक अधिकार एवं अधिनियम

मनीष पांडेय
विषय–समाजशास्त्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सदियों से नारी की स्थिती विरोधाभाषी रही है, एक तरफ तो कहा जाता था जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। जबकि दुसरी ओर वहीं सती की प्रशंसा करते हुए बतलाया कि जो स्त्री सती हो जाती है, वह अपने पति को स्वर्ग में पुनः प्राप्त करके करोड़ों वर्षों तक उनके साथ निवास करती है।

पुरूष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरूष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी कहा गया है। यहां वैदिक काल से अब तक स्त्रियों की प्रस्थिती परिवर्तीत होती रही है। एवं धीरे–धीरे नारी स्वतंत्र से रूढिवादी व अंधविवास के गर्त में डूबती चली गई तथा परतन्त्र हो गई। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं पश्चात् में भारतीय महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। **(बसु, 2013)** जो कि निम्न है–

1. अनुच्छेद 14 में संविधान के समक्ष कानूनी समानता।
2. अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना।
3. अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
4. अनुच्छेद 19(1) में समान रुप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
5. अनुच्छेद 21 में स्त्री और पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।
6. अनुच्छेद 23–24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त।
7. अनुच्छेद 25–28 में धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने का अधिकार समान रुप से प्राप्त।
8. अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
9. अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
10. अनुच्छेद 39(क) पुरूष एवं स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार।
11. अनुच्छेद 39(घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान।
12. अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्हभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार।
13. अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था।
14. अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है।
15. 243(घ 2) ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था। (73वें संविधान संशोधन अधिनियम)

संवैधानिक प्रावधानों**(बसु, 2013)** के अतिरिक्त भारत सरकार ने महिला अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने एवं महिला भेदभाव की प्रकृति को देखते हुए उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु कई अधिनियम बनाए। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति दे दी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया।इस अधिनियम के तहत पुनर्विवाह संबंधी कानूनी अड़चनों को दूर किया गया।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई। विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष सुनिश्चित की गयी थी। भारत सरकार ने उपरोक्त अधिनियम का अब संशोधन कर दिया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1978 विवाह की न्यूनतम आयु स्त्रियों के लिए 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष करने और पुरूषों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1919, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 तथा हिंदू विवाह अधिनियम,

1955 में संशोधन करता है। संशोधन को अक्टूबर 1978 में प्रभावी किया गया है।

संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937 इस अधिनियम के द्वारा हिंदू विधवाओं को मृत पति की संपत्ति में अधिकार दिया जाता है।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के द्वारा किसी भी धर्म या जाति को मानने वाले स्त्री पुरुष को परस्पर विवाह करने की छूट दे दी गई।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 एक पत्नी विवाह पर कानूनी मोहर लगा दी गई एवं विवाह विच्छेद न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान किए गए एवं हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए। जिसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किए गए।

वेश्यावृत्ति निवारण संशोधन अधिनियम, 1986 इस अधिनियम के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के यौन शोषण को रोकने एवं यौन व्यापार की शिकार महिलाओं एवं लड़कियों के बचाव तथा पुनर्वास के लिए कई प्रावधान रखे गए हैं। इसके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। यदि किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से अपहरण किया जाता है या डराया, धमकाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है।

गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम 2003 में यथा संशोधित यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिंग का चयन करता है या किसी महिला को लिंग चयन करवाने के लिए मजबूर करता है तो उसे 30 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

डायन प्रथा निषेध अधिनियम, 1999 डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या तथा उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार सदियों से होते आ रहे हैं। अंधविश्वास की आड़ में स्त्री हत्या पर रोक लगाने हेतु 1999 में यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला को डायन के नाम पर प्रताड़ित करता है तो उसे 6 माह की अवधि के लिए कारावास तथा 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों ही सजा उसे दंडित करने का प्रावधान है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह अधिनियम 2006 से लागू है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध निवारण प्रतितोषण अधिनियम, 2013, यह कानून कार्यस्थलों पर दैनिक मजदूर अंशकालिक या पूर्णकालिक कर्मी, स्वयंसेवक इत्यादि महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और इसकी रोकथाम के लिए बनाया गया है।

महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 एवं **स्त्रियों व कन्याओं पर अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956** आदि।

इन अधिनियमों एवं अधिकारों ने महिलाओं की स्थिति को उच्च आयाम तक पहुंचाने में मदद की है और कुप्रथा, रूढ़ियों और अंधविश्वास की बेड़ियों में बंधी नारी कुछ हद तक मुक्त हुई है।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

योग की जान सूर्य नमस्कार

डॉ. लालजीत पचौरी
पी.एच.डी. योग, सहा. प्राध्यापक, रविन्द्रनाथ टैगौर वि.वि., जिला–रायसेन (म.प्र.)

भौतिक जीवन में सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसका प्रारंभ प्राचीन काल से उस समय हुआ जब सबसे पहले मनुष्य अपने अन्दर स्थित आध्यात्मिक शक्ति के प्रति सजग हुआ था। यह सजगता ही योग की आधार शिल्प है। इसका शाब्दिक अर्थ है। सूर्य को नमस्कार करना। या फिर सूर्य देवता की उपासना करना। योग की दृष्टि से सूर्य नमस्कार के अभ्यास से मानव प्रकृति का सौर पक्ष जागृत होता है। तथा सर्वोच्च चेतना का विकास करने हेतु जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे यहाँ प्राचीन परम्पराओं में सूर्यापासना को किसी ना किसी रूप में स्वीकार किसी न किसी रूप में किया गया है। भारत में भी अनेक भागों में सूर्योपासना को दैनिक कर्मकाण्ड के रूप में की जाती है। सूर्योपनिषद् में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्य को ब्रम्हा का स्वरूप मानकर उसकी उपासना करता है। वह व्यक्ति शक्तिशाली क्रियाशील, बुद्धिमान तथा दीर्घजीवी होता है। अक्षयोपनिषद् में सूर्य को ईश्वर के उस रूप में चित्रित किया गया है। जो अनगिनत किरणों वाले सूर्य का रूप धारण करता है। तथा सम्पूर्ण मानवता के हित में चमकता रहता है। वृद्धाख्यक उपनिषद् में भी सूर्य का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। प्रकाश के सारतत्व, ओदेव!

तू मुझे असत से सत की और,
अंधकार से प्रकाश की ओर,
मृत्यु से अमरत्व की आरे ले चल।

किसी न किसी रूप में अनेक सम्प्रदायों में मिलेगे। कही उगते सूर्य की, कही डूबते सूर्य की और कही मध्य दिवसीय सूर्य की उपासना का भी विधान मिलता है। यद्पि लोग सूर्य की उपासना ब्रम्ह रूप से ही करते है। परन्तु वास्तव में यह प्रतीक मात्र है। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि इनके माध्यम से परबम्ह की उपासना करना, जो सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता तथा संहारकर्ता भी है तथा सूर्य जिसका प्रतीक मात्र है। हमारे भारत देश में आज भी सूर्य के अनेक मंदिर मिलते है। जिसमें से सबसे विख्यात मंदिर कोणार्क (उड़ीसा) का सूर्य मंदिर है जो 13 वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। तथा कश्मीर, गुजरात, आन्धप्रदेश में भी सूर्य मन्दिर स्थित है। हमारी आधुनिक काल में धार्मिक मान्यताओं की नीव पर ही सूर्य से संबंधित जानकारी को वैज्ञानिक रूप दिया गया है। इस प्रकार सूर्य के गर्भ में छिपे रहस्यों का उद्घाटन हुआ है। कभी–कभी सूर्य के तल पर विशाल धधकती अग्नि का विस्फोट होता है। पृथ्वी से विस्फोट सूर्य पर धब्बो की तरह दिखाई देते है। ये धब्बे कभी भी एक जैसे नहीं दिखायी देते कभी तेज तो कभी क्रम यह चक्र चलता रहता है। अनुमानतः इनका यह चक्र वर्षों में पूर्ण होता है। वैज्ञानिकों ने शोध के अन्तर्गत यह पाया कि धब्बों की तीव्रता का चक्र प्रारंभ होता है तो इससे पृथ्वीवासी भी प्रभावित होते है। तथा उस बीच युद्ध क्रान्तियां तथा अनेक प्रकार से उथल पुथल होती है। सूर्य का पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवन का एक आवश्यक अंग है। पृथ्वी पर सूर्य के लगातार पड़ने वाले ऊष्मायक्त प्रभाव समझने के पश्चात् ये चौकाने वाले नहीं लगते। हमारे जीवन पर सूर्य के इन प्रभावों को ठीक से समझने के पश्चात् सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को अनदीखे, अनजाने आयाम जो हमारे सामने उत्पन्न होने लगते है। जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे पूवर्जों ने इसे इतना अधिक महत्व क्यों दिया है। यह अभ्यास एक प्रकार से अपने आप में एक सम्पूर्ण रूप से अपनी अन्तनिहित शक्तियों को जागृत करता है। शक्ति व स्फूर्ति से परिपूर्ण होकर नव जीवन प्राप्त कर सकते है। अपनी चेतना शक्ति को जागृत कर सकते है। सूर्य नमस्कार यह एक प्रकार से अलग–अलग आसानों की श्रृंखला है। यह आसन 12 प्रकार की शारीरिक स्थितियों से मिलकर बना है। इन आसनों को बारी–बारी से आगे और पीछे की ओर छुककर किया जाता है। इन आसनों के माध्यमों से शरीर के विभिन्न अंगों तथा मेरूदण्ड में खिचाव उत्पन्न होने के साथ–साथ शरीर की मॉस पेशियों में खिचाव उत्पन्न होने से शरीर लचीला बना रहता है। अन्य कई अभ्यासों की अपेक्षा सूर्य नमस्कार कही अधिक प्रभावशाली माना गया है। जब कोई अभ्यार्थी शुरूआती दौर में इस अभ्यास को प्रारंभ करता है। उस वक्त उस अभ्यार्थी की मांस पेशियों से तथा जोड़ों में विषाक्त पदार्थ जमा होने से कडापन आदि रहता है। सूर्य नमस्कार को करने से व्यक्ति के जीवन में सजगता

आती जायेगी। साथ ही शरीर लचीला एवं स्वस्थ्य बनाये रखने के लिए सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली आसन है। शुरूआत में जब व्यक्ति अभ्यास करे तो पूर्ण रूप से सजगता के साथ एवं तनाव रहित रहते हुए हर एक आसन को धीरे–धीरे करे। आसन करने के दौरान श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को जोड़ना चाहिये। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में जब हम पीछे की ओर मूड़ते है तो श्वास अन्दर ली जानी चाहिये। क्योंकि सीना फैलता एवं फेफड़े भी फैलते है। तथा आगे की ओर झुकते समय श्वास को बाहर छोड़नी चाहिये, जिससे छाती तथा उदर में संकुचन पैदा होता है। हमारे स्थूल शरीर में सात चक्र विध्यमान रहते है। स्थूल शरीर में इसकी उत्पन्नता स्नायु जाल को तथा अन्तः स्त्रावी ग्रंथियों के रूप में होती है। सूर्य नमस्कार अभ्यास के दौरान चक्रों पर मन को केन्द्रित किया जाता है। एकाग्र करने के पश्चात् चक्रो का जागरण होता है। आसनों के माध्यम से प्राण शक्ति में वृद्धि होती है। मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। मन में सजगता, मानसिक रूप से होने से शरीर में इडा और पिंगला नाडी में सामस्य स्थापित होता है चक्रों की स्थिति।

संदर्भ ग्रंथ :–

(1) सूर्य नमस्कार – डॉ. राजीव रस्तोगी
(2) प्राकृतिक आयुविज्ञान– राकेश हजंदल
(3) सम्पूर्ण योग विधा – राजीव जैन

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

वर्तमान साहित्य में सामाजिक समरसता की चुनौती

प्रीती सिंह
शोधार्थी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वर्तमान भारतीय समाज भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के आलोक में ज्ञानाधारित समाज की दिशा में विकसित हो रहा है। इस क्रम में वर्तमान साहित्य में समय सापेक्ष विकसित गुण और प्रवृत्तियाँ साहित्य की सृजन प्रक्रिया के मूल में निहित चिंतन को स्पष्ट करती हैं। विगत 30–35 वर्षों में विश्व में और मुख्य रूप से भारत में जिन नई आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का विकास आरंभ हुआ वह भारत में मानव संबंधों और जीवन मूल्यों को बेहद प्रभावित कर रहा है। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में परस्पराश्रितता और अन्योन्याश्रितता वर्तमान वैचारिकी को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्त्व बन जाता हैं। ऐसे में भारत की बहुलतावादी सामाजिक और सामुदायिक स्थितियों, वर्तमान मानव संबंधों और जीवन मूल्यों में संतुलन स्थापित करने के लिए समरसता की वैचारिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष में सामाजिक, सांस्कृतिक धरातल पर संतुलन स्थापित करने के लिए और मानवाधिकार के नये प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए समरसता का सिद्धांत ही भारतीय साहित्यकारों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। भारतीय चिंतन परंपरा समरसता को आरंभ से ही प्रोत्साहन देती आ रही है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के द्वारा विश्व को एक सूत्र में बाँध दिया है। इस प्रक्रिया के तहत नये उपकरण, नये संगठन, नये बाजार और व्यक्ति और समाज के स्तर पर विकसित होने वाले नये मानव संबंधों के अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया के नाम पर भारत की बहुलतावादी व्यवस्थाओं और संरचनाओं को गतिशीलता मिली है। इस प्रक्रिया के कारण पूरे भारतीय समाज में 'डिजिटल–डिवाइड' दिखाई देता है। नयी डिजिटल संस्कृति के अनुरूप जहाँ भारतीय मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में मानव संबंध प्रभावित हो रहे है वहाँ दूसरी ओर अस्मिता के नाम पर सामुदायिक स्तर पर कुछ नई समस्याएँ महत्त्वपूर्ण होती जा रही हैं। बहुजन, दलित, आदिवासी, नारी, अल्पसंख्यक और किन्नर समुदायों की समस्याएँ भारतीय समाज के समुदायों के असमान विकास की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं। उपभोक्तावाद, ब्रांड संस्कृति का विकास भारत के सभी सामाजिक समुदायों में समस्याओं को उत्पन्न कर रही हैं। वैश्विक अर्थ–तंत्र का भारतीय लोक–तंत्र पर हावी हो जाने के कारण मानव संबंधों, मानवीय और नैतिक मूल्यों में बेहद परिवर्तन आ रहा है। वैश्वीकरण के अनुरूप भारतीय समाज अपने आपको अनुकूलित करने की चेष्टा कर रहा है। इस क्रम में स्वस्थ भारतीय सामाजिक, सामुदायिक परंपराओं को भुलाया जा रहा है। भौतिक समृद्धि और अस्मिताओं की पहचान के नाम पर सामुदायिक स्तर पर मानव संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पृष्ठभूमि में वर्तमान साहित्य में सामाजिक समरसता की चुनौती महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र–राज्य के निर्माण की कल्पना की गयी थी। फिर इस दिशा में भारत के नवनिर्माण की कोशिशें भी जारी रहीं । इस क्रम में 1980–90 के बाद विकसित वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत के नव निर्माण की प्रक्रिया को बेहद प्रभावित किया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूंजी के साथ तकनीकी विकास और शांति की राजनीति को महत्त्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया गया । इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों ने विश्व को एक सूत्र में बाँध दिया है। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया के नाम पर बहुलतावादी व्यवस्थाओं और संरचनाओं को भी इस प्रक्रिया ने गलिशीलता दी है। इस प्रक्रिया के तहत जो परिवर्तन आया है, उसमें नयी परस्पर विरोधी अभिवृत्तियाँ भी उभर कर सामने आयीं। स्टुअर्ट हॉल (Stuart Hall) ने इन द्वैतों को हमारे सामने रखा। सार्वभौमीकरण बनाम विशिष्टीकरण (Universalization Vs. Particularism) सजातीयीकरण बनाम विभेदीकरण (Homogenization Vs. Differentiation) एकीकरण बनाम विखण्डन (Integration Vs. Fragmentation) केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण (Centralization Vs. De-centralization) सान्निध्यता / साथ–साथ बराबर होना बनाम तुल्यकालन/समकालीकरण (Juxtaposition Vs. Synchronization) ऐसे द्वैत हैं जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय दिखायी देते हैं।

इस प्रक्रिया ने कई प्रश्नों को हमारे सामने रखा है। विश्व व्यापार, बहु–राष्ट्रीय उद्यम (Multi National Enterprises), अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन, सामाजिक–सांस्कृतिक वैश्वीकरण, मानवाधिकार, भूमण्डलीय पर्यावरण, वैश्विक और स्थानीय संबंध कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन वैश्वीकृत व्यवस्थाओं की समस्याओं को और वर्तमान साहित्य की वैचारिकी के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुये सामाजिक समरसता की चुनौती के प्रश्नों पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं।

प्रव्रजन और विस्थापन वर्तमान समाजों की नियति बन गया है। आजकल हम जिन 'समार्ट शहरों' की बात करते हैं, उनमें रहने वाले नागरिकों के लिए 'जियो'.... 'काम करो' .... 'खेलो' ..... और 'सीखो' ये चार बिंदु जीवन के आदर्श बन जाते हैं। एक छोटा–सा लैपटाप, एंड्रायड फोन, मानव संबंधों में स्थान और काल के प्रत्यक्ष संबंधों का हनन कर रहे हैं। अब मनुष्यों के बीच सीधा संबंध नहीं बल्कि वर्च्युअल संबंध महत्त्वपूर्ण हो रहा है। अस्थिर वर्तमान और सामाजिक गतिशीलता समकालीन मानव संबंधों और जीवन–मूल्यों के नये रूपों का परिचय दे रही है। एक तरह की आभासी वास्तविकता अब वर्तमान मानव संबंधों और जीवन–मूल्यों को संचालित कर रही है। इस वास्तविकता में स्थिरता नहीं होती है। निरंतर गतिशीलता इसका लक्षण होता है। संयुक्त परिवार पहले ही टूट गये थे। अब जीवन में दूसरे व्यक्तियों से सीधे आपसी संबंध निभाने के मौके कम होते जा रहे हैं। भावोद्वेगों पर नियंत्रण रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक प्रकार की असुरक्षा की भावना, अकेलापन, मन पर असीम दबाव, समाज और चारों ओर रहने वाले व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा, मानव संबंधों और जीवन–मूल्यों को इस तरह से प्रभावित कर रही है कि व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आगे किस तरह के मानव संबंधों और जीवन–मूल्यों को आदर्श के रूप में स्वीकार करें।

भारतीय समाज बहुलतावादी समाज है। बहुल–सांस्कृतिकता, बहुभाषिकता, ग्रहणशीलता और अनुकूलनशीलता इस समाज के सामान्य लक्षण हैं। 1960–70 के आसपास भारत के विभिन्न सामाजिक समुदायों में, राज्य के द्वारा स्थापित होने वाले कल्याणकारी समाज के प्रति मोहभंग हो गया है। अब भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों में अस्मितामूलक चिंतन विकसित होने लगा। दलित–लेखन, महिला–लेखन, आदिवासी–लेखन, अल्पसंख्यकों का लेखन जैसी प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य के विकास की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित कर रहीं है।

हिंदी उपन्यासों में अलका सरावगी का 'शेष कादम्बरी', सुरेन्द्र वर्मा का 'मुझे चाँद चाहिए' आदि भूमण्डलीकरण की सच्चाइयों के पास हमें ले जाते हैं. मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास 'कहीं इसुरी फाग' जो बुंदेलखण्ड के लोक–जीवन पर भूमण्डलीकरण के प्रभावों को प्रस्तुत करता है। रवीन्द्र वर्मा ने 'मैं अपनी झांसी नहीं दूँगा' में भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार वर्णित किया है। काशीनाथ सिंह का 'रेहन पर रग्घु', राजु शर्मा का 'विसर्जन', कुनाल सिंह का 'आदिग्राम उपख्यान' आदि इस श्रेणी के उपन्यास हैं। 'आदिग्राम उपख्यान' में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण कर उनकी उपजाऊ भूमि से बेदखल करने की पीड़ा अभिव्यक्त होती है। कमल कुमार का उपन्यास 'पासवर्ड' में अमेरिकीकरण के दर्शन होते हैं। पंकज बिस्ट का उपन्यास 'पंकवाली नाव' में पुरुष समलैंगिकता, गीतांजली चटर्जी के 'तीसरे लोग' में भूमण्डलीय अपसंस्कृति का चित्रण हुआ है।

1990 के बाद प्रकाशित लगभग 150 से अधिक उपन्यासों और 90 के बाद की लगभग सभी कहानियों पर समकालीन वैचारिकी का प्रभाव देखा जा सकता है। मुख्य रूप से इस वैचारिकी के प्रभाव के अधीन लिखनेवाले कथाकारों में काशीनाथ सिंह (रेहन पर रग्घू), प्रदीप सौरभ (मुन्नी मोबाइल), रणेंद्र(ग्लोबल गॉव के देवता, गायब होता देश), मधु कांकरिया (सेज पर संस्कृत), ममता कालिया (दौड़), चित्रा मुद्गल (आवॉ), राजू शर्मा (विसर्जन), रवींद्र वर्मा (निन्यानवे, मैं अपनी झॉसी नहीं दूँगा, दस बरस का भँवर), अलका सरावगी (कलिकथा वाया बायपास, शेष कादंबरी, एक ब्रेक के बाद), शुष्मा जगमोहन (जिंदगी ई–मेल), एस आर हरनोट (हिडिंब), संजीव (सावधान नीचे आग है, धार, रह गई दिशाएँ इसी पार) उल्लेखनीय हैं।

भूमण्डलीकरण के प्रभाव के अधीन लिखनेवाले कहानीकारों में उदय प्रकाश, कैलाश बनवासी, एस आर हरनोट, सत्यनारायण पटेल, चरणसिंह पथिक, हरि भटनागर, राकेश कुमार सिंह, भगतराम, सुभाषचंद्र कुशवाहा, प्रियदर्शन, प्रदीप पंत, ओम शर्मा, सुभाष शर्मा,

हरिओम, रामेश्वर प्रेम, प्रत्यक्षा, महुआ माझी, राजकुमार राकेश, उमाशंकर चौधरी, पंकज मित्र, आलोक रंजन, मनोज रूपड़ा, वंदना राग, मीनाक्षी सिंह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भारत के भूमण्डलीकरण और वर्तमान वैचारिकी के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय समाज के उच्च और शहरी वर्ग आधुनिक ज्ञानाधारित समाज की दिशा में बहुत जल्दी अनुकूलित होते जा रहे हैं और नवउदारवादी नीतियों का फल उनको मिल रहा है। लेकिन, भारतीय समाज की कुछ ऐसी वास्तविकताएँ हैं जो भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के अनुकूलन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से सकारात्मक योग नहीं दे पा रही हैं। दलित, आदिवासी और बहुजन समाज की वास्तविकताएँ विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों से बंधी हुई हैं। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की नीतियों से इन समाजों में शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास में अंतर दिखाई देता है। दलित, आदिवासी, बहुजन और अल्पसंख्यक समाजों में भी प्रव्रजनन और प्रवासी जीवन की समस्याएँ महत्त्वपूर्ण हो गई हैं। इनके अलावा दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक समाजों में भी एक नये मध्यवर्ग का विकास हो गया है। इन सामाजिक समुदायों में मंजस्य और समरसता स्थापित करने की दिशा में नहीं, बल्कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरोध में खड़ा करते हुए समुदायों में प्रतिरोध की भावनाओं को फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। भारत में भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न आर्थिक सुधारों के सवालों पर प्रश्न–चिह्न लगाए जा रहे हैं और इस परिघटना के विकल्पों को ढूँढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में भूमण्डलीकरण और विश्व व्यवस्था के विचार को शंकाकुल दृष्टि से देखा जा रहा है और विकास के एशियायी प्रारूप के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है।

समग्रतः वर्तमान हिंदी साहित्य में चित्रित वैचारिकी के मुद्दों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उल्लेखनीय हैं–

1. सामाजिक–सांस्कृतिक उप–स्तरों में संघर्ष।
2. नारी की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों की दृष्टि से पितृसत्तात्मक संस्कृति का विरोध।
3. दलित और आदिवासी संस्कृति की नई पहचान के लिए आंदोलन।
4. अल्पसंख्यक और बहुजनों के आर्थिक–सांस्कृतिक विकास और पहचान की माँग।
5. भारत में ही उत्पन्न होने वाली प्रव्रजनन की समस्याओं के अलावा प्रवासी भारतीय जनता की संस्कृति या विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सांस्कृतिक संक्रमण की समस्याएँ।

बहुभाषिकता और बहुलसांस्कृतिकता समकालीन भारतीय समाज के लक्षण बन गये हैं और भूमण्डलीकरण के अलावा भारतीय लोकतंत्र और बहुल–सांस्कृतिक अस्तित्व भारत में नये सांस्कृतिक विकल्प की माँग कर रहे हैं। भारत में नये–नये राज्यों का निर्माण हो रहा है तो स्थानीय धरातल पर वैश्वीकरण के प्रभाव के अधीन नई संस्कृति का उत्सवीकरण और बाजारीकरण भी हो रहा है। नारी दिवस, युवा दिवस, मातृ दिवस या पितृ–दिवस, बच्चों का दिवस, प्रेमियों का दिवस आदि नये आयोजनों के बल पर नये बाजार की संस्कृति विकसित हो रही है। दूसरी ओर, ग्रामीण और लोक–जीवन में भी मिली–जुली संस्कृति का विकास हो रहा है। भारत में सामुदायिक अस्मिताओं का संघर्ष हो रहा है। विघटन और नवनिर्माण का दौर चल रहा है। इस तरह से समकालीन वैचारिकी को बहुलतावादी वैचारिकी और इक्कीसवीं सदी को बहुलताओं की सदी और समग्र रूप में वर्तमान समय को 'डिजीटल युग' कहा जा रहा है। हिंदी साहित्य भी भारतीय लोकतंत्र द्वारा समर्थित इस बहुल–सांस्कृतिकता का प्रतिफलन कर रहा है।

भारत, वैश्वीकरण के अनुरूप अपने आप को बहुत तेज गति से अनुकूलित करने की कोशिश करते हुए 21 वीं सदी में आगे बढ़ रहा है। परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और रोज़गार की दिशा में भारत की युवा पीढ़ी दौड़ रही है। तेज गति से परिवर्तनशील जीवन की प्रक्रिया में हम विकास के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन थे ? हमारी परंपराएँ क्या थीं ? हमारी जीवन दृष्टि क्या थी ? हम किस दिशा में जा रहे हैं ? जैसी बातों के प्रति ध्यान दिये बिना विकास के नाम पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने आपको यह कहते हुए सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि यह सब हम भौतिक समृद्धि के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन भारतीय परंपराएँ, भारत का इतिहास, भारतीय दर्शन, जीवन की एक समग्र दृष्टि को हमारे सामने प्रस्तुत करता है।

भारतीय दार्शनिकों ने इस दृश्यमान विश्व के अस्तित्व को पहचानते हुए अंतिम सत्य की खोज की कोशिश की। भारत की परंपराएँ और भारतीय जीवन परिणाम के क्रम में क्रमशःयूरोपीय चिंतन के दबाव में आ गया है। फिर भी भारतीय समाज में समय–समय पर जीवन के मौलिक सूत्रों की पुनः व्याख्याएँ समय–समय पर होती आयीं। भारतीयों ने जीवन के सारतत्त्व को ग्रहण करते हुए जीवन के निर्देशित सूत्रों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित पुरुषार्थों की व्याख्या समय के अनुरूप करते हुए आगे बढ़ते आये हैं। इस क्रम में संदर्भ के अनुसार भारतीयों ने कभी व्यक्ति को और कभी समाज को प्रधानता दी। भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और आचार व्यवहारों में बहुलता दिखाई देने पर भी उनके अंतर्गत पथ प्रदर्शन करने वाली ताकत भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा से आती है। ऋग्वेद ने समरसता के मंत्र की उद्घोषणा की जो वर्तमान साहित्यकारों का सामाजिक समरसता स्थापित करने की और पथ प्रदर्शन करता है। यह मंत्र सार्वकालिक ही नहीं वैश्विक भी है।

''समानी व आकूतिः समाना हृदयानिवः ।
समानास्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति'' ।।

भारतीय चिंतन समरसता को समाज के लिए आवश्यक सांस्कृतिक और वैधानिक समाधान के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात सुख समृध्दि और उन्नती के इच्छुक मनुष्यों तुम्हारा नारा एक सा होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंतर भाव समान होना चाहिए। तुम्हारा चिंतन और विचार समान हो तुमहारे लक्ष्य समान हो। तुम्हारे सभी कार्य, व्यवहार तथा चिंतन इस प्रकार का होना चाहिए ता कि मानव मात्र आनंद में रहें। वर्तमान साहित्य में पनपरहे संघर्षकारी तत्त्वों को समाप्त करते हुए समरसता के मूल्य के आलोक में भविष्य के समाज को रूपायित करना आज की आवश्यकता है। आज के डिजिटल युग में समरसता का सिध्दांत ही भारतीय जीवन का पथ प्रदर्शन कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1– महाभारत अनुशासन पर्व
2– यजुर्वेद–26/2
3– यजुर्वेद–36/18
4– श्रीमद्भगवद्गीता–12/4
5– श्री राम चरित मानस, उत्तर काण्ड–29/3
6– अथर्वेद–19/62/1
7– ऋग्वेद–10/191/2
8– यजुर्वेद–18/48

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

अपराध का समाज पर प्रभाव एवं नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. मिर्जा मोजिज बेग
शासकीय विधि महाविद्यालय, इंदौर

चुनौतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक ओर पुलिस के सामने नित्य प्रति नवीन समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। दूसरी ओर समाज की अपेक्षाएँ भी पुलिस से बढ़ती जा रही है। अपनी भूमिका के कुशल निर्वाह हेतु उसे अपनी कार्यप्रणाली में कुछ सुधार लाने होंगे।

समाज को पुलिस से बहुत सी अपेक्षाएँ हैं इन्हें पूरा करने के लिए पुलिस को जिन साधन–सुविधाओं की जरूरत हैं उन्हें प्रदान करने में राज्य एक सीमा तक ही समर्थ है। आर्थिक ही नहीं, वरन् अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे एक मजदूर के काम में घण्टे निश्चित हैं, परंतु पुलिसकर्मी के नहीं। पुलिस का दायित्व अपराध की विवेचना या रोकथाम तक ही सीमित नहीं है, वरन् महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही है। और इस सम्बन्ध में खेदजनक तथ्य यह है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी के नाम पर पुलिस को सेवा–टहल करनी पड़ती है।

इतने पर भी बस नहीं, पुलिस–कार्यों में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप भी बहुत ही अधिक है, जिसे स्वीकार न करने वाले पुलिसकर्मी का भविष्य नष्ट भी हो सकता है। तबादलों के नाम पर परिवार से दूर इधर–उधर भटकना और झूठी विभागीय शिकायतों व जाँच ही उसकी नियति बन जाती है, इसके लिए –

1) पुलिस विभाग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो।
2) पुलिसकर्मियों के काम के घण्टे निश्चित हो।
3) महत्वूपर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और अपराध की विवेचना तथा कानून व्यवस्था की शाखाएँ अलग–अलग हों।
4) पुलिस अधिकारी भी अपने स्टाफ, साधन–सुविधा व आर्थिक आदि मांगें प्रभावपूर्ण तरीके से भाासन के समक्ष रखें।

विकास के साथ बहुत सी समस्याएँ और अपराध बढ़े हैं। जैसे – औद्योगीकरण को ही लें। इसमें जहाँ लाभ हुए हैं वहीं श्रमिक व मालिकों के टकराव से संघर्श, हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, सफेदपोश व बाल अपराध, स्त्री के विरूद्ध उभरे हैं।

अतएव प्रत्येक क्षेत्र की समस्या के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त स्वतंत्र शाखा स्थापित की जा सकती है। इससे मामले जल्दी निपटेंगे।

विकास का एक उपहार है नगरीकरण, परंतु वेश्यावृत्ति, मद्यपान, नशीली दवाईयाँ, गन्दी बस्ती के अपराध नगरीय समाज की देन है। पुलिस इन्हें सामाजिक समस्या मानती है, परंतु इसके कारण उत्पन्न अपराधों से पुलिस को ही निपटना पड़ता है।

यद्यपि ये समस्याएँ सामाजिक हैं, परंतु अपने समाज सुधारक रूप की स्थापना द्वारा पुलिस को छवि अच्छी बनानी है। साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए भी पुलिस इनका दायित्व सामाजिक संस्थाओं की मध्यस्थ बनकर ले। इससे पुलिस की छवि भी सुधरेगी और भविष्य में अपराधों की संभावना भी कम होगी।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों, साहूकारों द्वारा शोषण हिंसा आदि की समस्याएँ हैं जिनका निराकरण भी पुलिस इसी विधि से कर सकती है।

सांस्कृतिक अपराध, जैसे ब्ल्यू फिल्में, अश्लील चित्र और साहित्य व्यभिचार आदि की समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस को सक्षम बनाना होगा। सामाजिक कानून में तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे – दहेज, बाल–विवाह, अस्पृश्यता अधिनियम आदि; परंतु इनका पालन करवाने में व्यावहारिक बाधाएँ हैं। यदि पुलिस संस्थाओं के माध्यम से जनता की मानसिकता बदलने का प्रयत्न करे तो इन कानूनों को लागू करवाने में आसानी होगी। कई बार उच्च अधिकारियों के आवागमन पर की गई विशेष स्वागत व्यवस्था में बहुत व्यय हो जाता है। इसकी वसूली जनता से किसी न किसी रूप में होती है। अतएव इस तरह के आयोजनों पर कठोर प्रतिबंध हो।

न्याय प्रक्रिया में विलम्ब के लिए पुलिस यद्यपि दोषी नहीं होती, फिर भी इस वजह से पुलिस पर जनता की आस्था कम हो जाती है। देश में विकास,

संवैधानिक व्यवस्था और कानूनों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भी न्याय व्यवस्था गतिहीन है।

जो पक्ष मामले को लटकाना चाहता है, वह अदालत का सहारा लेता है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया हनुमान की पूंछ जैसी लम्बी होती चली जाती है। कई अपराधों के पीछे तो यही वजह होती है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में विलम्ब से व्यक्तियों को कानून हाथ में लेने की दुष्प्रेरणा मिलती है। न्याय जल्दी मिले इसके लिए पुलिस को प्रयत्न करना होगा। एक बार व्यापक पैमाने पर प्रत्यत्न करके नागरिकों को भी अपने साथ मुकदमों का फैसला एक निश्चित समय–सीमा में करवाने हेतु कठोर कानून बनाये जाए। तभी पुलिस व न्याय व्यवस्था में जन आस्था पैदा होगी।

अतएव आज जबकि देश आजादी के अर्धशतक को पर कर रहा है, न्यायालय अपना मान बनाये रखने हेतु सभी मामलों को निपटाने की समय–सीमा तय करके उसका कठोरतापूर्वक पालन में भी करे।

अपराध नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयास :– एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतवर्ष में मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की संस्तुति की है। यद्यपि यह संस्था पश्चिमी देशों में है और कभी–कभी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी प्रयास करती है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट में एशिया महाद्वीप के बारे में भी अधिक टिप्पणी की जाती है। 10 सूत्रीय कार्यक्रम में उसने अत्याचारों के रोकथाम व मानवाधिकारों की सुरक्षा के संबंध में संस्तुति की जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

1) कार्यालयों में मानवाधिकार सुरक्षा की प्रक्रिया अपनायी जाये। इसके अंतर्गत सरकार सभी कार्यालय, थाना, चौकी अन्य स्थानों पर जन साधारण को मानवाधिकार की जानकारी देने की व्यवस्था करे ऐसे स्थानों पर जहां जनता को निरूद्ध किया जाता है वहाँ उत्पीड़न के रोकथाम हेतु उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था देशभर में की जाये।
2) सभी शिकायतों, उत्पीड़न की अवश्य जांच विवेचना की जाये। इसके अंतर्गत सभी उत्पीड़न के शिकायतों की न्यायिक जांच कराई जाए जो इसमें बलात्कार अभिरक्षा में मृत्यु की जो सूचनायें समाचार पत्र, पत्रिकायें, रेडियों, टी.वी. आदि में मीडिया प्रकाशित करता है या अन्य सामान्य ऐजेसियाँ प्रकाशित करती है उनकी तुरंत एवं प्रभावी जांच कराई जाए और यह जांच निश्पक्ष संस्था द्वारा कराई जाये। न्यायिक अधिकारियों को जांच हेतु सभी वैधानिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। इसमें गवाहों का परीक्षण, बुलावा तथा अभिलेखों का परीक्षण सम्मिलित है। जांच के सभी गवाहों की सुरक्षा की जाए। जांच एक उचित निर्धारित समय में पूरा किया जाए तथा परिणाम से जनता को अवगत कराया जाये। अशिक्षित एवं गरीब व्यक्तियों के प्रकरणों में विशेष ध्यान दिया जाए और उसको सरकारी मशीनरी द्वारा सुरक्षा दी जाये न कि डराया धमकाया जाये। स्त्रियों के साथ क्रूरता व बलात्कार के मामलों में विशेष संवेदनशीलता व सावधानी बरती जाये। चाहे बलात्कार साबित हो या न साबित हो तब भी सावधानी बरती जाये।
3) सभी को न्याय दिलाया जाये। पुलिस व सुरक्षा बलों के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि वह अधिकारों का दुरूपयोग न करे और न्यायिक व्यवस्थानुसार ही कत्तव्यों का निर्वहन करे। पीड़ित व्यक्ति उसके विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधी जो पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों में परीक्षण किये गये हो उन्हें सभी अभिलेखों की प्रतियाँ पुलिस के अभिलेखों सहित दी जानी चाहिए।
4) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी विधिक व्यवस्था लागू रखी जाये जिससे उत्पीड़न से प्रत्येक हालत में सुरक्षा होती रहे। ऐसी व्यवस्था हो कि नियमित 24 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।
5) थाना इन्चार्ज अभिरक्षा के लिए उसके अधिकारों को अवश्य बतायेगा पुलिस और सुरक्षा बलों को मानवधिकारों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षित किया जाये और पुलिस में सुधार लाया जाये।
6) सरकार प्रशिक्षण पद्धति के पुनरीक्षण के लिए आदेश करे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक लगातार पाठ्यक्रम तैयार करे तथा ऐसी प्रशिक्षण पद्धति लागू करे जिससे पुलिस व सुरक्षाबलों उत्पीड़न पद्धति की रोकथाम की जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के स्तर को बढ़ाया जा सके।
7) पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिया जाये। इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को वैधानिक अधिकार होगा कि वह उत्पीड़न और गलत उपचार जिसमें बलात्कार और

अभिरक्षा में मृत्यु भी सम्मिलित है वैधानिक सहायता व क्षतिपूर्ति के लिए उसका परिवार या पीड़ित स्वयं अधिकारी होगा। विधिक एवं व्यवहारिक प्रक्रिया को आसान करते हुए सरकार इसके लिए अधिकरण की स्थापना करे जिससे मानवाधिकार हनन के सभी पीड़ित को सही उपचार मिल सके। क्षतिपूर्ति राज्य सरकार दे तथा सेना, केन्द्रीय बलों कि दशा में केन्द्रीय सरकार क्षतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्ति की धनराशि लोक सेवक से काटी जानी चाहिए।

8) उत्पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता व सुविधा दी जाये। देशभर में क्रूरता अमानवीय व्यवहारों से पीड़ित व्यक्तियों को उचित मेडिकल सुविधा व सहायता दी जाये।
9) उत्पीड़न के कारण एवं प्रकार की विवेचना की जाये। सरकार उत्पीड़न की कुछ घटनाओं को चुनकर उनके कारण एवं प्रकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेचना कराये। यदि आव यक हो तो विशेष ढांचा एवं मशीनरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए खड़ा किया जाये जैसे बलात्कार और अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों में विभिन्न राज्यों में ऐसी शिकायत पर कृत कार्यवाही का पर्यवेक्षण निष्पक्ष बाड़ी द्वारा किया जाये। राष्ट्रीय स्तर राजनीतिक या विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की एक संसदीय कमेटी बनाई जायें जो विवेचना, उत्पीड़न के तरीकों एवं अभिरक्षा में मृत्यु के मामलों का पर्यवेक्षण करे।
10) भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वीकारोक्तियाँ करे। इसके अंतर्गत भारत सरकार उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं की संस्तुति की विवेचना कर उन्हें स्वीकार कर लागू करे जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र (अत्याचार/उत्पीड़न के विरूद्ध) 1979 में निर्गत किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत पीड़ित शास्त्र का स्पष्ट विधायन तो निर्मित नहीं कर पाया है अपितु केवल पीड़ित को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देने का कार्य अवश्य ही किया हैं। जहाँ भारतीय संवैधानिक प्रावधानों का प्रश्न है वहाँ उत्पीड़न शास्त्र का स्थान नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि पीड़ितों को उपचार उपलब्ध नहीं है और जहाँ तक अन्य विधियों में प्रावधान या नियम का प्रश्न है वहां अल्प मात्रा में पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रावधान दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ उठता है कि ऐसे प्रावधानों का निर्माण कौन कर सकेगा तब यह उत्तर देना सार्थक होगा कि यह तो राज्य का दायित्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1) डॉ. परांजपे एन.वी. अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन षष्ठम संस्करण पृष्ठ 25–27
2) यादव लेखराम मानव व्यवहार एवं मनौविज्ञान प्रथम संस्करण, 1999 पृष्ठ 243
3) जाखड़ दिलीप मानवाधिकार और पुलिस संगठन प्रथम संस्करण 2000 पृष्ठ 77
4) यादव लेखराम मानव व्यवहार एवं मनौविज्ञान प्रथम संस्करण, 1999 पृष्ठ 246
5) डॉ. बघेल डी.एस. अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन दिल्ली दसवां संस्करण 2001 पृष्ठ 535

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

बीमा विधि के अंतर्गत बिमित व्यक्तियों के अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

संगीता पंद्राम

(शोधार्थी)

बीमा का अर्थ है कि हानियों की क्षतिपूर्ति करना, अन्तर्निहित अर्थ यह है कि, बीमा के यंत्र–विन्यास का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर से यह क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। दावे के रूप में जो राशि दी जाती है वह हानि हुई राशि से अधिक नहीं हो सकती। बीमा एवं बीमाधारक में स्थापन करना चाहिए। जिस स्थिति में वह हानि होने के पूर्व था, उससे बेहतर नहीं।

इस सिद्धांत के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा बीमित की क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात बीमित के तृतीय पक्षकारों के विरूद्ध सभी अधिकार बीमाकर्ता को हस्तान्तरित हो जाते हैं। "यह बीमाकर्ता का बीमित के तृतीय पक्षकारों के विरूद्ध अधिकारों से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसे बीमित द्वारा उठाई गई हानि को पूरा करने के बाद प्राप्त होता है।" इस सिद्धांत में यह बात महत्वपूर्ण है कि, यदि बीमित ने बीमा न करवाया होता तो वह क्षति पहुँचाने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवा सकता था। किंतु जब बीमित ने बीमाकर्ता से बीमा करवा लिया तो बीमित बीमाकर्ता से ही क्षतिपूर्ति माँगता है।

एक ही बीमा विषय–वस्तु पर बीमाधारक अनेक बीमा ले सकता है यदि वह इन सभी बीमा आवरणों के अंतर्गत अपनी हानि की वसूली करता है तो उसे हानि के द्वारा मुनाफा होगा। इससे क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अतिक्रमण होगा। अतः सामान्य विधि ने अंशदान सिद्धांत प्रतिपादित किया। विधि के अनुसार "पॉलिसी के अन्तर्गत हानि का भुगतान करने के पश्चात उस बीमाकर्ता का अन्य बीमाकर्ताओं से आनुपातिक राशि वसूल करने का अधिकार है, जो उसी हानि के प्रति दायी है।" बीमाकर्ता को अधिकार होता है कि, वह अपनी इच्छा से किसी भी अन्य बीमाकर्ता से हानि की पूर्ण राशि वसूल कर सकता है।

बीमा अनेक प्रकार का होता है, जैसे – अग्नि बीमा, फसल बीमा, वाहन बीमा, सामुद्रिक बीमा इत्यादि। किंतु शोधार्थी के शोध का विषय जीवन बीमा से संबंधित है। अतः जीवन बीमा क्या है? उसका उदगम किस प्रकार हुआ है, उसके लक्षण क्या है? मानव जीवन में उसका क्या महत्व है? इन्हीं मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

बीमांकिक सिद्धांत :– बीमांकिक का आशय यह देखना होता है कि, बीमाकर्ता अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा सके। इसके लिए कंपनी को हर एक जोखिम के बारे में अनुमान लगाना होता है और उसे धन की दृष्टि से आंकना होता है। इसके लिए उसे और भी कई कार्य तथा गणितीय गणना करनी पड़ती है। यह गणना वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर की जाती है, जिसे बीमांकिक विज्ञान कहा जाता है।

जीवन बीमा में जोखिम, प्रीमियम के भुगतान के बदले में अनेक व्यक्तियों द्वारा बाँट ली जाती है, जैसा कि, हम जानते हैं मृत्यु की जोखिम सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग–अलग होती है। यह व्यक्ति की आदतों, स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक जानकारी आदि के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है।

यद्यपि प्रीमियम जोखिम के अंश पर आधारित होती है इसलिए अलग–अलग मात्रा की जोखिम के लिए अलग–अलग राशि प्रीमियम के रूप में देनी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि, प्रीमियम की गणना करने से पूर्व जोखिम का मूल्यांकन कर उसका पूर्वानुमान लगा लिया जाए। बीमांकन विज्ञान ने ऐसे सिद्धांत और तकनीक विकसित की है, जो ऐसे पूर्वानुमान और मूल्यांकन कर सके। ये सिद्धांत जीवन बीमा व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अतिमहत्वपूर्ण है जिन्होंने बीमांकन विज्ञान में महारथ प्राप्त कर ली है, उनको बीमांकक कहा जाता है। जीवन बीमा कंपनियाँ इन बीमांककों के बगैर कार्य नहीं कर सकतीं हैं। बीमांकक वह व्यक्ति है, जो सिद्धांततः तथा व्यवहारतः विशेषकर मृत्यु दर, रूग्णता, सेवानिवृत्ति और बेरोजगारी संबंधी आँकड़ों में विशेषज्ञता प्राप्त होता है।

इसकी प्रीमियम निम्न तीन आधारों पर आँकी जाती है –

1) लोगों की मृत्यु दर
2) बीमाकर्ता द्वारा अर्जित की जाने वाली संभावित ब्याज दर
3) प्रशासन के खर्च

बीमा की उपयोगिता :– बीमा सुरक्षा प्रदान करता है और अपनी अनेक विधाओं द्वारा व्यवसाय, समाज और व्यक्तियों के लिए लाभकारी भी सिद्ध होता है। बीमा का महत्व एक व्यक्ति या परिवार तक ही सीमित नहीं है वरन् इसका महत्व सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में है। विख्यात लेखक एवं दार्शनिक प्रो. रोयस ने इसके महत्व को समझाते हुए लिखा है कि, "आधुनिक युग में बीमा का उपयोग एवं उपयोगिता अधिकाधिक बढ़ रही है। यह केवल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं करता है बल्कि यह हमारी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में अधिकाधिक समाहित होता जा रहा है तथा इसके परिवर्तन में योगदान दे रहा है। यह केवल शुद्ध एवं व्यावहारिक विज्ञानों का ही नहीं अपितु निजी एवं सार्वजनिक हितों तथा व्यक्तिगत विवेक का भी सम्मिश्रण है तथा यह सामान्य कल्याण, मितव्ययिता एवं दान आदि का पर्याप्त ध्यान रखता है।

जीवन बीमा समाज के सभी वर्गों एवं सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए उपयोगी है। आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति बीमा के बिना नहीं रह सकता है। समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा की सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता है। बीमा सम्पूर्ण विश्व–व्यवस्था के लिए उपयोगी है। यह सम्पूर्ण मानव जाति एवं इससे संबंधित सभी वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाता है। यह जीवन की आर्थिक जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करते हुए दुर्घटना एवं आकस्मिक संकटों में भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमितों को मानसिक शांति प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमितों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यह बीमितों के परिवारों को विघटित होने से बचाता है तथा उनके परिवार के सदस्यों को एक निश्चित जीवन स्तर बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है। बीमा के द्वारा ही उद्योगों का विकास, रोजगार के अवसरों का विकास, बचत में वृद्धि, पूंजी निर्माण एवं सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करता है इसीलिए आज के युग में बीमा अतिउपयोगी है।

सूक्ष्म बीमा की उपयोगिता :– आज के युग में बीमा का महत्व दिन दूने रात चौगुने बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति के जीवन में जितनी अधिक अनिश्चितताएँ एवं जोखिमें हैं। बीमा की उपयोगिता में भी उतनी ही तेजी से वृद्धि हुई है। आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जोखिमों से घिरा हुआ है। कहते है कि, जीवन की शर्ते जितनी कठिन हैं बीमा की शर्ते उतनी ही सरल हैं। तात्पर्य है कि, मनुष्य जिस रास्ते पर चलता है वह रास्ता बहुत कठिन है। उस रास्ते पर चलते–चलते कब कोई किस दुर्घटना का शिकार हो जाए? कब वृद्धावस्था आ जाए? या कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक चिंता होती है संचय करने एवं आश्रितों के भरण–पोषण की और वे व्यक्ति जो प्रतिदिन मजदूरी करके अपने परिवार में आश्रित सभी सदस्यों का भरण–पोषण करते हैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए पहले सूक्ष्म बीमा योजना की इतने कम प्रीमियम की एवं साप्ताहिक, पाक्षिक प्रीमियम वाली अभी तक कोई बीमा योजना नहीं थी। सूक्ष्म बीमा योजना के प्रारंभ होने से निर्धन, आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अशिक्षित मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी वृद्धावस्था या उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को एक सीमा तक आर्थिक सुरक्षा का सहारा दिया जा सकता है। सूक्ष्म बीमा योजना के माध्यम से ये व्यक्ति चिंता से मुक्त हो सकते हैं। समाज के निर्धन आर्थिक रूप से कमजोर एवं गाँव के अशिक्षित एवं अर्द्धशिक्षित सभी वर्गों के लिए सूक्ष्म बीमा योजना की सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता है। सूक्ष्म बीमा योजना सम्पूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाता है। सूक्ष्म बीमा योजना की सामाजिक एवं आर्थिक उपयोगिता का निम्न प्रमुख वर्गों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है।

सूक्ष्म बीमा योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, यह अनिश्चितताओं के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। सूक्ष्म बीमा योजना के माध्यम से निर्धन वर्ग के व्यक्ति को भी जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। बीमाकर्ता बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित कारणों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। इससे बीमित की सुरक्षा होती है। सूक्ष्म बीमा योजना के द्वारा वृद्धावस्था में पूर्ण सुरक्षा तो प्राप्त हो ही जाती है किंतु समय से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण आश्रित परिवार को भी जीवन व्यतीत करने में आसानी होती है।

सूक्ष्म बीमा योजना बीमितों को आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने के निरंतर भय से मुक्ति प्रदान करता है। वास्तव में, अधिकांशतः निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनिश्चितता एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा होती है और सूक्ष्म बीमा योजना उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति प्रदान करता है।

जिस व्यक्ति को भविष्य के विषय में कम चिन्ताएँ होती हैं, वह अधिक अच्छा कार्यकर्ता होता है। सूक्ष्म बीमा योजना से प्रत्येक निर्धन वर्ग के व्यक्ति को अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्तियों एवं परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने से सम्पूर्ण परिवार की ही आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो सकती है। ऐसी दशा में परिवार का पालन–पोषण करने वाले व्यक्ति का बीमा होने पर सम्पूर्ण परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। उपयुक्त ढंग से ली गयी सूक्ष्म बीमा योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाये रखने में योगदान देती है।

सूक्ष्म बीमा योजना बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करती है। प्रो. रीगल मिलर तथा विलियम्स के शब्दों में "बीमा बचत को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण प्रदान करता है।" किसी भी व्यक्ति की कितनी भी आय क्यों न हो, किंतु एक सामान्य व्यक्ति को बचत करने में अनेक कठिनाईयाँ आती हैं। फिर सूक्ष्म बीमा योजना तो गरीब, मजदूर एवं निर्धन वर्ग के लोगों के लिए है इनके लिए परिवार का पालन–पोषण करना ही मुश्किल होता है और परिवार का पालन–पोषण करने के बाद बचत करना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सूक्ष्म बीमा योजना के अंतर्गत जीवन मधुर एवं "जीवन मंगल" पॉलिसी लेते हैं वे बीमा प्रीमियम के भुगतान को बैंक में धन जमा करवाने की अपेक्षा अधिक गंभीरता से लेते हैं और वे बचत भी आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए प्रो. एन्जेल ने ठीक लिखा है कि, "बचत के साधन के रूप में जीवन बीमा का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लाभ है क्योंकि बीमा अर्द्धअनिवार्य प्रकृति का है।

सूक्ष्म बीमा निर्धन वर्ग में भविष्य की आवश्यकताओं का आसानी से नियोजन कर सकता है। एक तरफ व्यक्ति को भविष्य में अनेक आकांक्षाएँ रहती हैं तो दूसरी तरफ उसे भविष्य के दायित्व की चिन्ता चौन की नींद नहीं सोने देते किंतु सूक्ष्म बीमा योजना के द्वारा कोई भी निर्धन वर्ग का व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं का भली प्रकार नियोजन कर सकता है। भविष्य में बच्चों की शिक्षा, विवाह, उपयुक्त आवास आदि आवश्यकताओं का भी नियोजन कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाण्डेय डॉ. जी.एस. : अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चतुर्थ संस्करण, 2008
2. पाण्डेय डॉ. जे.एन. : अपकृत्य विधि, सत्रहवाँ संस्करण, 2010
3. वावेल डॉ. वी.एल : संविदा विधि, द्वितीय, सातवां संस्करण, 2003
4. कपूर डॉ. एस.के. : संविदा विधि 1872, प्रकाशक – सेंट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद –2
5. कपूर डॉ. एस. के. : माल विक्रय अधिनियम, 1930, द्वादश संस्करण, 2002

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 4 May 2019

भारतीय राजनीति में धर्म क प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. विजयलक्ष्मी देवांगन
सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय साजा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

सारांश :– धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने व स्वीकारने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वत. त्रता प्रदान करते हुए मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। पुरातन काल से ही धर्म को मानव जीवन की प्रमुख धुरी मानकर ही मानवीय आदर्श व्यवहार को स्थापित करने का प्रयास किया है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में धर्म और राजनीति एकमिक होते हुई स्पष्ट दिखलाई देती है, अपितु धर्म आधारित राजनीति को ही सर्वोत्त्म राजनीति की संज्ञा दी है। पूर्व काल में असभ्य मानव समुदाय ने प्रकृति जनित आपदाओं और अज्ञात के प्रति भय से बचने के लिए एक अदृश्य, अव्यक्त का अवलम्बन लिया तथा उस पर अपनी आस्था को आरोपित कर लिया जो धीरे धीरे धर्म का आधार बनता चला गया। राजनीति में भी धर्म का आगमन भी कदाचित इसी कारण हुआ कि कुछ लोगों के मत में धर्म विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन करेगा, किंतु वैदिक काल में धर्म कोई मत, मतांतर अथवा मान्यता ना होकर व्यतिगत भाव था जिससे व्यक्ति ने स्वयं के जीवन को संतुलित व व्यवस्थित करने हेतु स्थापित किया, कालांतर में धर्म का स्वरूप परिवर्तित होता चला गया जिसके साथ साथ विभिन्न पंथो का विस्तार होता गया। व्यतिगत व सामाजिक जीवन में धर्म का ज्यों–ज्यों प्रभाव व विस्तार हुआ व्यक्ति का राजनीतिक जीवन भी ढलता चला गया, अपितु धर्म का राजनीति पर इतना गहरा प्रभाव है कि शासन, प्रशासन, सत्ता तथा मतदान व्यवहार आधार मात्र धर्म हो गया। धर्म के आधार पर सरकार बनती व गिरती नजर आई है। आधुनिक काल में धर्म ने व्यापक रूप में अपनी जगह बनाई है चाहे कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो उस पर धर्म का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पडता है।

की वर्ड :– राजनीति, धर्म, प्रशासन, धर्मनिरपेक्ष, मतदान व्यवहार, भारतीय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद।

प्रस्तावना :– भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहॉ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकारनें तथा उसका परिपालन करने की स्वतंत्रता है। चूंकि प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप निर्धारण में धर्म का विशेष महत्व रहा है। आदिकालिन असभ्य ने प्रकृति की सरल, सुखद और वीभत्स दोनों ही घटनाओं के अंतर स्त्रोत के रूप में एक अवचेतन अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तथा संपूर्ण प्रकृति का उसी अवचेतन से संचालित होना माना। इस प्रकार वह धीरे धीरे धर्म को स्वीकार करने लगा, तत्कालिक समाज में राजनीति व्यवस्था में धर्म का आरूढ़ स्पष्ट दिखलाई पड़ता है जिसके अन्तर्गत पुरोहितों का राज्य पर प्रभाव अधिक था जो पूजा, बलि आदि कार्य राज्य के हित एवं आम जनता की हित साधने का कार्य करते थे। इस प्रकार जाने अनजाने विभिन्न रूपों में मानव अपने समस्त कार्यो में धर्म पर आश्रित होने लगा और यह माना जाने लगा कि धर्म राजनीति व समाज के विभिन्न भागों को सीधे प्रभावित करती है तथा धर्म का राजनीति पर प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव पड़ता है।

कालांतर में धर्म का आक्षेप राजनीति पर दिखलाई पड़ता है वहीं वर्तमान युग में भी राजनीति धर्म पर आक्षेपित दिखलाई देती है व लगातार रूप से उसे प्रभावित करती हुई नजर आती है, आज चाहे वोट बैंक की राजनीति हो अथवा सरकार बनाने की अथवा राजनीतिक स्वार्थ को साधने की। धर्म का विस्तृत प्रभाव राजनीति पर अवश्य दिखलाई पड़ता है। वास्तव में राजनीति और धर्म दोनों ही मानव आचरण से संबध्द है और दोनों का ही लक्ष्य मानव व समाज के कल्याण हेतु किया जाता है। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही सफल राजनेता हो सकता है क्योंकि वही धर्म के आधार पर सबके साथ उचित न्याय कर सकता है। वास्तव में धर्म है क्या, जिस पर कई बार विचार करने की आवश्यकता है, धर्म एक सहज दर्शन है वह किसी प्रकार का आडंबर नही है जिसे व्यक्ति धर्म मान लेता है। एक 'परम सत' के भाव के साथ एकमिक हो जाना ही धर्म है। वहीं इमेनुअल काण्ट का दृष्टिकोण है कि धर्म देवीय अथवा ईश्वरीय आदेश के रूप में मिलते हैं तथा अपने कर्तव्यों का पालन सच्ची निष्ठा व ईमानदारी से करना ही धर्म है। वास्तव में धर्म केवल कर्तव्य पालन ही नही अपितु

सबके उपजीवन और प्रस्थिति का कारक है। एक ऐसा भाव है जिससे प्राणीमात्र की भावना सृजित व संपोषित होती है। आज के वर्तमान परिपेक्ष्य में धर्म एक पवित्र भाव ना होकर सम्प्रदायिकता का उद्वेश हो गया है जो समाज के सभी कारको को प्रभावित कर रहा है। चाहे वह आर्थिक हो सामाजिक हो अथवा राजनीतिक हो धर्म के प्रभाव से अछूता नही है। राजनीति में धर्म का प्रवेश कुछ इस प्रकार हो गया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते है। और निश्चित तौर पर एक दूसरे को पर्याप्त प्रभावित करते हुए नज़र आते है। वर्तमान में धर्म ही राजनीति की दिशा व दशा निर्धारित करते हुए नजर आता है। धर्म के संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते राजनीतिक संस्थाएं कई बार लत निर्णय लेती है जो देश की सुरक्षा व अखण्ड़ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

प्राचीन भारतीय राजनीति और धर्म :– प्राचीन काल से ही भारत में धर्म परायणता देखा गई है। भारतीय सस्कृंति का आधार धार्मिक प्रवृतियॉ ही रही है। वास्तव में समस्त मानवीय सामाजिक व्यवस्थाएँ धर्म पर ही आरूढ़ रही है नैतिक क्रियाएँ धर्म द्वारा संचालित होती है तथा अनजाने का भय व सुरक्षा की भावना व्यक्ति को धर्मभीरू बनाता है। धीर–धीरे सभ्यताओं का विकास होता गया किन्तु जन्म और मृत्यु का भय मनुष्य को सदैव बना रहा और तब धर्म का प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता यथावत बनी रही। धर्म वास्तव में ''धृ'' धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना अथवा पालन करना। अधिकतर स्थानों में धार्मिक अनुष्ठानों, क्रियों संस्कारों व धार्मिक विषयों से जुड़े तथ्यों व विचारों को धर्म के अंतर्गत माना गया। कई शाखाओं ने यज्ञ, अध्ययन, तपस्या, दान आदि को धर्म के अन्तर्गत रखा किंतु कालांतर में यह मानव के विशेषाधिकारों का घोतक होता गया एवं उसका व्यक्तित्व बन गया। भारतीय साहित्यों में धर्म से संबधित नियमों व व्यवस्थाओं का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। जिसके अन्तर्गत माना जाता रहा कि धर्म व्यक्तियों के आचरण को निर्धारित करती है तथा एक नैतिक सामाजिक संहिता के रूप में होती है तथा कुछ नियमों के तहत व्यक्ति का जीवन संचालित होने लगा जिससे निश्चित सामाजिक बंधनो की शुरूआत होने लगी तथा एक आदर्श समाज के भीतर व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्थापना धर्म के माध्यम से होने लगा इस प्रकार प्राचीन भारत में धर्म का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा व्यापक माना है धर्म नैतिक नियमों से लेकर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा धार्मिक उपासना माना जा सकता है।

प्राचीन भारतीय राजनीति की विस्तृत व्याख्या करने पर राजनीति और धर्म का अर्न्तसंबध दिखलाई पड़ता है। डनिंग के अनुसार भारत में दर्शन की प्रचुरता पाई गई है और एक स्वतंत्र विधा के रूप में राजनीति विज्ञान का विकास नही पाया चूंकि भारतीय राजनीति चिंतन धर्म और अध्यात्म के प्रभावों से ही ओतप्रोत रही व उनसे कभी भी स्वंतत्र नही हो पाई तथा एक निश्चित बौध्दिक विवेचन का अभाव भारतीय राजनीति संस्थाओ का मिलना था। वही कई विचारकों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन तथा राजनीतिक संस्थाओं को धर्म निरपेक्ष अर्थात् राजनीति से धर्म का कोई संबध अथवा राजनीति पर धर्म के प्रभाव को अस्वीकार करते हुए माना कि धार्मिक विचार धाराओं से प्राचीन भारतीय राजनीति लगभग अप्रभावित रही हैं। ए.एस अल्तेकर ने ''स्टेट एण्ड़ गवर्नमेन्ट इन ऐन्शयेन्ट इण्डिया ''में निष्कर्ष के अन्तर्गत यह माना कि भारतीय शासन पध्दति धार्मिक विचार धाराओं से प्रभावित नही होती।

राज्य के उदय के पूर्व सामाजिक संरचनाएँ धर्म द्वारा संपोषित एवं सचालित होती रही। वही राज्य के प्रारंभ में भी धार्मिक भावनाओं की प्रमुखता रही व धर्म के द्वारा ही राज्यों का संचालन किया जाता रहा जो कालांतर में राज्यो के सशक्त हो जाने पर राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण दिया जाने लगा इस प्रकार धर्म और राजनीति किसी ना किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करती रही व भारतीय शासन तत्रं पूर्ण रूप से धर्म से विलग नही हो पाया तथा प्रशासनिक संगठन एवं राजैनिक संस्थाएं कही ना कहीं धार्मिक परपंराओं एवं उपासनाओं द्वारा प्रभावित होती रही।

आधुनिक भारत में राजनीति और धर्म :– प्राचीन काल से ही राजनीति एवं धर्म के मध्य अर्न्तसंबंध पाया जाता रहा है। ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक शासन तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण शिक्षित भारतीय समुदाय की राज्य के प्रति प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी जो ब्रिटिश शासन के विरोध में रही तब औपनिवेशिक सत्ता तथा राजनैतिक लाभ के उद्दे य के योजनाबद्ध ढ़ंग से स्वार्थ सिद्धि के कारक के रूप में धर्म के आधार पर ''फूट डालो और शासन करो'' की नीति अपनाई गई जो राजनीति व धर्म के अन्तरावलम्बन का स्पष्ट विभाजन था। इन सभी के फलस्वरूप सामाजिक सुधारों की दिशा में भी अनेक प्रतिक्रियाएँ उभरी तथा कई संगठनों के माध्यम से तत्कालिक समाज में परिवर्तन की दिशा में कार्य किया। ब्रम्हसमाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ कालेज तथा सर

सैयद अहमद खान, राम कृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी जैसे संगठनों का उद्देश्य धार्मिक विचारों तथा बुनियादी नैतिक विचारों के माध्यम से समाज का पुनरूध्दार करना था। कुछ संगठन सीमित क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे वहीं कुछ व्यापक आधार पर धार्मिक व सामाजिक सुधार हेतु प्रत्यनशील थे किंतु ये राजनीतिक प्रकृति के नहीं थे, अपितु धार्मिक रूढ़ीवादी विचारों का खंड़न था। कांग्रेस के नरम पंथियों ने धर्म को व्यक्तिगत महत्व का विषय माना किंतु धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने जन राजनीति में प्रवेश किया। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा के माध्यम से बंगाल तथा महाराष्ट्र में धार्मिक एकता द्वारा राजनीतिक एकता का परिचय देते हुए एक शाक्तिशाली आंदोलन को खड़ा किया। बालगंगाधर तिलक, अरबिन्दो घोष, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसी आधार पर एक विशाल जन राजनीति में प्रवेश किया तथा 1905 में जब बंगाल का विभाजन मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य किया गया तो एक विशाल व उग्र राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हो गया व राष्ट्रवादी राजनीति का वास्तविक रूप नजर आया। उग्र राष्ट्रवाद की नई राजनीति का सृजन मूलतः तात्कालिक परिस्थितियों के विरोध में हुआ और वे अपने लिए उपर्युक्त स्थान की मांग करने लगे। वहीं बंगाल में दो उग्र राष्ट्रवादी दल स्थापित हो गए। एक दल शक्ति की उपासना को महत्तव दे रहा था तो दूसरा दल वेदांतों की शिक्षा दीक्षा का उपासक था किंतु दोनों ही दल हिंसा को आवश्यक रूप में स्वीकार कर रहे थे। वास्तव में धर्म ही वह भाव था जिसने तत्कालिक राजनीतिक व्यवस्था पर चोट पहुचांने हेतु नवयुवकों में राष्ट्रवाद को पोषित कर रहा था। धर्म असाधारण रूप से राष्ट्रवाद को जीवंत बना रहा था। बाल गंगाधर तिलक तथा अरबिन्दो घोष की स्पष्ट मान्यता थी कि धर्म के आधार पर आह्वान से भारतीय राष्ट्रवाद को असाधारण बल मिलेगा वहीं दोनों दलों के विषय में लाला लाजपत राय कहते है– ''वे न तो विनाशवादी है ना अराजकतावादी वे राष्ट्र भक्त हैं, जिन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति एक धर्म के धरातल से उठाई है। उनका धर्म असाधारण रूप से उनके राष्ट्रभक्ति से साम्य रखता है और वह धर्म राष्ट्रभक्ति को अनिर्वचनीय रूप से प्रचण्ड एवं सजीव बना देता है।''

तत्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रभावित करने के उद्देश्य से ही धार्मिक उत्सवों से ऐतिहासिक वीरों की याद में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया ताकि धार्मिक आधार पर जनता में जनजागृति पैदा की जा सके। किंतु इन्हीं भावनाओं के विस्तार से मुस्लिम समाज के भीतर भय और अलगाव की स्थिति बनती चली गई। चूंकि शिवाजी महाराज मुगलों के विरूध्द युद्ध लड़े और उनकी प्रशंसा को महाराष्ट्र में विजय गान के रूप में गाया गया जिससे मुसलमानों में हिंदू धर्म के प्रति दूरी स्वभाविक हो गई, वहीं ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की राजनीति से तकरीबन तत्कालिक 6 करोड़ 20 लाख मुसलमान देश में अलगावाद की भावना से भर गए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का राजनीति, सामाजिक हित साधना व ब्रिटिश सरकार के प्रति आभार को दर्शाना था। ब्रिटिश सरकार ने धर्म के आधार पर हिन्दू, मुस्लिम विभेद को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया जिसके प्रतिफल के रूप में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्वांत आया ताकि राजनीतिक भेदभाव की शुरूआत हो सके। वास्तव में यहीं से सम्प्रदायवाद धर्म की आड़ में छुप गया और लगातार वैमनस्यता का बीज हिंदू मुसलमानों के बीच बोता चला गया, और इसका अन्त धार्मिक आधार पर बने नए राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में दिखाई दिया। धर्म के आधार पर देश का विभाजन होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था किंतु तत्कालिक परिस्थितियों में इसके बेहतर कोई अन्य उपाय भी नही था। भारतीय राजनीति पूर्णतः धर्म के द्वारा संचालित होती हुई नजर आती है जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अपनी चरम सीमा था।

वर्तमान भारतीय राजनीति और धर्म :– स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आमूल चूल कई परिवर्तन हुए अब राजनैतिक स्वतंत्रता तथा स्वायता का वातावरण देश में व्याप्त हो गया था। राजनैतिक प्रशासनिक संस्थाओं का विकास होने लगा तथा व्यापक रूप से देश को विकासशील राष्ट्र के रूप में पहचान मिलने लगी। सामाजिक स्वतंत्रता तथा समभाव का सिद्वांत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से प्राप्त होने लगा जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता व मानव जीवन के मूल्यों के स्थापित करने वाले मौलिक अधिकार संविधान ने अपने नागारिकों को प्रदान किए जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 25 (1) में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया व राज्य को आदेश दिया कि वे धर्म, मूल लिंग वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अर्थात् भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नही किया जाएगा। वास्तव में भारतीय

संविधान ने अक्षरशः इसका पालन किया भी है तथा भारत एक विशाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित करता है किंतु धर्म ने भारतीय राजनीति को सदैव ही न्यूनाधिक रूप में प्रभावित किया ही है। भारत की राजनीति धर्म पर अवलम्बित होती हुई नजर आती है। आज धर्म और सम्प्रदायिकता की भावना के राजनीति की आड़ में भुनाने का प्रयास किया जाता है और धर्म का हौवा खड़ा करके राष्ट्रीयता की भावना को कोसों दूर कर के सम्प्रदायिकता का बीज बो दिया जाता है और लोगों के मन में देश प्रेम की भावना के स्थान पर आपसी वैमनस्व जन्म लेने लगता है। कट्टर पंथी ताकतें अपना हित साधने हेतु ईष्या और द्वेष का भाव लोगों के मन में भरते है और साम्प्रदायिता को बढ़ावा देते हैं। परिणामतः मजहब के नाम पर ही कई हिसांत्मक घटनाएं घटती है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं, देश की सुरक्षा तथा आंतरिक शांति व एकता भंग होती है। वास्तव में धर्म के बेहद संकीर्ण रूप के कारण ही साम्प्रदायिकता प्रारंभ होती है जबकि धर्म अपने विशालतम रूप में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला होता है। जिसका आधार ही मानवमात्र में एकत्व की भावना का संचार करना है, तथा परमतत्व की प्राप्ति है किंतु जब केवल धर्म के बाहरी स्वरूप के रूप में उसका आडंबर मात्र रह जाता है तो सम्प्रदाय प्रारंभ हो जाता है। जो कि राष्ट्रीय एकता का गंभीर शुत्र है। हिंदू–मुस्लिम संम्प्रदायों में वैमनस्व व अलगाव की भावना का विस्तार भारतीय राजनीति में आम बात हो गई है। सम्प्रदायिकता का अर्थ इस तथ्य से लगा सकते है जिसके अन्तर्गत किसी समूह या जाति के हितों की पूर्ति के सर्वोत्तम स्थान देकर उसे ही प्राथमिकता प्रदान करना व अन्यों को गौण स्थान प्रदान करना है। भारत एक विशाल राष्ट्र है यहॉ हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौध्द पारसी जैसे कई धर्मो के मानने वाले निवास करते है। तथा निश्चित तौर पर सभी अपने अपने हितो को साधने हेतु कई सामाजिक व राजनीतिक उपायों का सहारा लेते है। किंतु भारत में मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम, धर्म पर अनेक विवाद समय समय पर खड़े होते है। जो विभिन्न संगठनो यथा हिंदू महासभा अथवा मुस्लिम लीग, अकाली दल आदि के रूप में पहचाने जाते है जिनका एकमात्र उद्देश्य अपने हितो को साधना है वे इसके लिए राष्ट्रीय हितो की अवहेलना करने से भी नही चूकते। सत्तासीन शासको पर कई प्रकार के राजनीति दबाव वे समय समय पर बनाते रहते है जिससे वे अपने समूह के राजनीतिक हितों तथा सत्ता को प्राप्त कर सके। वहीं राजनीतिक दल अपने हितो की प्राप्ति व वोट बैंक बढाने के उद्देश्य से विभिन्न धर्मो व सम्प्रदायों का सहारा लेते है। भारत देश में मुसलमानों में पृथकता की भावना आना भी सम्प्रदायवाद के कारण है जिसके कारण देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ही राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध नही पाया। जहॉ राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ मुसलमान विरोधी विचारधाराओं से है वही मुस्लिम लीन की हिंदू विरोधी सुर ही बने रहे है। वास्तव में वर्तमान राजनीति अस्थिरता धर्म की कट्टरता का ही परिणाम है क्योंकि सम्प्रदायिकता एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिसके फलस्वरूप राजनीति प्रभावित होती है तथा राष्ट्रीय एकता को इससे गहरा आघात पहुॅचता है। इन साम्प्रदायिक दलों ने देश की राजनीति में धर्म का स्थान मानों सुनिश्चित कर लिया है और देखने से ही पता चलता है कि कोई राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष को महत्तव देते है।

प्रो. मोरिस जोन्स ने कहा है ''यदि साम्प्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाए अर्थात् कोई राजनीतिक पार्टी किसी वि ोष धार्मिक समुदाय के राजनीति दावों की रक्षा के लिए बनी हो तो कुछ पार्टियॉ ऐसी है जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहती है जैसे मुस्लिम लीग जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में रह गई है और जो मालाबार मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल में ही शक्तिशाली है, सिख्खो की अकाली पार्टी जो सिर्फ पंजाब में ही है, हिंदू महासभा जो सिधांत रूप में एक अखिल भारतीय पार्टी है कितुं मुख्य रूप से मध्यप्रदेश और उसके आसपास के इलाको में शक्तिशाली है।'' सम्प्रदायिता और धार्मिकता, राजनीति पर पूर्णतया आरोपित नजर आती है जिसके चलते नागालैंड में भी इसाईयों ने धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग की थी और ऐसे विभिन्न क्षेत्र है जहॉ धर्म की राजनीति की जाती है अथवा राजनीति पर धर्म हावी हुआ दिखलाई पड़ता है।

निष्कर्ष :– भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, विभिन्न धर्म, भाषा जाति, के लोग यहॉ निवास करते है और यह विविधता ही भारत की पहचान है किंतु जिस एक विघटनकारी तत्व के कारण अंग्रेजो ने 200 साल तक भारत में शासन किया वह था ''फूट डालो और राज करो'' की नीति और इसी नीति का अंतिम फल हमें देश के विभाजन के रूप में सहना पडा जिसमें धार्मिक मतभेद की भावना ही कार्य कर रही थी। धर्म ही वह तत्व था जिसके कारण हिंदू मुस्लिम, सिख, इसाई आपस में अपनी निजी हितों हेतु देश की राष्ट्रीयता और

एकता को दांव पर लगाते रहे। वास्तव में धर्म की विशालता और बहुलता को समझे बिना सम्प्रदायिकता के कारण राजनीति में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और धर्म के नाम पर आए दिन हिंसात्मक घटनाएं जन्म लेती रही। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हुए नजर आते है तो कई वोट बटोरने हेतु मठाधीशों से मस्जिद के इमाम मिलकर उनके निजि हितो को साधने लगते है जिस कारण भारत के धर्मनिरपेक्षता की भावना को ठेस पहुँचता है और राष्ट्र के विकास में बाधा पहुँचती है। वास्तव में भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के पीछे संविधान निर्माताओं का यही उद्देश्य था कि कभी भी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं धर्म का आधार लेकर व्यवस्था में बदलाव अथवा हित साधने का प्रयास ना करें। अपितु धर्म को राजनीति में आड़े ना आने दे और ना ही राजनीति में धर्म का आक्षेप ही किंतु वर्तमान परिदृश्य में धर्म और राजनीति एक दूसरे से इस प्रकार एक हो गए है कि आज इनको एक दूसरे से दूर करना मुश्किल हो गया है ये एक दूसरे से इतना घुल गया है कि मानों राजनीति से धर्म को हटाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है जिसके पीछे कारक यह भी है कि धर्म लोगों के व्यवहार को प्रभावित व नियंत्रित करता है, और इसके साथ ही साथ व्यक्तियों की भावनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जिसके कारण इसका प्रभाव राजनीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जबकि स्थिति यह है कि राजनीति पूर्णरूपेण धर्म द्वारा नियत्रित की जाने लगी है। और धर्म जिस प्रकार चाहे राजनीतिक नियमों का निर्माण करा सकता है। वास्तव में इस प्रकार भी सम्प्रदायिकता मानवता के लिए एक गहरा अभिशाप है और भारत देश की एकता व अखण्ड़ता के लिए बडा ही घातक है। जिसे सही रूप से नियोजित करने की आवश्यकता है। यह पूर्ण रूपेण सत्य है कि प्राचीन काल से ही धर्म की व्यापकता ने राजनीति को प्रभावित किया है राजनीति की शुरूआत ही धर्म की इसी अवधारणा के साथ हुआ था। सबकी रक्षा व सुरक्षा राज्य के हाथों में होती है और राज्य अपने नागरिको के हितो की पूर्ति करेगा। अर्थात् धर्म ने सदैव हर युग में राजनीति को प्रभावित किया है वास्तव में धर्म मनुष्य को भीतर से महान बनाने वाला तत्व है तथा राजनीति भी व्यक्तित्व के विकास समाज के कल्याण व राज्य के विकास का अनिवार्य तत्व है राजनीति धर्म के द्वारा दूषित नहीं होती क्योंकि धर्म और राजनीति दोनो ही सद्भाव व सद्नीत से बने हुए है अतः धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक करना संभंव नही है अपितु साम्प्रदायिकता के प्रभाव से राजनीति के बचाना अनिवार्य है। क्योकि धर्म के नाम पर अनेक सामाजिक कुरीतियॉ व राजनीतिक बंदरबार होते है। धर्म के नाम पर ही भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर आपस में लड़ाया जाता है और राजनेतागण अपनी रोटी उसी हिंसा की आग में सकते है।

आज के परिपेक्ष्य में राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है जो व्यक्तियों के हितो की पूर्ति कर सकता है। किंतु नैतिक व आदर्शो से रहित निष्ठुर व भावहीन हो गया है जो एक समूह के हितो की पूर्ति हेतु राष्ट्र को बलिवेदी पर चढ़ा सकता है। वास्तव में आज इसी धर्म की संकीर्णता ने राजनीति को ग्रस लिया है जैसे महात्मा गांधी ने माना कि ''जैसे भयानक बवडंर अंत में उड़ जाता है वैसे ही अनीतिमान पुरूष का नाश हो जाता है असीरिया और बेबीलोन में अनीति का घड़ा भरा नही कि फूट गया। रोम ने जब अनीति का रास्ता पकड़ा तब उसके महान पुरूष भी उसे न बचा सके। ग्रीस की जनता बुध्दिमान थी, पर उसकी बुध्दिमानी अधर्म को न टिका सकी। अनीति यदि राजगद्दी पर बैठी हो तो वह टिकने को नही।''

इस प्रकार वास्तविक धर्म जो तात्विक है राज्य के लिए अतिआवश्यक है किंतु सम्प्रदायिकता से भरा भाव राज्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त व विनाशकारी है। जो राष्ट्र की एकता व अखंड़ता को नष्ट कर देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दुर्गादत्त पाण्डेय धर्म दर्शन पृ. 72
2. जिमर फिलासफी आफ इंडिया पृ. 28–35
3. लवानिया डॉ.एम.एम. धर्म का समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर पृ. 12
4. महाभारत शांति पर्व अध्याय 58
5. राय लाजपत लालाः राइटिंग एण्ड स्पीचेज वॉल. 2, दिल्ली, 1966
6. ऋग्वेद 1.187.1
7. ऋग्वेद 10.9.2
8. Immanual kant : The Phylosophy of Relision P-7
9. Mahatma Gandhi: Views on Relision